लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA
DEBATES

[तीसरा सत्र]

Third Session

[खंड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. X contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debate and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 19, शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 1967/17 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 19, Friday, December 8, 1967/Agrahayana 17, 1889 (Saka)

ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
	निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obiuary Reference	2689
541.	विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Trade	2689-2691
542.	भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के लिये पानी के मीटर	Water Meters for Bhilai and Durgapur Steel Plants	2691-2692
543.	राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation	2692-2694
544.	बैंकिंग कम्पनियों से भिन्न कम्पनियाँ	Non-Banking Companies	2694-2696
546.	पालघाट जिले में सूक्ष्म औजार बनाने का कारखाना	Precision Instrument Project, Palghat	2696-2697
547.	डालमिया सीमेंट फैक्टरी को ऋण	Loan to Dalmia Cement Factory	2697-2699
548.	चीन के आक्रमण के दौरान रेलगाड़ियों का चलना एवं उनका कार्य संचालन	Operation and working of Railways during Chinese aggression	2700-2701
	अल्प सूचना प्रश्न		
	Short Notice Question.		
11.	एण्टी बायटिक्स कारखाना, ऋषिकेश	Antibiotics Plant, Rishikesh	2701-2703

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य नें वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय प्रश्नों के लिखित उत्तर	SUBJECT WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	पृष्ठ/PAGE
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
545. सीमेन्ट आवंटन और समन्वय सगठन द्वारा उड़ीसा के मुख्य मंत्री को दान	CACO Donation to Orissa Chief Minister	2703-2704
549. रेलवे अधिकारियों को सेवा पद्धति के यन्त्रीकरण में प्रशिक्षण देने के लिये अमरीका भेजना	Training in USA of Railway Officers in mechnaisation of accounting sytem	2704
550. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, बंगलौर	H. M. T. Factory, Bangalore	2705
551. रेल के माल डिब्बों के लिए गैर सरकारी फर्मों को आर्डर दिया जाना	Orders on private firms for wagons	2705
552. संसदीय शिष्टमंडल का प्रतिवेदन	Report by Parliamentary Delegation	2705-2706
554. जापान को लौह अयस्क और कोयले का निर्यात	Export of Iron Ore and Coal to Japan	2706
555. चार पहियों वाले वैगन	Four wheeler Wagons	2706-2707
556. सीमेन्ट का निर्यात	Export of Cement	2707
557. दिल्ली में औद्योगिक बस्तियाँ	Industrial Estates in Delhi	2707-2708
558. सीमेंट पर से नियन्त्रण हटाये जाने की व्यवस्था का अनुभव	Working of Cement Decontrol	2708
559. हल्दिया पत्तन तथा खड़गपुर जंक्शन के बीच रेलवे लाइन	Rail link between Haldia Port and Kharagpur Jn.	2708-2709
560. रुई निर्यात संवर्धन योजना	Cotton Export promotion Scheme	2709

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
561. नेपाल को पटसन का निर्यात	Export of Jute to Nepal	2709
563. पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की योजना	Scheme to set up Industries in Hill area	2710
564. ईरान में रेलवे के इंजनों तथा अन्य सामान का निर्माण	Manufacture of Locomotives and other Railway equipment in Iran	2710
565. मूल उद्योगों के उत्पादन में कमी	Shortfall in Production in Basic Industries	2710-2711
566. लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	2711
567. सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के लिये केन्द्रीय संविहित संगठन	Central Statutory Organisation for Public Sector Steel Plants	2711-2712
568. लाइसेंस देने की नीति	Licensing Policy	2712
569. जलगाँव भुसावल सेक्शन (मध्य रेलवे) के भादली स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Bhadli on Jalgaon Bhusawal Section (C. Rly).	2712-2713
570. पाकिस्तान द्वारा जब्त किया गया भारतीय माल	Indian Cargo seized by Pakistan	2713

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

3466. संसद सदस्यों द्वारा कारों की बिक्री	Sale of Cars by M.Ps.	2713-2714
3467. महाराष्ट्र में लघु उद्योग	Small Industries in Maharashtra	2714
3468. ट्रैक्टर बनाने वाले कारखाने	Tractor Factories	2715
3469. मैसूर में लौह अयस्क के भंडारों का अनुमान	Estimates of Iron Ore Deposits in Mysore	2715
3470. सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के बारे में संसदीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन	Report by Parliamentary Delegation Regarding Public Sector Industrial Undertakings	2716
3471. स्कूटरों के निर्माण सम्बन्धी योजना की चाँच करने के लिये उप-समिति	Sub-Committee to examine Scheme to Manufacture Scooters	2716-2717

ता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3472.	गंगेश्वरी सघन क्षेत्र	Gangeshwari Intensive Area	2717
3473.	दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन पर साइकिल स्टैंड	Cycle stand at Delhi Kishanganj Station	2718
3474.	रत्न तथा जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद्	Gem and Jewellery Export Promotion Council	2718-2719
3475.	रत्न तथा जवाहरातों के लिये आयात लाइसेंस	Import Licences for Gems & Jewellery	2719-2720
3476.	कच्छ का भूमिगत सर्वेक्षण	Sub-soil Survey of Kutch	2720
3477.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्यात	H. M. T. Exports	2721
3478.	स्टेशनों पर मेवों के पैकेट	Dry Food Packets at Stations	2721
3479.	खिरकिया स्टेशन के प्लेट-फार्मों पर यात्री शेड	Passenger Sheds on the Platforms of Khirkiya Station	2721-2722
3480.	लहेरियासराय स्टेशन के पास सिगनल का खम्बा	Signal post near Laheria Sarai Station	2722
3481.	कारतूसों का आयात	Import of Cartridges	2722-2723
3482.	निजामाबाद और पेड्डापल्ली के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Nizamabad and Peddapalli	2723
3483.	वैमानिक खनिज सर्वेक्षण	Aerial Mineral Survey	2723
3484.	सवाई माधोपुर जंक्शन पर पुल का निर्माण	Bridge at Sawai Madhopur Junction	2724
3485.	राजस्थान में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Rajasthan	2724
3486.	गरहारा ट्रांसशिपमेंट यार्ड	Garhara Transhipment Yard	2724
3487.	सोनपुर रेलवे जंक्शन पर रेस्ट हउस	Rest House at Sonepore Railway Junction	2725
3488.	धनबाद डिवीजन में रेलवे गार्ड	Railway Guards, Dhanbad Division	2725
3489.	पत्रातू में फायरमैन	Firemen at Patratu	2725
3490.	अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे	Cases under Essential Commodities Act	2725-2726
3491.	भूमिगत जल का सर्वेक्षण करने के लिये रिवीलर उपकरण	Revealer for Conducting Survey of Underground Water.	2726

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3492.	अप्रैल और मई, 1967 में निर्यात	Exports during April and May, 1967	2726
8493.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा मैसर्स भारत फिट्स वार्नर लिमिटेड, बंगलौर के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार	Dealings of Former H.M.T. Chairman with M/s. Bharat Fritz Warner, Ltd., Bangalore	2727
3494.	अहमदाबाद के निकट फैक्टरी में बन्दूकों का निर्माण	Manufacture of Guns in a Factory near Ahmedabad	2727-2728
3495.	दिल्ली में दुग्धशाला परियोजनाएँ	Dairy Projects in Delhi	2728
3496.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधिकारियों द्वारा जीपों का दुरुपयोग	Misuse of Jeeps by N.C.D.C. Officers	2728
3497.	आविष्कारों के लिये प्रोत्साहन	Encouragement for Inventions	2728-2729
3498.	कच्ची ऊन का आयात	Import of Raw Wool	2729-2730
3499.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी पश्चिम रेलवे, दिल्ली के विरुद्ध शिकायत	Complaints against senior Accounts Officer, Western Railway, Delhi	2730
3500.	विदेशों में प्रदर्शन कक्ष	Show Rooms Abroad	2730
3501.	रबड़ का आयात	Import of rubber	2731
3502.	धर्मकोट (हिमाचल प्रदेश) का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Dharamkot (H.P.)	2731
3503	बरहामपुर रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Public Call Office at Burhampur Railway Station	2731-2732
3504.	चौथी पंचवर्षीय योजना में मशीनी औजारों का उत्पादन	Machine Tool Production in Fourth Five Year Plan	2732
3505.	विदेशी सहयोग	Foreign Collaborations	2732-2733
3506.	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers from G.D.R.	2733
3507.	उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये इंजीनियरी सार्थ समूह	Engineering Consortium for setting up Fertilizer Factories	2733

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3508.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में उत्पादन	Production in Public Sector Steel Plant	2733-2734
3509.	न्यू विक्टोरिया काटन मिल्स, कानपुर	New Victoria Cotton Mills, Kanpur	2734
3510.	लागत लेखापालों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पत्र	Memorandum Submitted by Cost Accountants	2734
3511.	मशीन से जूते बनाने वाला कारखाना	Mechanised Footwear Unit	2734-2735
3512.	कन्नूर में लौह अयस्क के भण्डार	Iron Ore Deposits in Cannanore	2735
3513.	अन्य रेलवे (फारेन) यातायात लेखा कार्यालय दिल्ली के कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना	Allotment of Quarters to staff of Foreign Traffic Accounts, Office, Delhi	2735-2736
3514.	पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी रेलों के लेखा विभागों के कर्मचारियों की बैठक	Meeting of Rialway Employees of Eastern and South Eastern Railways Accounts Departments	2736-2737
3515.	इरुगूर रेलवे स्टेशन	Irugur Railway Station	2737
3516.	ईस्टर्न रेलवे एम्पलायीज कोंज्यूमर्स विशुद्ध कापरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जमालपुर	Eastern Railway Employees Consumers Bisudh Cooperative Society Ltd., Jamalpur	2737-2738
3517.	अर्थ व्यवस्था में मन्दी	Recession in Economy	2738
3518.	पश्चिम बंगाल में पटसन मिल	Jute Mills in West Bengal	2738
3519.	उत्तर प्रदेश में रेलवे पुल	Railway Bridges in U. P.	2738
3520.	भारत के विदेशी व्यापार पर पश्चिम बंगाल की स्थिति का प्रभाव	Effect of West Bengal situation on India's Foreign Trade	2739
3521.	रूस को जूतों का निर्यात	Export of Shoes to USSR	2739
3522.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खान के स्टोर से रूसी केबिलों का गुम हो जाना	Missing of Russian Cables from N.C.D.C. Colliery Stores	2739-2740
3523.	मद्रास में बन्द कपड़ा मिलें	Closed Textile Mills in Madras	2740

तता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3524.	खली का निर्यात	Export of Oil Cakes	2740-2741
3525.	कागज के मूल्य में संशोधन	Revision of price of paper	2741
3526.	दुर्घटनाओं के लिये रेलवे अधिकारियों को दण्ड	Punishment to Railway Officers for Accidents	2741
3527.	बख्तियारपूर राजगीर सेक्शन (पूर्व रेलवे) पर चलती गाड़ी में डाका	Dacoity in running train on Bakhtiyarpur Rajgir Section (E. Rly).	2741
3528.	सिलिगुड़ी तिनसुकिया रेल-गाड़ी के तीसरी श्रेणी के डिब्बे में बम	Bomb in III Class Compartment of Siliguri Tinsukia Train	2742
3529.	पूर्व रेलवे में रेल सेवाओं में अस्तव्यस्तता	Disruption of Train Services on Eastern Railway	2742
3530.	कर्गी रोड और घुटकू रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment between Kargi Road and Ghutku Stations	2743
3531.	लखनऊ में ऐनक का सामान बनाने का कारखाना	Optical I ument Factory, Lucknow	2743
3532.	भारतीय रेलों की ट्रैफिक एकाउन्ट्स ब्रान्चों में कर्मचारियों की स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या	Sanctioned and Working Strength Traffic Accounts Branches of the Indian Railways	2743-2744
3533.	रेलवे लेखा विभाग में वरिष्ठता	Seniority in Railway Accounts Department	2744
3534.	भारतीय रेलवे के लेखा विभाग में ग्रेड क्लर्क	Clerks Grade I in Accounts Department	2744-2745
3535.	दिल्ली में पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे (फारेन) यातायात लेखा कार्यालय में अतिभार दिखाने वाली पर्चियां	Overcharge Sheets in Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi	2745
3536.	सरकारी क्षेत्र में सीमेन्ट के नये कारखाने	New Cement Units in the Public Sector	2746
3537.	जस्ता तथा सीसा अयस्क खानें	Zinc and Lead Ore Mines	2747

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3538.	गैर सरकारी फर्मों को माल डिब्बों का आर्डर दिया जाना	Orders for Railway Wagons placed on Private Firm	2747-2748
3540.	ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिसेज में कर्मचारियों की स्वीकृत और कार्यकारी संख्या	Sanctioned and working strength of Staff in Traffic Accounts Offices	2748
3541.	अनग्रेडेड रेलवे अकान्उन्ट्स स्टाफ एसोसियेशन	Ungraded Railway Accounts Staff Asociation	2748-2749
3542.	रेलवे मुद्रणालय तथा फार्म-डिपो को गोहाटी से न्यू जलपाइगुडी ले जाया जाना	Shifting of Railway Press and Forms Depot from Gauhati to New Jalpaiguri	2749
3543.	दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोने के स्थानों के टिकटों की चोर बाजारी	Black marketing of 3rd Class Sleeping Accommodation in Delhi	2749-2750
3544.	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	2750
3545.	भारत में ब्रोमाइट / ब्रोमाइन तथा गंधक के भण्डार	Bromite/Bromine and Sulpher Deposits in India	2750
3546.	आयात लाइसेंस जारी करना	Issues of Import Lincences	2750-2751
3547.	नेफा क्षेत्र में रेलवे लाइनों का निर्माण	Extension of Railway line to NEFA Region	2751
3548.	एच० एम० टी० पिंजौर द्वारा मशीनों का निर्माण	Machines Manufactured by H.M.T. Pinjore	2751-2752
3549.	निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी-मुद्रा	Foreign Exchange Earned from Exports	2752
3550.	अलाभकर रेलवे लाइन	Uneconomic Railway Lines	2752
3551.	तिलवाड़ा के निकट जोधपुर बाडमेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का बाढ़ के पानी में फंस जाना	Marooning of Jodhpur Barmer Express near Tilwara	2753
3552.	वैक्यूम पाइपों को हटाकर रेलगाड़ियों का रोका जाना	Stooping of Trains by Disjoining Vacuum Pipes	2753
3553.	निर्यात	Exports	3753-2754
3554.	पटसन का निर्यात	Export of Jute	2754
3555.	हरियाना में उद्योग	Industries in Haryana State	2755

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3556.	हिन्दी शब्दकोष का प्रयोग	Use of Hindi Dictionary	2755
3557.	स्टेनलैस स्टील की आयातित चादरें	Imported Stainless Steel Sheets	2755-2756
3558.	चेकोस्लोवाकिया ट्रैक्टरों के पुर्जों को जोड़कर ट्रैक्टर बनाने वाले कारखाने की स्थापना	Setting up of an Assembly Plant of Czech Tractors	2756
3559.	हिन्दी स्टेनोग्राफर	Hindi Stenographers	2756-2757
3560.	हिन्दी स्टेनोग्राफर	Hindi Stenographers	2757
3562.	रेलवे में कन्टेनर गुड्स सर्विस	Contrainer Goods Service on the Railways	2757
3563.	हावड़ा दिल्ली सुपर एक्सप्रेस	Howrah Delhi Super Express Trains	2757-2758
3564.	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना	Memorandum submitted by F.I.C.C.I.	2758
3565.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का लेखा	Accounts of Hindustan Machine Tools Ltd.	2758-2759
3566.	कोयले की खपत	Consumption of Coal	2759
3567.	नाहन ढलाई घर में कोयले का स्टाक	Coal stock in Nahan Foundry	2759
3568.	रेल गाड़ियों का देर से चलना	Late running of tains	2759-2760
3569.	पूर्वोत्तर रेलवे में वातानुकूलित डिब्बों के इंचार्ज / अटैंडेंट	Air conditioned coach incharge/attendants of N.E. Railway	2760
3570.	पूर्वोत्तर रेलवे में वातानुकूलित डिब्बों के इंचार्ज	Air conditioned coach incharges North East Frontier Railway	2760
3571.	पूर्वोत्तर रेलवे के गार्ड	Railway Guards of N.E. Railway	2760-2761
3573.	बेटाड राजकोट रेलवे लाइन	Betad Rajkot Railway line	2761
3574.	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	2761-2762
3575.	दिल्ली में स्थानीय रेलगाड़ियां	Local Trains in Delhi	2762
3576.	यात्रा लेखा निरीक्षक	Travelling inspectors of accounts	2763
3577.	बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant	2763
3578.	बिलासपुर कटनी सेक्शन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment on Bilaspur Katni Section	2763

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3579.	केरल में चिरेन किस स्टेशन पर लोगों की भीड़ द्वारा हिंसात्मक कृत्य	Mob Violence at Chirain Kins, Kerala	3763-2764
3580.	मशीनी औजारों का उत्पादन	Production of Machine Tools	2764
3581.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी के नये कारखाने	New Units of HMT	2764
3582.	पक्षियों का निर्यात	Export of Birds	2765
3583.	सियालदह डिवीजन में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labourers in Sealdah Division	2765
3584.	अलीपुर द्वार जंक्शन के निकट मेल गाड़ी की दुर्घटना	Mail Disaster near Alipurduar Jn.	2766
3585.	पोकरन और जैसलमेर के बीच रेलवे लाइन	Rail Link between Pokaran and Jaisalmer	2766
3586.	आयातित रुई का वितरण	Distribution of Imported Cotton	2766
3587.	माडल वूलन मिल्स, बम्बई	Model Woollen Mills, Bombay	2767
3588.	सूती कपड़ा उद्योग	Cotton Textile Industry	2767-2768
3589.	बिनौले के मूल्य	Prices of Cotton Seeds	2768
3590.	लिप्जिग शरद मेला	Leipzig Autumn Fair	2768
3591.	मुद्रण मशीनों का निर्माण	Manufacture of Printing Machines	2769
3592.	कोयला उत्पादकों से कोयले के भण्डार अर्जित करना	Acquiring of Coal Stocks from producers	2769
3593.	जेनेवा में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के सदस्य देशों की बैठक	Meeting of G.A.T.T. in Geneva	2769-2770
3594.	रूमानिया से सूराख करने वाले बरमों (बेरिंग रिगों) का आयात	Import of boring rigs from Rumania	2770
3595.	रेलवे कर्मचारियों के लिये वर्दी	Uniforms for Railway Employees	2770
3596.	कलकत्ता बम्बई मेल को डीजल इंजिनों से चलाया जाना	Hauling of Calcutta Bombay Mail by Diesel Locomotive	2770-2771
3597.	जुनेहटा और सोंटालाई स्टेशनों पर यात्रियों को टिकट देने की व्यवस्था	Passenger Booking from Junehta and Sontalai Stations	2771

अता० प्रश्न सं०

U.Q. Nos.

U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3598.	ताँबे का उत्पादन	Production of Copper	2771
3599.	स्लीपर एक्सप्रेस गाड़ी	Sleeper Express Train	2771-2772
3600.	रेल सड़क परिवहन	Rail Road Transport	2772
3601.	नकली रेशम के धागे का आयात	Import of Art Silk Yarn	2772-2773
3602.	हथकरघों द्वारा सूत खरीदा जाना	Yarn for Handloom	2773
3603.	नकली रेशम बुनने का उद्योग	Art Silk Weaving Industry	2773-2774
3604.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	Hindustan Steel Works Construction Ltd.	2774
3605.	मछली का निर्यात	Export of Fish	2774
3606.	चाय का निर्यात	Export of Tea	2774-2775
3607.	उड़ीसा में खनिज पदार्थों की खोज	Mineral Exploration in Orissa	2775
3608.	गंधक का आयात	Import of Sulpher	2775
3609.	नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal	2775-2776
3610.	रेलगाड़ियों का लूटा जाना	Looting of Trains	2776
3611.	रेलवे द्वारा दिया गया प्रतिकर	Compensation paid by Railways	2776-2777
3612.	उत्पादन की लागत	Cost of Production	2777
3613.	पूर्वी अफ्रीका में लघुऔद्योगिक परियोजनाएँ	Small Industrial Projects in East Africa	2778
3614.	भारतीय भागिता अधिनियम	Indian Partnership Act	2778
3615.	लघु उद्योगों के लिये आयात लाइसेंस	Import Licences for Small Scale Industries	2778
3616.	लघु उद्योगों के लिये आयात लाइसेंस	Import Licences for Small Scale Industries	2778-2779
3617.	मेसर्स ग्रामोफोन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	M/s Gramaphone Co. Ltd., Calcutta	2779
3618.	कलकत्ता में वैगनों का रोका जाना	Detention of Wagons in Calcutta	2780
3619.	कोयला निकालने पर नियंत्रण	Restrictions on Coal Output	2780
3620.	रंग रोगन उद्योग के लिये आयात	Imports for Paint Industry	2780-2781
3621.	अधिक लागत वाली उत्पादन क्षमता	High Cost Manufacturigg Capacity	2781

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page s
3622.	अफगानिस्तान से व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Trade Delegation from Afghanistan	2781
3623.	देहरादून में चाय का उत्पादन	Production of Tea in Dehra Dun	2781
3624.	कांगड़ा तथा देहरादून की चाय का मानक निश्चित करना	Standards of Kangra and Dehradun Teas	2782
3625.	तीव्रगामी रेलगाड़ियां चलाना	Introduction of Fast Trains	2782
3626	कलकत्ता के निकट बम विस्फोट	Bomb Explosion near Calcutta	2782-2783
3627.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों को जस्ता चढी नालीदार चादरों की सप्लाई	Supply of G.C. Sheets to the Drought Affected Areas	2783
3628.	गुटाकल स्टेशन पर रेलवे रेस्तरां	Railway Restaurant at Guntakal Station	2783-2784
3630.	विशेष इस्पात का कारखाना	Plant for special steel	2784
3631.	कपास का रक्षित भण्डार	Buffer Stock of Cotton	2784
3632.	आस्ट्रेलिया के व्यापार आयुक्त का आन्ध्र प्रदेश के वाणिज्य मंडल की बैठक में भाषण	Australian Trade Commissioner's Address to Andhra Chamber of Commerce	2784-2785
3633.	मध्य रेलवे के चाँदनी स्टेशन के निकट रेलवे फाटक का बन्द किया जाना	Closing of Level Crossing near Chandni Station on the Central Railway	2785
3634.	हसनपुर और झनझरपुर के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Hasanpur and Jhanjharpur	2785
3635.	लहरिया सराय और कुशेश्वर के बीच रेलवे लाइन का बिछाया जाना	Rail Link between Laheria Sarai and Kusheshwar	2785
3636.	नाइलोन के धागे का आयात	Import of Nylon Yarn	2785-2786
3637.	बरौनी और कटिहार के बीच बड़ी रेलवे लाइन का बिछाया जाना	B. G. Line between Barauni and Katihar	2786
3638.	मंदी से प्रभावित उद्योग	Industries affected by Recession	2786-2787
3639.	चौथी योजना में मशीनी औजार का उत्पादन	Production of Machine Tools in Fourth Plan	2787
3640.	रेलवे अधिकारियों के वेतन क्रम	Scales of Pay of Railway Officers	2787

अता० प्रश्न संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3641.	रेलवे में अनुसूचित जातियों के लोगों की नियुक्ति और पदोन्नति	Employment and Promotion of S.C. Employees on Railways	2787
3642.	दक्षिण मध्य रेलवे के कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Railway Staff from S.C. Railway	2788
3643.	लौह अयस्क के निक्षेप	Iron Ore Deposit	2788-2789
3644.	खानों से लौह अयस्क निकालने के लिये विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration for Mining Iron Ore	2790
3645.	इंजीनियरी कर्मचारियों का कार्यभार	Work Load on Engineering Staff	2790
3646.	रेलवे ड्राइंग कार्यालयों में फैरो टाइपर्स	Ferro Typers in Railway Drawing Offices	2790
3647.	ड्राइंग तथा आउटडोर इंजीनियरिंग के तीसरी श्रेणी के कर्मचारी	Class III Drawing and outdoor Engineering Staff	2790-2791
3648.	तृतीय श्रेणी के रेखाचित्र (ड्राइंग) कर्मचारियों तथा कार्य स्थल पर कार्य करने वाले इंजिनियरिंग कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Class III Drawing Staff and outdoor Engineering Staff	2791
3649.	रेखा चित्र (ड्राइंग) कर्मचारियों के वेतन-क्रम	Pay Scales of Drawing Staff	2791
3650.	निर्यात सहायता योजना	Export Assistance Scheme	2791
3651.	पंजाब में भारी उद्योग	Heavy Industries in Punjab	2792
3652.	मुगलसराय रेलवे के स्टेशन प्लेटफार्म पर पूछताछ कार्यालय	Enquiry Office on Platform of Mughal Sarai Railway Station	2792-2793
3653.	उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में दफ्तरियों के लिये वर्दी	Uniforms for Daftries in Bikaner Division of Northern Railway	2793
3654.	उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में फिटरों की भर्ती	Recruitment of fitters in Bikaner Division of Northern Railway	2793
3655.	लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा राज सहायता का भुगतान	Payment of subsidy by the Iron and Steel Controller	2794
3656.	पिछड़े राज्यों में उद्योगों के लिये प्रस्ताव	Proposals for Industries in Backward States	2794

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3657. विदेशों में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय	Offices of STC in Foreign Countries	2794-2795
3658. तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात	Export of processed Food	2795
3659. केरल में लघु उद्योग	Small Industries in Kerala	2795
3660. रबड़ के दाम	Prices of Rubber	2795-2796
3661. रूस से 5 स्टैंड कोल्ड रोलिंग मिल का आयात	Import of 5 Stand Cold Rolling Mill from USSR	2796
3662. प्रबन्धक अभिकरण	Managing Agencies	2796-2797
3663. मनीपुर में लौह अयस्क खानें	Iron Ore Mines in Manipur	2797
3664. पूर्व रेलवे पर ताँबें के तारों की चोरी	Theft of Copper Wire on Eastern Railway	2797
3665. दक्षिण वियतनाम द्वारा भारतीय इस्पात के उत्पादों का आयात	Import of Indian Steel Products by South Vietnam	2798
3666. चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के मैकेनिकल विभाग में भूत-पूर्व सैनिक	Ex-Servicemen in Mechanical Department of Chittaranjan Locomotive Works	2798
3667. पश्चिम रेलवे के उपनगरीय सेक्शन के स्टेशनों पर प्लेट-फार्मों पर शेड	Sheds over Platforms on Stations of Suburban section of Western Railway	2798-2799
3668. विदेशों से सहायता	Foreign Aid	2799
3669. तालचेर और बरहामपुर के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Talchar and Berhampur	2799-2800
3670. शिक्षा संस्थाओं को रेलवे यात्रा के किराये में रियायत	Railway Travel Concessions to Educational Associations	2800-2801
3671. अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का औद्योगिक विकास	Industrial EDevelopment of Andaman and Nicobar Islands	2801
3672. रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता	Educational Allowance to Children of Railway Employees	2801-2802
3673. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के स्टोर विभाग में खलासी	Khalasis at Store Department of Chittaranjan Locomotive Works	2802
3674. रेलवे लाइन का इम्फाल अथवा मनीपुर तक बढाया जाना	Extension of Railway Line to Imphal or Manipur	2802

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3675.	फ्रंटियर मेल से नकदी के बक्सों की चोरी	Theft of cash Boxes from Frontier Mail	2803
3676.	रेलवे डिब्बों की कमी	Shortage of Bogies	2803
3677.	करवार और बेलीकेरी पत्तनों से लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore through Karwar and Belikeri Ports	2803
3677-क.	कस्तूरबा सेवा मन्दिर	Kesturba Seva Mandir	2804
3677-ख.	राजपुरा स्थित कस्तूरबा सेवा मन्दिर	Kasturba Seva Mandir at Rajpura	2804
3677-ग.	निरीक्षण कारखानों की स्थापना	Setting up of Inspection Factories	2804
3677-घ.	ग्रामोद्योग सहकारी समितियाँ	Gramodyog Cooperative Societies	2805
3677-ङ.	विनोबा ग्रामोद्योग संघ	Vinoba Gramodyog Sangh	2805-2806
3677-च.	माल यातायात	Goods Traffic	2806
3677-छ.	कोयले के उत्पादन में कमी	Fall in production of coal	2807
3677-ज.	मैसूर राज्य में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Mysore State	2807
3677-झ.	आसनसोल पुरी एक्सप्रेस का ठहराया जाना	Stoppage of Asansol-Puri Express	2807-2808
3677-ञ.	विलम्ब शुल्क तथा स्थान शुल्क	Demurrage and Wharfage Charges	2808
3677-ट.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of British India Corporation	2808-2809
3677-ठ.	आगरा में ईदगाह स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Idgah Agra	2809
3677-ड.	रूसी ट्रैक्टरों की बिक्री	Sale of Russian Tractors	2809
3677-ढ.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन	British India Corporation	2810
3677-ण.	श्रीलंका में भारतीय साड़ियों की बिक्री	Sale of Indian Sarees in Ceylon	2810
3677-त.	स्टीमरों की टक्कर	Collision of Steamers	2811
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance	2811-2816

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
कश्मीर के पाक अधिकृत भागों पर पश्चिमी जर्मनी के चान्सलर की उड़ान की सूचना	Report of flight of West German Chancellor over Pakistan occupied parts of Kashmir.	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Smt. Sushila Rohtagi	
श्रीमती इन्दिरा गाँधी	Smt. Indira Gandhi.	
स्थगन और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में	Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices.	2816
सभा पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table	2816-2818
अनुदानों की अनुपूरक माँगें (मणिपुर) 1967-68	Demands for Supplementary Grants (Manipur) 1967-68	2818
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	2818
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक	Bill passed by Rajya Sabha	2819
(1) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1967	(i) Dock workers (Regulation of Employment) Amendment Bill 1967	
(2) मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1967	(ii) Maternity Benefit (Amendment) Bill, 1967	
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bill	2819
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	2819
नवाँ प्रतिवेदन	Ninth Report	
सभा का कार्य	Business of the House	2819-2820
राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1967 और राज भाषा संबंधी संकल्प के बारे में	Official Languages (Amendment) Bill 1967 and Resolution Re. Official Languages.	2820-2824
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्रीमती सुचेता कृपलानी	Shrimati Sucheta Kripalani	
श्री अमियनाथ बोस	Shri Amiyanath Bose	
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री स० चु० जमीर	Shri S. C. Jamir	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	2824
सोलहवाँ प्रतिवेदन	Sixteenth Report	

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
विधायकों द्वारा एक दल को छोड़कर दूसरे दल में निष्ठा व्यक्त करने के बारे में संकल्प	Resolution Re. Crossing of the Floor by Legislators—	2825-2831
संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ	adopted as amended	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री हेमराज	Shri Hem Raj	
श्री जी० भा० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री बेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinivas Misra	
श्री रमानी	Shri K. Ramani	
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	
साहिब नदी योजना को कार्यान्वित करने के बारे में संकल्प	Resolution Re. Implementation of Sahibinadi Scheme	2831-2832
श्री गजराव सिंह राव	Shri Gajrao Singh Rao	
एमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को सेवा मुक्त किये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Release of Emergency Commissioned Officers	2832-2835
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 1967/17 अग्रहायण, 1889 (शक)

Friday, December 8, 1967/Agrahayana 17, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

निधन सम्बन्धी उल्लेख

Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री एम० एम० हक की मृत्यु का शोक समाचार देना है जो 61 वर्ष की आयु में 4 दिसम्बर, 1967 को अकोला में मर गये।

श्री हक 1962-67 के दौरान तृतीय लोक सभा के सदस्य थे।

इस मित्र के निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजने में सभा मेरे साथ शामिल होगी।

तब सदस्य थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण

*541. **श्री यशपाल सिंह:**
श्री रामकृष्ण गुप्त:
श्री वेदव्रत बरुआ:
श्री वासुदेवन नायर:
श्री रा० रा० सिंह देव:
श्री देवकीनन्दन पाटौदिया:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों के साथ किये जाने वाले व्यापार के राष्ट्रीयकरण के प्रश्नों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh : May I know the volume of trade handled by S.T.C. and by the private firms separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : Out of the total volume of import trade of Rs. 1886 crores during 1966-67 Government handled the trade amounting to Rs. 1144 crores. Export trade is free from all restrictions and Government's share in that has reached upto Rs. 3200 crores.

Shri Yashpal Singh : May I know whether the imports through the private firms are more profitable to the Government than that through Governmental agencies ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Profitability from exports depends on a number of factors such as efficiency and management of the unit and the cost of production of the commodity.

Shri Yashpal Singh : It is not clear from the answer whether the private exporters are yielding more profits to the Government or the Government agencies.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : So far as we are concerned we have imported only wigs, wiglets and shoes and our exports have outstripped our imports.

श्री बाबू राव पटेल : चूंकि विदेश व्यापार का अधिकांश भाग राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा ले लिया गया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस आशय के कुछ राजनीतिक संकल्प भी पारित किये गये हैं, क्या सरकार इस समय संभावना पर विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि सरकार को किस बात की जाँच करनी है। परन्तु तथ्य यह है कि राज्य व्यापार निगम ने सारा व्यापार अपने हाथ में नहीं लिया है। हमने विग, विगलेट और जूतों को आयात करना आरम्भ कर दिया है और राज्य व्यापार निगम के द्वारा नाइलोन की बनी वस्तुएँ आयात कर रहे हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : समाचार पत्रों में छपी खबरों से पता चलता है कि राज्य व्यापार निगम निर्यात व्यापार को अधिकाधिक अपने हाथ में ले रही है। दूसरी ओर पिछले कुछ वर्षों का अनुभव यह है कि राज्य व्यापार निगम निजी निर्यातकर्ताओं के मुकाबिले में ठहर नहीं सका है। इसको ध्यान में रखते हुए, क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम निजी व्यापार को अधिकाधिक अपने हाथ में ले रहा है ? दूसरे, रुपये में भुगतान करने वाले देशों के साथ राज्य व्यापार निगम का क्या अनुभव रहा है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है "नहीं"। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में हमारा अनुभव यूरोपीय देशों के साथ बहुत अच्छा रहा है।

श्री वासुदेवन नायर : आम चुनावों के शीघ्र पश्चात् शासक दल की कार्यकारी समिति ने एक दस सूत्रीय कार्यक्रम पारित किया था और उसमें एक मद आयात तथा निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का था। क्या सरकार ने उस निर्णय पर विचार किया है और क्या सरकार निकट भविष्य में उसे क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : बात यह है कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकार किया है जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों का स्थान है। यह दल के मामलों पर चर्चा करने का स्थान नहीं है।

Shri Rabi Rai : Whatever you anounce will not be implemented.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The present investment in the S. T. C. is of the order of Rs. 2 crores and its volume trade this year has reached to Rs. 32 crores from Rs. 13 crores during the last year.

भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के लिये पानी के मीटर

*542. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के लिए 5,18,578 रुपये के मूल्य के पानी के मीटर 1962 और 1963 में खरीदे गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये मीटर 31 दिसम्बर, 1966 तक प्रयोग नहीं किये गये थे।

(ग) क्या ये मीटर दोषपूर्ण पाये गये थे लेकिन निर्माताओं ने उन्हें लेने से इन्कार कर दिया था; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस हानि के लिये जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए कोई जाँच की गई थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) ये मीटर जनवरी, 1962 से सितम्बर, 1964 के बीच खरीदे गये थे।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा खरीदा गया कोई भी पानी का मीटर खराब नहीं पाया गया है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से जानकारी प्राप्त हुई है कि कोई भी वाटर मीटर खराब नहीं पाया गया था। कुछ मीटर रास्ते में खराब हो गये थे और वे बाद में संभरण कर्ताओं द्वारा बदल दिये गये थे।

Shri Prem Chand Verma : Is it a fact that the officers of the Hindustan Steel purchased 5972 water meters during 1962-63 for the employees of Durgapur Plant and that upto 31st March, 1966 only 190 meters were used while the cost of these meters had gone to Rs. 7,78,078 including the interest?

Is it also a fact that all the meters supplied by the firm were defective and that later they refused to take them back while the payment had been made to the firm wthout carrying out any proper checking and the man who had concluded the deal had already disappeared ?

The interest on the money spent on the purchase comes to Rs. 195,000. In this way this amount comes to Rs. 6,58,000 and that to Rs. 7,78,000. Thus the total amount involved is Rs. 14,36,660. May I know whether any enquiry has been held into it and whether any person or persons have been held responsible?

Dr. Chenna Reddy : Two or three questions have been raised in it. Purchases have been effected during the period 1962-64. Order had been placed during 1960-61 and it was not that the purchases had been made during that period. Secondly, the meters were not defective at the time of supply. They were damaged in the transit and those were replaced by the suppliers.

As regards the installation of the meters immediately, I am to submit that the labourers in whose houses these were to be installed resisted their being installed as in that case they would have to pay for water which they did not like to pay. To say that the management did not install any meter in the building of an employee is not correct. 860 meters have been installed in Bhillai. In Durgapur meters have been installed in the houses of employees drawing more than Rs. 1000 per month.

Shri Prem Chand Verma : In the Report it is given that only 190 meters had been installed. I want to know whether the Government report is correct or the Audit Report which has been supplied to us is correct. Was it not foreseen that the employees would resist the installation of the meters ?

Dr. Chenna Reddy : Audit Report is also correct , because that relates to the subject upto 1966. Installation was undertaken in March, 1967. Therefore, what I am stating is correct.

They were asked to supply in 1960 and 1961 and they were purchased during the period 1962 to 64. Management had no idea that the installation of meters will be resisted by the workers. Therefore the delay of one year was due to the worker's resistence.

Shri Ram Charan : Were these meters purchased through D.G.S. and D. or directly by the officers ?

Dr. Chenna Reddy : The Public Sector people purchased them direct.

Shri A. B. Vajpayee : The meters had been lying idle even prior to the workers resistence. Has any officer been held responsible for this?

Dr. Chenna Reddy : It is correct that they were not installed soon after the purchase. I do not want to defend anybody. I will certainly look into the question as to why they were not immediately installed. As regards the worker's resistence we believe in winning them over by pursuation.

Shri Manubhai Patel : Why these meters were purchased in excess of the requirement.?

Dr. Chenna Reddy : Order was not in excess of the requirement. It is clear.

राज्य व्यापार निगम

†*543. **डा० रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम आयात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ।

(ख) राज्य व्यापार निगम पहले ही इन्सानी बालों से विग (नकली बाल), बिगलैट तथा फाल बनाने के कार्य में लगा हुआ है। राज्य व्यापार निगम निर्यात करने के लिये मशीनों से जूता बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की योजना बना रहा है।

डा० रानेन सेन : राज्य व्यापार निगम के सभापति ने समाचार पत्रों को कुछ समय पूर्व बताया कि निगम निर्यात के सामान के उत्पादन को बढ़ाने वाला है। क्या उसका कार्य बढ़ाने की योजना है ?

श्री मु० शफी कुरैशी : जब निगम इस कार्य को ठीक समझेगा, वह ऐसा करेगा। इस समय कोई ऐसी योजना नहीं है।

डा० रानेन सेन : यह समाचार मिले हैं कि कुछ पूर्वी यूरोप के देशों ने यहाँ का भेजा हुआ सामान वापिस कर दिया क्योंकि वह अच्छा नहीं था। इस बारे में लोक लेखा समिति ने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिये। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या निगम निर्यात के सामान का उत्पादन करेगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : राज्य व्यापार निगम विग, विगलेट तथा जूतों का उत्पादन कर रहा है। जूतों के उत्पादन का लक्ष्य 1 करोड़ जोड़े जूते हैं। इसमें राज्य व्यापार निगम ने एक कारखाना 10 लाख जोड़े जूते बनाने के लिये एक कारखाना खोला है तथा 90 लाख जोड़े जूते गैर सरकारी क्षेत्र में बनेंगे ताकि ठीक किस्म का माल भी मिल सके और दोनों क्षेत्रों में उचित मुकाबला भी रहे।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गैर-सरकारी क्षेत्र में बहुत से व्यक्ति कदाचार से कार्य कर रहे थे, व्यापार के राष्ट्रीयकरण की बात हो रही थी। पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने को तैयार हैं ?

श्री शफी कुरेशी : सारे निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना नहीं है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : राज्य व्यापार निगम संस्था के अनुच्छेदों के अनुसार निगम का काम व्यापार करना है न कि उत्पादन करना। फिर सरकार उत्पादन के कार्य में आने के बजाय उत्पादकों को तकनीकी सहायता क्यों नहीं देती ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

जब उत्पादक व्यापार कर सकते हैं तो उत्पादक भी व्यापार कर सकते हैं। यह कार्य एक अच्छा नमूना कायम करने के लिये किया जा रहा है और इसमें कोई खराबी नहीं है।

Shri Om Prakash Tyagi : Is it a fact that STC is setting up selling centres in the Capitals of foreign countries ? Will it not hurt the private exporters?

Shri Shafi Qureshi : These selling centres will boost our export trade.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार तिरुपति में, जहाँ कि इन्सानी बात सब से अधिक मिलते हैं एक विग बनाने का कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मद्रास में एक कारखाना लगा दिया है जो कि तिरुपति के निकट है। इसलिये तिरुपति में कारखाना स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम नाईलोन तथा नाईलोन के रेशे आयात करता है तथा बाद में उसे निर्यात करता है। यदि हाँ तो उसमें निर्यात तथा आयात मूल्यों में कितना अन्तर है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : कई प्रकार के नाईलोन होते हैं। इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये।

Shri George Fernandes : Sir, has the STC constructed godowns for storing its items of import and export? The Director of STC when he visited Bombay is reported to have spent Rs. 600 in the air-conditioned taxi when he reached for a godown for imported sulphur.

Shri Shafi Qureshi : We are inquiry this matter about Rs. 600 - About godowns we are making all arrangements in this connection.

श्री हेम बरुआ : पीछे रूस ने 50,000 जोड़े जूते वापिस किये। क्या राज्य व्यापार निगम माल की किस्म सुधारने का कोई कार्य कर रहे हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम ने जूते बनाने का कार्य करने का फैसला किया है ताकि अन्यों के लिये नमूना हो सके। राज्य व्यापार निगम ने किस्म सुधारने का कार्य लिया है तथा यह भी देखता है कि कार्य ठेके के अनुसार ही हो।

Shrimati Lakshmikanthamma : Since Indian wigs are in great demand in foreign countries, will Government raise the price of wigs ?

Shri Shafi Qureshi : The price of one kilo of wigs is the same as that of one Kilo of silver. We had order for the export of wigs worth for Rs. 17 crores. Out of it we exported it to the tune of Rs. 60 lakhs.

Shri Shiv Charan Lal : What profit has been earned in the export of wigs ?

Shri Shafi Qureshi : We earned much profit. Since it is a trade secret, I cannot disclose the profits .

Shri Madhu Limaye : Sir, whether Government knows that East European countries are indulging in "switch trade" in jute and textiles and if so what steps are being taken by Government to stop it ?

Shri Shafi Qureshi : Since the S T C does not export jute and textiles, the question of "switch trade" in thsoe articles does not arise.

बैंकिंग कम्पनियों से भिन्न कम्पनियाँ

544. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग कम्पनियों से भिन्न ऐसी औद्योगिक और वाणिज्य कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकाल और दीर्घकाल के लिए रुपया जमा करने की अनुमति दी गई है;

(ख) 31 मार्च, 1967 तक इन फर्मों के पास कितनी धन राशि जमा की गई थी और उस राशि पर किस दर से ब्याज दिया गया ;

(ग) रुपये जमा करने की स्वीकृति जिन फर्मों को दी गई थी क्या उनमें से किसी फर्म ने अपना दीवाला निकाल दिया है;

(घ) क्या इनमें से कुछ फर्मों द्वारा निश्चित तिथियों पर ब्याज और पूंजी की राशि न दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या ऐसी फर्मों के पास धन जमा करने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रभावशाली कार्यवाही करने का सरकार विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नान-बैंकिंग कम्पनियों को जनता से जमा प्रतिग्रहण करने के लिये, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नान-बैंकिंग, वित्तीय रहित कम्पनियों से प्राप्त विवरिणीयों के अनुसार, मार्च, 1965 के अन्त तक, 1569 कम्पनियों के पास कुल 160.23 करोड़ रुपये जमा थे। बाद के समय की सूचना जभी प्राप्त हो सकती है, जब रिजर्व बैंक विवरीणीयों को प्राप्त तथा संकलन करे। ब्याज की दर, 5 तथा 12 प्रतिशत के मध्य ठहरती है ।

(ग) विभाग के पास वर्तमान प्राप्य सूचना के अनुसार, ऐसी तीन कम्पनियों का परिसमापन हुआ है ।

(घ) हाँ, श्रीमान ।

(ङ) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है। [देखिये संख्या एल० टी० 1915/67]

केन्द्रीय सरकार, जमा कर्त्ताओं को जमा वापिस दिलाने और ब्याज दिलाने के लिये (कम्पनी को) बाध्य नहीं कर सकती। भारतीय रिजर्व बैंक ने, अपनी अधिसूचना, दिनांक 29-10-1966, जिसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर प्रस्तुत है, के अनुसार, कुछ शर्तें तथा बंधन लागू करने के लिये, निदेश प्रेषित किये थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण के अलावा, कम्पनी विधि बोर्ड भी शिकायतों या अन्य बातों पर, इन कम्पनियों का निरीक्षण करता रहा है। ऐसे निरीक्षणों के फलस्वरूप, यदि किसी केस में फौजदारी अपराध पाये गये है, तो यह केस पुलिस के हवाले कर दिये गये है। जहाँ कम्पनी के अधिनियम उपबन्धो का अतिक्रमण हुआ है, वहाँ कानून के अधीन, कम्पनी रजिस्ट्रारों को कार्यवाही करने को कहा गया है। धारा 391 के अधीन ऋण-दाताओं तथा जमाकर्त्ताओं के साथ ठहराव पर समझौते से संबंधित उच्च न्यायालयों को दायर की गई याचिकाओं के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार, जमाकर्ताओं के हित को सुरक्षित करने के लिये विभाग के पास प्राप्त संबंधित सूचनाओं तथा तथ्यों को उच्च/न्यायालय के नोटिस में लाते हुये, धारा 394ए के अधीन प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

Shri George Fernandes : When there are several banking companies in the country, when there is State Bank of India—which is a Government bank and when we are talking of nationalising the banks and social control over them, why these 50-60 companies are being allowed to invite deposit to the tune of rupees 150 crores at the rate of 5 to12 per cent interest? Why Government are not taking a decision not to allow the no-banking institution to receive deposits ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): I do not see any harm in receiving deposits for the purposes like hire-purchase system, when there is difficulty in getting money firm other sources .

Shri George Fernandes : I have not said anything about hire-purchase. For instance the Indian Express newspaper is inviting deposits at the rate the 11 percent interest and similarly there are other companies which are inviting deposits from the public instead of taking loans from banks because they have to deposit securities with banks against the loan taken whereas they are not required to deposit any security for inviting deposits from the public. Therefore I want a clear reply.

Shri F. A. Ahmed : This a question of faith and people have faith in them, I do not see any harm in receiving deposits by these companies for development works.

Shri George Fernandes : Is he aware that out of these 50-60 companies three or four companies are under liquidation? May I know whether any complaints has been received that 100 persons of Bombay deposited their money with a Delhi firm and after one year that firm came into liquidation. Now when they demand their money back, they are not even given any reply by that firm. Inspite of these facts they are being allowed to invite deposits.

According to the statement laid on the Table of the House a provision has been made for exemption. May I know whether Government are prepared to take steps to get the money insured, deposited with such company so that the depositers may get their money back even after the liquidation of such companies? May I also know whether Government are prepared to take severe action against the directors who involve in cheating activities?

Shri F. A. Ahmed : It is wrong to say that an amount of Rs. 160 crores is with only 50 companies. The figure given by us is 1569, there is no question of 50 companies in it.

So far as Reserve Bank is concerned, according to the directions issued by them these companies have to work under certain directions. Whenever it comes to our notice or to

the notice of the Reserve Bank of India that they have violated the directions, we take action against them.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : इस समस्या के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि जो कम्पनियां धोखा देती हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। दूसरा यह कि वास्तविक प्रमुख औद्योगिक कम्पनियों को अपना कार्य चलाने के लिये ऋण की आवश्यकता होती है और पर्याप्त ऋण न मिलने पर.....

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात को दोहरा रहे है, आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि वास्तविक औद्योगिक कार्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध ढीले किये जाने चाहिए।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध इन कम्पनियों से वित्तीय सहायता लेने वाले उद्योगों के हित में हैं। जब कभी किसी कम्पनी द्वारा किये जाने वाले कदाचार का पता सरकार को या रिजर्व बैंक को चलता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

Shre Onkar Lal Berwa : How many companies were challaned in Delhi for involving in cheating?

Shri F. A. Ahmed : Criminal cases are pending against 8 companies.

पालघाट जिले में सूक्ष्म औजार बनाने का कारखाना

546. **श्री चक्रपाणि** : **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री नायनार :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में पालघाट जिले में पुडुसेरी में सरकारी क्षेत्र में सूक्ष्म औजार बनाने की एक कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो चौथी योजना में इस कारखाने के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) तीसरी योजना की अवधि में इस कारखाने की स्थापना का कार्य पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :

(क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सोवियत रूस की सहायता से पाडुसेरी (पालघाट) में इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा (सरकारी क्षेत्र का एक कारखाना) द्वारा एक मशीनी औजार संयंत्र की स्थापना करने के लिये प्रोमाश एक्सपोर्ट, मास्को से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिये अगस्त 1966 में सरकार ने स्वीकृत दे दी थी। इस परियोजना के जिस पर लगभग 9 करोड़ रुपया लगने का अनुमान है 1970 तक पूरी हो जाने की आशा है। कोटा तथा पालघाट की इन दोनों परियोजनाओं में इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे की रूप रेखा में 13.2 करोड़ रु० का विनियोजन सम्मिलित कर लिया गया है। मार्च, 1967 के अन्त तक केरल पालघाट योजना पर 32 लाख रु० खर्च करने का वादा किया गया है।

श्री चक्रपाणि : क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित यह समाचार सच है कि यह कारखाना केरल से किसी अन्य स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री चक्रपाणि : कोटा तथा पालाघाट में कारखानों की मंजूरी दी गई है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि ये कारखाने कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कोटा में कारखाना स्थापित करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। अगले वर्ष तक इसके पूरा हो जाने की आशा है और इसमें उत्पादन होने लगेगा। यदि इसमें कुछ और राशि लगा दी जाये तो अन्य एक कारखाना स्थापित करने के बजाय यह लाभ-प्रद रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार तथा धन की व्यवस्था होने तक केरल के कारखाने का कार्य स्थगित किया गया है।

श्री वासुदेवन नायर : इस कारखाने को स्थगित क्यों किया गया है ? सरकार इस कारखाने का कार्य कब आरंभ करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह अभी आरंभ नहीं किया जा सकता है। चौथी पंचवर्षीय योजना पर विचार करते समय हम इस पर भी विचार करेंगे।

श्री श्री धरन : चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कारखाने के लिये कितनी राशि नियत की जायेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : विवरण में दो कारखानों का—एक कोटा में और दूसरा केरल में, उल्लेख है। इन दोनों कारखानों पर 15.9 करोड़ व्यय होने का अनुमान है। कोटा का कारखाना स्थापित किया जा रहा है और उसमें अगले वर्ष से उत्पादन होने लगेगा। केरल के कारखाने को वर्ष 1970 तक पूरा हो जाने की आशा थी। किन्तु धन की कमी तथा माँग की कमी के कारण अब केरल में कारखाना स्थापित करना संभव नहीं है। हम कोटा में कारखाना तैयार करके उससे अपनी आवश्यकता पूरी करना चाहते हैं।

Loan to Dalmia Cement Factory

547. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a sum of about Rs. 12 million has been advanced as loan to a cement factory owned by the Dalmias ;

(b) whether it is a fact that the interest was charged on Rs. 4 million only out of the above amount at the rate of 4 per cent ;

(c) whether it is also a fact that some land has also been allotted to the factory ; and

(d) if so, the details of the loan advanced and the land allotted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs: (**Shri Bhanu Prakash Singh**) : (a) to (d) The Dalmia Group of Cement Factories are located in the States of Orissa, Haryana and Madras. It is not known as to which factory the Hon'ble Member is referring to. The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Shri Hukam Chand Kachwai : My question is about all the cement factories owned by the Dalmias. I gave notice of this question before 21 days but the information asked

for has not been given. What are its reasons ? May I know how many factories have been set with this loan?

The Minister of Industrial Development and Company affairs (Shri F. A. Ahmed) It has already been stated that cement factories owned by Dalmias are situated in several states. We have asked for the information from the respective States about the amount of loan given to them and it will be laid on the Table of the House when received.

Shri Hukam Chand Kachwai : Why the information has not so far been collected so far, when the notice of this question was given before 21 days ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि डालमिया की एक सीमेन्ट फैक्टरी को लगभग एक करोड़ बीस लाख रुपए का ऋण दिया गया है। इसीलिये हमने यह उत्तर दिया है कि हमें मालूम नहीं है कि किस फर्म को यह ऋण दिया गया है.....

Sri Ram Sewak Vadav : Sir, I rise on a point of order.

अध्यक्ष महोदय: कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जायेगा।

श्री फखरुद्दी अली अहमद: उत्तर में बताया गया है कि डालमिया की सीमेन्ट फैक्टरियाँ कई राज्यों में है, माननीय सदस्य किस फैक्टरी का उल्लेख कर रहे हैं। फिर भी हम इन फैक्टरियों को दिए गए ऋण के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Shri Rabi Ray : The Dalmia Jain Company was charged with the evasion of income tax. I want to know from the hon. Minister why they are advancing loans to this group of four companies, particularly after the appointment of the Vivian Bose Commission, when these firms are already facing several charges and they have lost their goodwill.

Shri F. A. Ahmed : There is no question of advancing loan now for it has already been advanced. The details of loans advanced to each firm have been asked for and will be laid on the Table on receipt of the information.

Shri Rabi Ray : I want to know whether the Dalmia Jain concern was advanced any loan for setting up a Cement Factory ; and if so, the amount of loan advanced to them and whether any site was also allotted to them for the purpose and if so, the accreage and the location thereof.

Shri F. A. Ahmed : The question involved is when it was advanced, and it is not possible for me to answer this question until I receive the requisite information in this regard.

श्री क० लकप्पा : मैं सरकार की ऋण देने की नीति के बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूँ क्योंकि वह पूंजीपतियों को कम ब्याज की दर पर ऋण देकर उनका समर्थन कर रही है और आम जनता को ऊँची दर पर ऋण देकर उसका खून चूस रही है। क्या समाजवादी की यही उसकी नीति है ?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल है।

श्री फखरुद्दीन अली अमहद: किसी को कम ब्याज की दर पर और किसी को ज्यादा दर पर ऋण देने का कोई सवाल नहीं है। सरकार भेद-भाव की कोई नीति नहीं बरत रही है और हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है जिसमें भेद-भाव हो। विभिन्न उद्योगों के लिये निर्धारित दर के अनुसार ब्याज-दर ली जाती है और किसी को भी रियायती दर पर ऋण नहीं दिया जाता।

श्री देवव्रत बरुआ: क्या यह सच है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए का ऋण दिया गया था लेकिन ब्याज केवल 40 लाख रुपयों का ही लिया गया वह भी 4% की दर पर जो कुल लगभग

1 % बैठता है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि औद्योगिक वित्त निगम सहकारी उद्योगों तक को ऋण देने की स्थिति में नहीं है और आसाम स्थित सहकारी जूट मिल तक से 7 % ब्याज लिया जाता है और सरकार भी जब जनता से ऋण लेती है तो उसे भी वह लगभग इतना ही ब्याज देती है। क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि ऐसा कोई उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत बड़े-बड़े उद्योगपतियों को 1 अथवा 2 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिए जाते हैं?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: पहली बात तो यह है कि मेरे पास जानकारी मुख्य प्रश्न के सम्बन्ध में है.....

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऋण 1 प्रतिशत ब्याज-दर पर दिया गया है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: मुझे इसका पता नहीं है।

श्री कृष्णमूर्ति: माननीय मंत्री जी सच बात नहीं बता रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वह जानकारी एकत्रित करने के इच्छुक हैं अथवा नहीं। जहाँ तक डालमिया फर्म का सम्बन्ध है, उसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है और सरकार अपेक्षित जानकारी बिना किसी दिक्कत के और बहुत जल्द प्राप्त कर सकती है कि उन्हें भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों से किस-किस वर्ष कुल कितना ऋण मिला। मंत्री जी को यह जानकारी बड़ी सरलता से मिल सकती थी लेकिन वह इसे रोक रहे हैं। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय आप ही मंत्री जी से कुछ कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं मंत्रियों को यह सलाह तो नहीं दूंगा कि वे जानकारी के लिए गैर-सरकारी कम्पनियों में जायें। मैं पहले कह चुका हूँ कि वह जानकारी एकत्रित करें और उसे सभा-पटल पर रख दें।

श्री कृष्णमूर्ति: सचिवालय में अधिकारी लोग हैं, वे इन कम्पनियों से सम्पर्क बना सकते थे, वे वहाँ जा सकते हैं और कम्पनी का निरीक्षण कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह सच है कि इन चार कम्पनियों को अथवा प्रत्येक राज्य में स्थित कारखानों को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ऋण दिए गए हैं? मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार ने इस वर्ष अथवा पिछले वर्ष कोई ऋण दिया था और यदि हाँ, तो उसने डालमियां फर्मों को कितनी राशि का ऋण दिया?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: यह जानकारी एकत्रित की जा रही है।

Shri Srichand Goel : The hon. Minister has stated that the information is being collected. So far as the loan advanced by the Central Government is concerned, they have not to collect the information from outside. I want to know the amount the Central Government have advanced to these concerns and also on what amount no interest has been charged or concessional rate has been charged.

Shri F. A. Ahmed : Central Government do not advance any loans. These are advanced by the Financial institutions.

चीनी के आक्रमण के दौरान रेलगाड़ियों का चलना एवं उनका कार्य-संचालन

†*548. **श्री जगन्नाथराव जोशी:** **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1962 में हुए चीन के आक्रमण और 1965 में हुए पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान कुछ मार्गों पर रेलगाड़ियों को चलाने तथा उनके कार्यसंचालन के बारे में कुछ कठिनाइयाँ अनुभव हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या-क्या कठिनाइयाँ अनुभव की गई थीं तथा उन्हें दूर करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Shri Jagannath Rao Joshi : During the Indo-Pak. conflict in 1965 the lives of those railway employees who performed their duties on certain routes in the border areas of Rajasthan and Panjab, were in danger. I want to know whether the Railway Administration has considered the question of extending the insurance facilities to such employees also and if not, the reasons therefor?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध आपात के दौरान कुछ मार्गों पर रेलगाड़ियों को चलाने तथा उनके कार्यसंचालन में हुई कठिनाइयों से है। इस सम्बन्ध में कि आपात के दौरान इन रेलवे कर्मचारियों को किस किस्म का संरक्षण दिया जाये, विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया है। इस मामले पर विचार किया गया था और काम कर रहे कर्मचारियों के लिए युद्ध जोखिम बीमा की आवश्यकता आवश्यक नहीं समझी गई है और वह व्यावहारिक नहीं है।

Shri Jagannath Rao Joshi : It was part of the operational difficulties. Of course, during the emergency, the risk is not only to such railway employees or running staff but to the travellers also. But there are so many railway employees who had loose their lives during the emergency. If war risk insurance is not found feasible in the case of such emlopyees, some amendment could at least be made in the existing rules so that these could be applied to them. I want to know whether the Government are giving a thought to this matter.

श्री चे० मु० पुनाचा: यह सच है कि आपात के दौरान केवल रेलवे कर्मचारियों की जानें ही नहीं अपितु यात्रियों की जानें भी खतरे में रहती हैं। इसलिये यह एक बहुत व्यापक सवाल है और इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल रेलवे कर्मचारियों से ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति से है। इस प्रश्न पर मोटे तौर पर विचार किया गया था। ऐसे अवसरों पर युद्ध जोखिम बीमा से नहीं बल्कि अन्य उपायों से काम लेना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि जब दुर्घटनायें होती हैं, तो उन व्यक्तियों को जो ऐसे जोखिमों से पीड़ित होते हैं अथवा उनके शिकार हो जाते हैं, मुआवजा उस अलग प्रक्रिया के अन्तर्गत दिया जाता है जो भारतीय रेलवे अधिनियम में निर्धारित है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत एक दावा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है जो हर मामले की जाँच करता है और तब तय करता है कि किस मामले में कितना मुआवजा दिया जाये, इस प्रक्रिया के अनुसार वाजिब मुआवजा दिया जा रहा है।

Shri A. B. Vajpayee : May I know whether it is a fact that on account of metre gauge, much difficulty was experienced in the transport of goods and the despatch of troops to the border areas in Assam and those in Rajasthan which are contiguons to Pakistan during the Chinese agression in 1962 and the Indo-Pak. conflict in 1965 ? I want to know whether any proposal to lay broad gauge lines in these areas is under consideration of this Ministry?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी, हां, प्रतिरक्षा मंत्रालय से परामर्श करके यह काम किया जा रहा है। वह रेलवे मंत्रालय में जो व्यवस्था करवाना चाहते हैं, वह की जाती है।

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know from the Railway Minister whether the activities of some railway employees were found of suspicious nature during the Chinese and Pak. agressions, and whether the Railway Ministery have taken any action against them and if so, the nature of action taken and number of persons against whom it was taken.

श्री चे० मु० पुनाचा: ऐसे कुछ मामले हमारे नोटिस में आये और उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। बाद में भी, गुप्तचर विभाग माध्यम से हमें कुछ रिपोर्ट मिली हैं और उन्हें नौकरी से हटाने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की गई है।

श्री हेम बरुआ : वर्ष 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण के बाद पाकिस्तान के साथ हमारा रेल सड़क संचार व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है और अब तक बन्द है। क्या इन लाइनों को फिर से खोलने के बारे में सरकार ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह परिवहन तथा संचार दोनों के बारे में पुनः सामान्य स्थिति लाने के लिये पाकिस्तान के साथ बातचीत का अंग है।

श्री बलराज मधोक : चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में रेलों की तोड़फोड़ के कितने मामले हुए ? क्या उनके बारे में कोई जाँच की गई है और यदि हाँ, तो जाँच निष्कर्ष क्या हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार उस समय तोड़फोड़ की कोई घटनायें नहीं हुईं।

श्री रूपनाथ ब्रह्मा : आसाम में परिवहन की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, जहाँ शेष भारत के साथ उसका सम्पर्क पाकिस्तान और चीन के बीच एक छोटे मार्ग से है, क्या मंत्री महोदय पूर्वी पाकिस्तान से होकर विभाजन से पूर्व वाली रेलवे लाइन को पुनः चालू करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जैसा मैं पहले बता चुका हूँ सुरक्षा के पहलू को ध्यान में रखते हुए जो भी आवश्यक हो, प्रतिरक्षा मंत्रालय के परामर्श से रेलवे द्वारा ऐसे निर्माण कार्य किये जाते हैं।

श्री म० ला० सोंधी : क्या एक व्यक्ति जिससे सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक समझकर सेवा से हटा दिया गया था, वास्तव में खान अब्दुल गफ्फार खां का अनुयायी था ?

श्री चे० मु० पुनाचा: इस मामले के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

अल्प सूचना प्रश्न

Short Notice Question

एण्टीबायटिक्स कारखाना, ऋषिकेश

11. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषिकेश स्थित एण्टीबायटिक्स कारखाने द्वारा लगभग 50 लाख रुपये का शीघ्र खराब होने वाला कच्चा माल खरीदा जाता है;

(ख) क्या रूस में प्रशिक्षित औद्योगिकी विज्ञों (टैक्नालाजिस्ट) को तंग किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इस कारखाने में कुप्रबन्ध के विरुद्ध शिकायत की थी ;

(ग) क्या इसकी कोई जाँच की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी, नहीं, ऐसे कच्चे माल के वर्तमान स्टाक का मूल्य, जो अधिक समय तक रखे जाने पर खराब हो जाता है, 33.16 लाख रुपए है। यह परियोजना के लिये परियोजना प्रतिवेदन में दी गई आवश्यक स्टाक सीमा के अन्दर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विज्ञापन, इन्टरव्यू आदि के बारे मे निश्चित प्रक्रिया को अपनाये बिना अधिकांशतः भिलाई से अल्प योग्यता प्राप्त तथा अनुभवहीन अधिकारी लाये जाते हैं तथा एक हजार कर्मचारियों के हस्ताक्षरों से प्रबन्धकों के कदाचारों के विरुद्ध प्राप्त हुए वक्तव्य, और विशेष रूप से डिप्टी चीफ इंजीनियर के अनुचित्र तबादलेको ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री महोदय इन आरोपों के बारे में कोई गंभीर कार्यवाही करेंगे जबकि डिप्टी जनरल मैनेजर (टैकनीकल) के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा की जा रही जाँच में बाधा डालने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं ?

श्री रघुरामैया : क्या वे एक अधिकारी श्री चारी के बारे में कह रहे हैं?

श्री ही० ना० मुकर्जी : मुझे नाम नहीं मालूम है।

श्री रघुरामैया : कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी जाँच की गई है और हमें सलाह दी गई है कि इन शिकायतों का कोई आधार नहीं है।

भर्ती के बारे में हम विचार कर रहे हैं। हमारे मान्यता प्राप्त एक कर्मचारी संघ ने अधिकारियों के विरुद्ध बहुत अनुत्तरदायित्वपूर्ण आरोप लगाये हैं और हमने देखा है कि उनमें से किसी में भी सच्चाई नहीं है।

श्री ही ना० मुकर्जी : केन्द्रीय जाँच विभाग कुछ जाँच कर रहा था। हमें विभिन्न साधनों से पता चलता रहता है कि इस कारखाने को गलत आदमियों के हाथ में रखने के कारण बारबार बन्द किये जाने के समाचार मिलते रहते हैं। ऐसे समाचार भी मिले हैं कि कैंसर विरोधी औषध "जवाहरीन" बनाने सम्बन्धी आवश्यक कागजात खो गये हैं और इसके बारे में पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 35 करोड़ रुपये के इस कारखाने को बचाने के लिये जिसे हमारी अर्थ-व्यवस्था में एक मौलिक योगदान करना था, कुछ किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अशोक मेहता) : इस प्रश्न से मुझे आश्चर्य हुआ है क्योंकि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को कुशल ढंग से गठित किया जा रहा है। मैं श्री इन्द्रजीत सिंह का बहुत आदर करता हूँ, जिन्होंने भिलाई कारखाने में बहुत सराहनीय कार्य किया है और वे अब इस कम्पनी के प्रधान हैं और हम इसे अत्यवस्था से निकाल रहे हैं। इसमें कुछ लोगों का तबादला तो होगा ही, कुछ पुनर्गठन करना होगा और मैं इस सभा में चाहूँगा कि प्रधान का

समर्थन किया जाये। क्योंकि उनके मूल्य को कार्यपरिणाम से आँकना चाहिए। मैंने उनके साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया है और मैं तथा मेरे सहयोगी ऋषिकेश, हैदराबाद और मद्रास के दौरे के बाद पूर्णतः सन्तुष्ट हैं कि जो भी कदम उठाये जा रहे हैं वे इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के हित में हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी: अध्यक्ष महोदय' मैं जानकारी चाहता हूँ। मुझे श्री इन्द्रजीत सिंह—मैं उन्हें जानता भी नहीं—अथवा किसी अन्य से कोई मतलब नहीं। मुझे समाचार मिला है कि भारत ने कैंसर निरोधी औषध बनाई थी, जिसके बनाने से सम्बन्धी आवश्यक कागज गुम हो गये हैं और पुलिस को भी सूचित नहीं किया गया है। मुझे केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा जाँच के समाचार भी मिले हैं। इन सब को देखते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री रघुरमैया : कागजों के गुम हो जाने के बारे में एक प्रश्न था, यह मुझे याद नहीं है कि इस सभा में अथवा दूसरी सभा में। वास्तव में गलती से कागज फेंक दिये थे, जान बूझकर ऐसा नहीं किया गया था। जाँच-निष्कर्ष यही था।

केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा जाँच–अधिकारी के आचरण के बारे में नहीं अपितु कारखाने को तोड़ने-फोड़ने के बारे में थी। बम्बई फर्म के अहाते में कुछ कागज पकड़े गये लेकिन यह आरोप प्रमाणित नहीं हुआ कि कारखाने को तोड़ने-फोड़ने का षड्यंत्र था।

श्री स० मो० बनर्जी: क्या यह सच है कि प्रधान अथवा प्रबन्ध निदेशक ने पानी लेने की मशीन (वाटर इंटेक प्वाइंट) के टूट जाने के बारे में जाँच नहीं कराई, जिसके कारण कारखाना एक महीने से अधिक समय तक बन्द रहा, क्योंकि श्री सी० एन० चारी, उपमहाप्रबन्धक उनके चाहते अधिकारी हैं। इसके क्या कारण थे ?

श्री अशोक मेहता: असाधारण बहाव के कारण मशीन टूटी थी। इस मामले पर सावधानी पूर्वक जाँच की गई है। कुछ निर्माण सम्बन्धी दोष पाये गये और वे ठीक किये जा रहे थे। सम्पूर्ण मामले पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सीमेन्ट आवंटन और समन्वय संगठन द्वारा उड़ीसा के मुख्य मंत्री को दान

*545. **श्री श्रद्धाकर सूषकार** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट आवंटन और समन्वय संगठन ने पिछले सामान्य निर्वाचनों के समय उड़ीसा के वर्तमान मुख्य मंत्री को एक लाख रुपये का दान दिया था: और

(ख) क्या संगठन ने यह धन राशि सीमेंट उद्योग के विकास के लिए रखे गये कोष में से खर्च की ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) संगठन ने यह रिपोर्ट की है, कि उसके अध्यक्ष ने 29 दिसम्बर, 1966 को श्री आर० एन० सिंह देव को 2 लाख रुपये दान दिये थे। यह दान, स्वतंत्र पार्टी को योगदान सूचित किया गया है।

(ख) उपरोक्त राशि उन 31.16 लाख रुपये के धन का एक भाग था, जो सीमेंट आबंटन और समन्वय संगठन के अध्यक्ष के पास 1966 के वर्ष में संगठन के लक्ष्य के बाहर उसके स्वयं के निपटान पर निर्धारित थी। राशि का एक भाग, वास्तव में, उस सम्पूर्ण राशि से अलग है, जो अतिरिक्त प्रसार आरक्षण के लिये प्रयोग की जानी थी।

रेलवे अधिकारियों को लेखा पद्धति के यन्त्रीकरण में प्रशिक्षण देने के लिये अमरीका भेजना

*549. **श्री पं० गोपालन :**
श्री अब्राहम :
श्री उमानाथ :
श्री विश्व नाथ मेनन :
श्री राममूर्ति :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में लेखा पद्धति के यन्त्रीकरण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कितने अधिकारियों को संयुक्त राज्य अमरीका भेजा गया है;

(ख) 1962–63 से वर्ष-वार उन पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) भुगतान रुपयों में किया गया था अथवा डालरों में; और

(घ) अधिकारियों के चयन की कसौटी क्या थी और अब उनको कहाँ पर नियुक्त किया गया है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) केवल इस प्रशिक्षण के लिये किसी को नहीं भेजा गया था। तथापि, 1965–66 और 1966–67 में "शिखर प्रबन्ध प्रशिक्षण" के लिये अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका भेजे गये चार अधिकारियों ने अन्य बातों के साथ-साथ अमरीकी रेलों में वर्तमान लेखापालन पद्धति के यन्त्रीकरण के पहलू का भी अध्ययन किया।

(ख)	1962–63	शून्य
	1963–64	शून्य
	1964–65	शून्य
	1965–66	23,500 (लगभग)
	1966–67	57,600 (लगभग)

(ग) (एक) सम्पूर्ण व्यय भारत में रुपयों में किया गया।

(दो) चार अधिकारियों को 380 रु० तक के यात्री चैक ले जाने की भी अनुमति दी गई थी और प्रत्येक चैक उनके अपने धन का था।

(घ) (एक) उनकी अर्हता, वरिष्ठता, अनुभव, पिछली सेवा आदि को ध्यान में रख कर अमरीका में प्रशिक्षण के लिये अधिकारियों को चुना गया था।

(दो) चार अधिकारियों को इस समय नई दिल्ली, चितरन्जन, और पेराम्बूर, मद्रास में भेजा गया है। नई दिल्ली में भेजे गये दो अधिकारियों में से एक को सार्वजनिक उद्यम विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है।

H. M. T. Factory, Bangalore

550. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the output in the Hindustan Machine Tools Factory, Bangalore has gone down considerably and that a major portion of the capacity is not being utilized at present ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the action taken by Government to utilize the full capacity, to secure new orders and to reduce the overhead expenses ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) Due to steep fall in demand for machine tools.

(c) The Company have taken steps to diversify production. They have intensified their sales drive in the country and abroad. There is little scope to reduce the overhead expenses.

रेल के माल डिब्बों के लिये गैर-सरकारी फर्मों को आर्डर दिया जाना

551. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली फर्मों को 1967-68 के लिये माल डिब्बों और रेलवे के अन्य उपकरणों के लिये दिये गये आर्डर उनकी वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये पर्याप्त हैं;

(ख) क्या 1968–69 के लिये अग्रिम आर्डर भी दिये जायेंगे; और

(ग) क्या विभिन्न फर्मों को दिये जाने वाले आर्डर केवल टैंडर के आधार पर दिये जाते हैं या मंदी का मुकाबला करने के उद्देश्य को भी ध्यान में रख कर दिये जाते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) 1967-68 में उत्पादन के लिये माल डिब्बों के लिये उस सीमा तक क्रयादेश दिये गये थे जितना कि सम्भावित यातायात का पूरा करने के लिये अपेक्षित थे और उत्पादन के वर्तमान स्तर पर उनकी क्षमता का उपयोग करने के लिये पर्याप्त थे।

जहाँ तक अन्य रेलवे उपकरणों के लिये गैर सरकारी फर्मों को दिये गये क्रयादेशों का सम्बन्ध है, विस्तृत जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा ।

(ख) माल डिब्बों के निर्माताओं को उनकी स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पहिले ही भेज दिये गये हैं।

(ग) माल डिब्बों के लिये विभिन्न फर्मों के बीच क्रयादेशों का नियतन टेंडरों के आधार पर तथा मंदी को रोकने की दृष्टि से किया गया था।

संसदीय शिष्टमंडल का प्रतिवेदन

552. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह: श्री रणधीर सिंह:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 सितम्बर, 1967 को 20 सदस्यों वाले एक संसदीय शिष्ट-मंडल न अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखाने, रूरकेला, दुर्गापुर तथा भिलाई, को हुए भारी घाटे का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिवेदन में क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने शिष्टमण्डल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) संसदीय शिष्टमंडल के संयोजक नेभिलाई और रूर केला इस्पात कारखानों तथा रांची स्थित हिन्दुस्तान स्टील लि० मुख्यालय के किये गये अपने दौरों के बारे में तीन प्रतिवेदन भेजे है। शिष्टमंडल ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने का दौरा नहीं किया। इन प्रतिवेदनो में वर्ष 1965-66 तक इन कारखानों तथा हिन्दूस्तान स्टील लि० की वित्तीय स्थिति तथा उसके बाद उत्पादन क्षमता से व्यय होने के बारे में उल्लेख किया गया है। इन प्रतिवेदनों में इन कारखानों के कार्य संचलन और श्रमिक स्थिति में सुधार करने तथा उत्पादन बढाने के बारे में कुछ सुझाव दिये गये है। इन को ध्यान में रख लिया गया है और इन्हें जहाँ तक सम्भव हो सकेगा, कार्यान्वित किया जायगा।

जापान को लोह-अयस्क और कोयले का निर्यात

554. **श्री रण धीर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान को लोह अयस्क और कोयले के निर्यात किये जाने के करारों का नवीकरण किया है ; और

(ख) क्या उक्त वस्तुओं के निर्यात किये जाने के परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमता विकास और विश्व बाजार में प्रतियोगिता पर पड़े प्रभावों के सम्बन्ध में सरकार ने कोई जाँच की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद अली कुरेशी) :

i. **कोयला**: (क) जापान को कोयला निर्यात करने का हमारा कोई समझौता नहीं था और इस कारण कोई नवीकरण भी नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ii. **लोह अयस्क** : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी राय के अनुसार भारत लोह अयस्क के पता लगे तथा भावीभण्डारों में सब से आगे के कुछ देशों में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोह अयस्क का निर्यात हम अपनी अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना काफी दिन तक कर सकते हैं ताकि हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके तथा औद्योगिक विकास भी संभव हो सके। संसार की मंडियों में बन्दरगाहों तथा जहाजों में सुधार के कारण कोई भी देश जिनमें भारत भी शामिल है पहले जैसे निर्यात मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता। उसके अतिरिक्त इस्पात की बहुत आवश्यकता है और इस लिये लोह अयस्क का हमारे जैसे देशों के लिये महत्वपूर्ण स्थान है।

चार पहियों वाले वैगन

*555. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 पहियों के वैगनों और 8 पहियों के 55 मीट्रिक टन क्षमता वाले बाक्स वैगनों का प्रयोग पूर्णतया समाप्त होता जा रहा है तथा अमरीका में निर्मित नवीनतम वैगन लगभग 78 मीट्रिक टन माल ले जाते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो अमरीका को 4 पहियों वाले वैगनों के आर्डर देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने अमरीका में निर्मित वैगनों का अध्ययन किया है और क्या वह यह सुनिश्चित करने के लिये कि देश में रेलवे वैगन, डिब्बे आदि पुराने न पड़ जायें, इन आर्डरों तथा भावी खरीद कार्यक्रमों में परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। चौपहिया माल डिब्बों और अठपहिया बी० ओ० एक्स० माल डिब्बो की बराबर आवश्यकता रहती है और आवश्यकतानुसार उनके लिए आर्डर दिये जाते रहे हैं। भारतीय रेलों के पास भारी क्षमता वाले विशेष टाइप के भी माल डिब्बे हैं जिनकी क्षमता 62 से 132 मीट्रिक टन तक है।

(ख) ऐसे माल डिब्बों के लिए अमरीका को कोई आर्डर नहीं दिये गये हैं।

(ग) ऊपर (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए, माल डिब्बों के आर्डर देने के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का सवाल नहीं उठता। फिर भी, रेलवे का अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन नये माल डिब्बों के अभिकल्प बनाने में बराबर जुटा हुआ है, ताकि जिस टाइप के माल डिब्बों का इस्तेमाल हो उनसे इस देश के यातयात की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। अन्य देशों में हुए विकास की जानकारी बनाये रखने के लिये विदेशों में बने माल डिब्बों के अभिकल्पों का भी अध्ययन किया जा रहा है।

सीमेंट का निर्यात

*556. **श्री जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार में पड़ोसी देशों को सीमेंट का निर्यात करने की संभावना का पता लगा लिया है और यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) सीमेंट की कितनी मात्रा का निर्यात करने का विचार है; और

(ग) निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) सीमेंट से 1-1-1966 से कंट्रोल हटा लिया गया है और सीमेंट उद्योग के केन्द्रीय संगठन द्वारा अभी तक सीमेंट का कुछ भी निर्यात नहीं किया गया है। जून, 1968 के अन्त तक 1,80,000 मीट्रिक टन सीमेंट का निर्यात करने का विचार है।

(ग) देश का समस्त उत्पादन जनता और सरकार की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये बहुत काफी होने के कारण निर्यात के लिये काफी सीमेंट उपलब्ध है।

दिल्ली में औद्योगिक बस्तियाँ

557. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आगामी 12 महीनों मे कितनी नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का सरकार का विचार है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली क्लाथ मिल और बिड़ला काटन एन्ड वीविंग मिल के निकट रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य इन मिलों की चिमनियो द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं के कारण बिगड़ रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली के शहरी क्षेत्र से मिलों और कारखानों को हटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) विजवासां में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का एक प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) संबंधित अधिकारियों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सीमेंट पर से नियंत्रण हटाये जाने की व्यवस्था का अनुभव

558. **श्री मोहन स्वरूप :** **श्री० दी० चं० शर्मा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट पर से नियंत्रण हटाये जाने की व्यवस्था का पुनर्विलोकन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इस पर किये गये निर्णय की घोषणा वर्ष समाप्त होने से पहले ही कर दी जायगी।

हल्दिया पत्तन तथा खड़गपुर जंक्शन के बीच रेलवे लाइन

559. **श्री समर गुह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रारंभ में यह निर्णय किया गया था कि पश्चिम बंगाल में हल्दिया पत्तन को खड़गपुर के साथ कोंटाई सब-डिवीजन के भगवानपुर क्षेत्र के बीच से रेलवे लाइन द्वारा मिलाया जायेगा;

(ख) क्या इस कार्य के लिये कुछ प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य किया गया था तथा इस लाइन के निर्माण कार्य में कुछ प्रगति भी हुई थी;

(ग) यदि हाँ, तो प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) क्या अब मूल योजना को त्याग दिया गया है और एक वैकल्पिक रेलवे लाइन मेचेदा हल्दिया का निर्माण किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं। केवल एक वैकल्यिक प्रबन्ध पर विचार किया था जिसके अनुसार जक-पुर से मिलाने की बात थी जोकि खडगपुर के पूर्व में है तथा जिसे पिंगला और मैयना क्षेत्रों में गुजरना था न कि भगवानपुर से। परन्तु उपयुक्त न होने के कारण इस योजना को छोड़ना पड़ा।

(ख) और (ग) पंचकुदा-हल्दिया रेललिक के सर्वेक्षण के ही संबंध में जाकपुर से पिंगला तक लगभग २२ किलोमीटर की प्रारंभिक सर्वेक्षण किया था। क्योंकि अलग खाते नहीं रखे गये थे, इस लिये वैकल्पिक रास्तों का पता लगाने की जाँच में जो धन व्यय हुआ उसकी ठीक राशि का

पता नहीं है। फिर भी प्रारंभिक जाँच करने पर बहुत ही कम राशि व्यय हुई थी तथा वास्तविक रेल लाइन का निर्माण करने से पूर्व वैकल्पिक रास्तों की जाँच करना आवश्यक है।

(घ) और (ङ) बाद में निर्णय किया गया कि पंचकुरा पर ही मोड़ बनाया जाये क्योंकि जाकपुर से यह अधिक लाभदायक समझा गया। इसका कारण यह है कि बन्दरगाह से तथा बन्दरगाह की ओर से कलकत्ता के क्षेत्र को यहीं से अधिक यातायात होगी। साथ ही यह मोड़ बन्दरागाह के अधिकारियों की माँग को पूरा करता था तथा यह छोटा मार्ग था और इस पर कम व्यय होना था।

रुई निर्यात संवर्धन योजना

*560 **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रुई निर्यात संवर्धन सम्बन्धी एक नई योजना बनाई है;

(ख) क्या उसका विचार आयायित रुई पर फिर से शुल्क लगाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना को पुनः लागू करने के क्या कारण हैं;

(घ) इस शुल्क के परिणाम स्वरूप वसूल की गई राशि से वितरण किस प्रकार किया जायेगा; और

(ङ) इस शुल्क को वसूली तथा प्रोत्साहन राशियों का वितरण कौन अभिकरण करेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) से (ङ) अवमूल्यन के पश्चात् जब उस समय की निर्यात संवर्धन योजना को समाप्त कर देने के कारण सूती कपड़ा के निर्यात में काफी कमी हो गई तो सरकार तथा सूती कपड़ा उद्योग को बड़ी चिन्ता हुई। भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ सूती कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के बहुत से उपायों पर विचार कर रहा था जिसमें जून 1966 से पूर्व की नकद राशि योजना के रूप में कोई योजना भी शामिल थी। इस योजना के अनुसार उपभोक्ता मिलों से स्वेच्छापूर्वक अंशदान भी शामिल था ताकि नकद सहायता की योजना वित्तीय दृष्टि से आत्म-निर्भर हो जाये। क्योंकि सरकार के पास और कोई संतोषजनक विकल्प नहीं था सरकार को भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ द्वारा 1-9-67 से आरंभ में छः मास के लिये लागू की गई योजना के पुनः लागू करने में कोई आपत्ति नहीं हुई।

2. मिलों से अंशदान लेना तथा नकद सहायता को बाँटने के कार्य का उत्तरदायित्व भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ पर है।

नेपाल को पटसन का निर्यात

*561. **श्री मरंडी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उसे 2,00,000 मन परिष्कृत पटसन सप्लाई किया जाय;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) नेपाल सरकार को कब पटसन की सप्लाई की जाने की संभावना है; और

(घ) निर्यात की शर्तें क्या होंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) से (घ): 7 दिसम्बर 1967 को हमारे काठमांडू में दूतावास द्वारा नेपाल सरकार से 2 लाख मन परिष्कृत पटसन देने की प्रार्थना प्राप्त हुई है। प्रार्थना पर विचार हो रहा है।

Scheme to set up Industries in Hill areas

*563. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to set up industries and to bring about industrial development in hill areas of the country with a view to improve the economic conditions of the poor people of these areas ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the particular area where this scheme has achieved the maximum success?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) to (c) : All the State Governments and the Administration of Union Territories have been implementing programmes for the development of different village and small industries in the hill areas. In pursuance of the recommendations of the National Development Council on Development of Hill Areas, a small Inter-Ministry working Group was set up in April, 1966 for reporting on development of Khadi and village industries and handicrafts in hill areas during the Fourth Five Year Plan. The working Group's report was received by the Planning Commission which would take this report into account while formulating the programme for the next Five Year Plan 1969-1974.

ईरान में रेलवे के इंजनों तथा अन्य सामान का निर्माण

*564. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने ईरान में रेलवे के इंजनों, माल डिब्बों तथा अन्य सामान के निर्माण के लिये कुछ कारखाने स्थापित करने के लिये ईरान के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) अन्य किन-किन देशों को भारत रेलवे के सामान का निर्यात करता है और उससे प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं । (ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत ने 1966–67 के दौरान कीनिया, बर्मा और ब्रिटेन को 82.5 लाख रुपये की कीमत के रेल के डिब्बे और उपकरण निर्यात किये थे ।

मूल उद्योगों के उत्पादन में कमी

565. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट, उवर्रक जैसे मूल उद्योगों के उत्पादन में योजना अवधियों के दौरान निरंतर कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : उत्तरोतर योजना अवधियों में सीमेंट के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है । हाँ, उर्वरक के उत्पादन के संबंध में योजना अवधियों के दौरान लाइसेंस प्राप्त परियोजनाओं के

चलाने में अप्रत्याशित देरी के कारण और साथ ही उद्योगपतियों द्वारा विदेशी सहयोग की शर्तें तय करने में अधिक समय लिए जाने के कारण कमी हुई है।

(ग) उर्वरक उद्योग में गिरावट के संबंध में उत्पादन में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखति उपाय किए गये हैं :—

(1) 31-12-67 से पूर्व लाइसेंस प्राप्त सभी उर्वरक कारखानों को यह छूट होगी कि वे वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ करने के बाद सात वर्ष की अवधि तक स्वयं अपने उत्पादनों के मूल्य निर्धारित करें और अपने उत्पादनों के वितरण का प्रबन्ध करें किन्तु उन्हें अपना 30 प्रतिशत उत्पादन सरकार को आपस में तय किये गए मूल्य पर अवश्य बेचना होगा। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए किया गया है ताकि विदेशी फर्म इस उद्योग में भाग ले सकें।

(2) उर्वरकों को अब आई० डी० ए० सहायता प्राथमिकता वर्ग में रखा गया है ताकि इन कारखानों में अधिकतम उत्पादन हो सके।

(3) सरकार ने (1) पायराइट पर आधारित गन्धक के तेजाब (देशी या आयातित) और अलौह-धातु परियोजनाओं के धातु गलाने वाले संयंत्रों से प्राप्त गन्धकयुक्त गैसों (2) शोरे के तेजाब (3) नमक के तेजाब और (4) आयातित फास्फोरिक तेजाब पर आधारित फास्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादन की योजना बनाकर ऐसे उपाय भी किए हैं जिससे आयातित गंधक पर कम से कम निर्भर रहना पड़े।

लौह अयस्क का निर्यात

*566. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष लौह अयस्क सप्लाई करने के सम्बन्ध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कुछ देशों से करार किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या है और तय हुई कीमत अवमूल्यन के पूर्व उन वस्तुओं की कीमत की तुलना में कैसी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) जी , हाँ।

(ख) 80 लाख टन लोह अयस्क चालू वर्ष में निर्यात के लिये किये गये बिक्री समझौता को खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पूरा किया जा रहा है। जापान और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ किये गये सभी समझौतों में मूल्य शिलिंग/डालरों में निश्चित किया गया है। पूर्वी यूरोपीय देशों के लिये हमारे मूल्य रुपयों में दर्शाये गये हैं। अवमूल्यन के बाद इन देशों के साथ हुए हमारे समझौतों में दिये गये मूल्य 57.5 प्रतिशत बढ़ा दिये गये हैं। यह मूल्य अवमूल्यन के पूर्व के मूल्यों की तुलना में हमारे लिये लाभदायक हैं।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के लिए केन्द्रीय संविहित संगठन

*567. **श्री हेम बरुआ** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० की० अमीन :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री मयावन :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री रवि राय :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने सरकार को यह सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की देखभाल के लिए ब्रिटिश इस्तपात निगम के नमूने पर एक केन्द्रीय संविहित संगठन बनाया जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और किन कारणों से इस संगठन का बनाना आवश्यक हो गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) हाल की ब्रिटेन यात्रा के दौरान ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के संगठन प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन तथा हमारी पूर्व विचारधारा के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि भारत के सरकारी क्षेत्र के कारखानों के लिये एक उसी प्रकार की केन्द्रीय संस्था होनी चाहिये। इस आशय की एक रिपोर्ट मैंने सरकार को दी है। सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग के पुनर्गठन के प्रश्न पर इस समय विचार किया जा रहा है।

लाइसेंस देने की नीति

*568. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या लाइसेंस देने के बारे में सरकार की नीति और उदार कर दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सीमा निर्धारित की गई है जिसके नीचे लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जनवरी, 1964 में घोषित लाइसेंस दिए जाने की उदार नीति के अनुसार ऐसे औद्योगिक एककों को जिनकी स्थानीयपारिसम्पति अर्थात् भूमि, इमारत तथा मशीनों पर किया जाने वाला विनियोजन 25 लाख रुपये से अधिक नहीं है उनके लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत कुछ विशेष उद्योगों को छोड़कर लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तबसे 25 लाख रुपये की सीमा का पुनरीक्षण नहीं किया गया है।

जलगाँव–भुसावल सेक्शन (मध्य रेलवे) के भादली स्टेशन पर दुर्घटना

569. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के जलगाँव-भुसावल सेक्शन के भादली स्टेशन पर 18 नवम्बर 1967 को एक गम्भीर रेल दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हाँ तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुए तथा कितनी रेलवे सम्पत्ति की हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दिनांक 18-11-1967 को शाम के 9 बजकर 18 मिनट पर संख्या 543 डाउन पार्सल एक्सप्रेस भादली स्टेशन से चल चुकी थी, उसी समय संख्या 39 डाउन बम्बई नागपुर एक्सप्रेस स्टेशन पर आ पहुँची और पार्सल एक्सप्रेस से टकरा गई।

(ख) बम्बई स्थित अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा दुर्घटना के कारण की जाँच की जा रही है।

(ग) इस दुर्घटना में कुल 24 व्यक्ति घायल हुए थे जिनमें से 4 को गम्भीर चोट, 12 को मामूली चोट और शेष 26 को नाम मात्र के लिये चोट आई। इस दुर्घटना में लगभग 2,25,350 रुपये के मूल्य की रेलवे की सम्पत्ति की हानि हुई।

पाकिस्तान द्वारा जब्त किया गया भारतीय माल

*570. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में किये गये एक सरकारी अनुमान के अनुसार 1965 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये भारतीय माल का 90 प्रतिशत अभी तक लौटाया नहीं गया है;

(ख) क्या 101 करोड़ रुपये की कुल क्षति होने का अनुमान है;

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई वस्तुएँ अधिकतर खराब हो गई हैं और वे बेचने के योग्य नहीं रही हैं;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस जब्त माल को किस तरह जल्दी से जल्दी वापस प्राप्त करने का है; और

(ङ) इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि भारत सरकार इस माल को अब तक वापस नहीं ले सकी है क्या सरकार इन वस्तुओं को अब खोई हुई वस्तुएँ घोषित करने का निर्णय लेगी और उनके मालिकों के दावों का निपटारा करवायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कस्टोडियन आफ ऐनेमी प्रोपर्टी ने भारतीयों द्वारा 31-3-67 तक दिये गये दावे सम्बन्धी आवेदनों के आधार पर दावों का जो विवरण पत्र तैयार किया था, वह सभा पटल पर रख दिया गया था और उसमें दावों की राशि 101.26 करोड़ रुपये है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1961/67**]। ताशकन्द समझौते के पश्चात् पाकिस्तान ने केवल 'सहायता' शीर्ष के अधीन आने वाला तथा तटस्थ रूप से बीमा किया गया माल वापस लौटाया है। लगभग 70.14 लाख रुपये के मूल्य का माल पाकिस्तान द्वारा छोड़े जाने पर भारत पहुँच चुका है।

(ग) जो माल अभी उनके कब्जे में है, उसके बारे में कोई भी निश्चित सूचना देना सम्भव नहीं है, क्योंकि हमारे मिशन के लोग वहाँ तक नहीं जा सकते जहाँ ऐसा माल पड़ा हुआ है।

(घ) और (ङ) यू० के० अण्डरराइटर्स एशोसियेशन के साथ हुए हमारे समझौते के अनुसार विभिन्न बीमा कम्पनियाँ उपलब्ध माल को पाकिस्तान से छुड़ाने के लिये प्रयास कर रही हैं और जो माल खो गया है, उस माल के मालिकों (आयातकों) के दावो को वे कम्पनियाँ निपटा रही हैं।

संसद सदस्यों द्वारा कारों की बिक्री

3466. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा तथा राज्य सभा के कितने तथा किन संसद् सदस्यों ने दो वर्ष की निषेधात्मक अवधि के भीतर अपनी कारें बेची हैं अथवा हस्तांतरित की है तथा वह कारें कोनसी (मेक की) हैं;

(ख) प्रत्येक कार का सौदा अनुमानतः कितने में किया गया होगा और जिन दस्तावेजों के द्वारा इन कारों का हस्तांतरण किया गया है उनका स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) सदस्यों तथा खरीदारों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1918/67]**

Small Industries in Maharashtra

3467. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken to intensify the setting up of small industries in the rural and urban areas of Maharashtra ;

(b) the amount earmarked in the Fourth Plan for this purpose ; and

(c) the manner in which the implementation of this scheme is being co-ordinated between the Centre and the Maharashtra Governments ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) The following facilities and assistance are provided for setting up Small Scale Industries in Maharashtra :

1. Technical Assistance.
2. Management Consultancy Service.
3. Managerial and Technical Training Service.
4. Investigations of cases forwarded by the State Bank of India for giving credit.
5. Holding intensive compaigns in collaboration with National Small Industries Corporation for increased sale of machines on hire-purchase.
6. Distribution of controlled and scarce raw materials.
7. Allotment of foreign exchange for import of raw materials and components.
8. Enlisting of small-scale industries for participating in Central Govt. Store Purchase programme etc.

(b) In the 4th Five Year Plan of the State of Maharashtra an outlay of Rs. 507.00 lakhs has been provided for the Development of Small Scale Industries and setting up of Industrial Estates and it is difficult to indicate precisely as to how much of this mount would be utilised for rural industrialisation. In addition, a separate provision of Rs. 20.00 crores has been made by the Planning Commission for the programme of Industrialisation in the Rural Industrial Projects.

(c) Co-ordination is established between the Central and the State Governments mainly through the review of the programmes by the working Group for Annual Plan discussions. Officers of the Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries and the Small Industries Service Institute, Bombay also periodically conduct discussions with the State Industries Department.

Tractor Factories

3468. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the States which have sought permission for setting up tractor factories;

(b) the names of States to which permission has been accorded ;

(c) whether Central Government have not accorded permission to the setting up of tractor factories in Punjab ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) to (d) In November, 1967 an application under the Industries (Developemnt and Regulation) Act, 1951 has been received from the Punjab State Industrial Development Corporation for the establishment of a new undertaking at Ludhiana for the manufacture of Agricultural tractors of 20 HP for a capacity of 12,000 Nos. per annum. This application is under consideration.

No other State Government has in the recent past sought permission for the setting up factories for the manufacture of agricultural tractors.

मैसूर में लोह अयस्क के भंडारों का अनुमान

3469. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह:** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खान ब्यूरो ने दक्षिण मैसूर में केवल एक करोड़ २० लाख टन बढ़िया लोह अयस्क होने का अनुमान लगाया है जबकि मध्यवर्ती बन्दरगाह विकास समिति का अनुमान वहाँ 21 करोड़ और 60 लाख टन होने का था ;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय खान ब्यूरो के अनुमान का क्या आधार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मैसूर राज्य सरकार का अनुमान वहाँ 71 करोड़ टन लोह अयस्क के भंडारों का है; और

(घ) उक्त निकायों के द्वारा लगाये गये अनुमानों में इतना अधिक अन्तर होने का क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) 1962 में भारतीय खान ब्यूरो ने चित्रादुर्गा, तुमकुर जिलों के कच्चे लोहे के निक्षेपों का सर्वेक्षण किया। ये निक्षेप लगभग 12.3 मिलियन टन थे और इन में 65% लोहा था। बाद में राज्य के खान तथा भूविज्ञान विभाग और भारतीय खान ब्यूरो ने मिल कर 1964 में इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया और लगभग 16.41 मिलियन टन संचय मिले जिनमें 62.5% लोहा था। माध्यमिक बन्दरगाह विकास समिति ने 276 मिलियन टन का अनुमान लगाया है। इस अनुमान के आधार का पता नहीं है।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो ने प्रवर्तशुल्क कारक 10 और प्रत्यादान कारक 50% लिया है।

(ग) और (घ) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा बनाये गए अनुमानों से मैसूर सरकार द्वारा बनाये गये अनुमान अधिक ऊँचे हैं। विभिन्न अभिकरणों द्वारा किये गए सर्वेक्षण के आधार पर संचयों का संयुक्त मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के बारे में संसदीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन

3470. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र का दौरा करने वाले 20 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने 11 सितम्बर, 1967 को सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में होने वाली भारी हानि की आशंका प्रकट की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट के अनुसार इन उपक्रमों को कितनी हानि हुई है ;

(ग) रिपोर्ट की और मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस प्रतिनिधि मंडल के निष्कर्षों तथा सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) संसद् सदस्यों के एक दल ने भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों का निरीक्षण किया जिनमें से हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची और हिन्दुस्तान केबुल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर के दो कारखाने औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में थे।

(ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची के संबंध में 31.3.1966 तक कुल लगभग 336 लाख रुपये की हानि बताई गई है किन्तु हिंन्दुस्तान केबुल्स लि०, रूपनारायणपुर में कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) और (घ) इस दल ने गैर सरकारी तौर से निरीक्षण किया था और कोई अन्तिम रिपोर्ट नहीं मांगी गयी थी। हाँ, दल के नेता ने विभिन्न संबंधित मंत्रियों को रेल द्वारा निरीक्षण किये गये उपक्रमों के बारे में अपनी कुछ सिफारिशे भेजी हैं।

स्कूटरों के निर्माण सम्बन्धी योजना की जांच करने के लिये उप-समिति

3471. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्कूटरों का निर्माण करने की योजना पर विचार करने के लिये उप समिति किस तारीख को नियुक्त की गई थी और उसके द्वारा अब तक किये कार्य का विवरण क्या है;

(ख) इस उपसमिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इस प्रश्न की जाँच करने तथा इस संबंध में प्रतिवेदन पेश करने के लिये उनकी क्या विशेष अर्हताएँ हैं;

(ग) स्कूटरों के निर्माण के लिये जो आवेदक लाइसेंस मांग रहे हैं उनके पते क्या हैं और उनके यदि कोई विदेशी सहयोगी हैं तो उनके नाम क्या हैं और उन्होंने किस-किस्म के तथा कितने स्कूटर बनाने का प्रस्ताव रखा है और भावी क्रेताओं के लिये इन स्कूटरों का संभाव्य विक्रय-मूल्य क्या होगा;

(घ) इन निर्माताओं को प्रतिवर्ष कितने, किन-किन तथा कितने मूल्य के विदेशी पुर्जों की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा किस तारीख तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) उप-समिति की नियुक्ति 26 सितम्बर, 1967 को की गई थी। उप-समिति की बैठक हो चुकी है और उसने अनिर्णीत योजनाओं की जाँच उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर की है। योजनाओं की ताजा स्थिति जानने के लिए क्योंकि इनमें विशेष रूप से रुपये के अवमूल्यन, देश में ही मशीनों के विकास तथा मोटर गाड़ी के सहायक उद्योगों के विकास के कारण कुछ परिवर्तन हो जाने की सम्भावना थी, उप-समिति ने योजनाओं के प्रवर्तकों को योजनाओं के नवीनतम आँकड़े प्रस्तुत करने के लिए एक नवीनतम तालिका भेजी है। अतिरिक्त आँकड़े भेजने की अन्तिम तिथि 1 दिसम्बर, 1967 थी। प्राप्त हुए आँकड़ों की इस उप-समिति द्वारा जाँच की जा रही है।

(ख) स्कूटरों की उप-समिति का गठन नीचे दिया गया है:

1. श्री एन० जे० कामथ,
   संयुक्त सचिव,
   औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय .. .. .. **अध्यक्ष**

   सदस्य

2. श्री एन० राधाकृष्णन,
   उप-सचिव, औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय।
3. श्री बी० एस० वी० राव,
   विकास अधिकारी (मोटर गाड़ी उद्योग)।

तीनों ही सदस्य स्कूटर उद्योग की समस्याओं तथा उद्योग के विकास की वर्तमान स्थिति से पूरी तरह परिचित हैं। श्री कामथ तथा श्री राधाकृष्णन उस समिति के क्रमशः अध्यक्ष तथा सदस्य थे। जिसने स्कूटरों/आटोसाइकलों के निर्माण हेतु नए एककों की स्थापना के आवेदनों की छानबीन की थी। श्री बी० एस० वी० राव, तकनीकी विकास के महानिदेशालय में इस उद्योग के विकास अधिकारी हैं।

(ग) तथा (घ) जाँच या निर्णय किये जाने से पहले अनिर्णीत आवेदनों के ब्यौरे तथा प्रस्तावों के बारे में इस अवस्था में जानकारी देना उचित नहीं समझा जाता है।

(ङ) सरकार उन पर अन्तिम निर्णय उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उस पर विचार कर लेने के बाद लाइसेंस समिति की सिफारिशों के मिल जाने के पश्चात् ही कर सकेगी। इस पर निर्णय मार्च, 1968 के मध्य में कर लिए जाने की सम्भावना है।

Gangeshwari Intensive Area

3472. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2836 on the 16th June, 1967 and state :

(a) the progress since made regarding the enquiry held into the complaints about serious irregularities in Gangeshwari intensive area in Moradabad District ; and

(b) the time by which the enquiry is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) and (b) The enquiry is still in progress and is likely to be completed shortly. Further information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

दिल्ली-किशनगंज रेलवे स्टेशन पर साइकिल स्टैंड

3473. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **रेलवे** मंत्री 29 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 628 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-किशनगंज स्टेशन पर इस बीच साइकिल स्टैंड की व्यवस्था की जा चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक साइकिल स्टैंड की व्यवस्था की जाने की आशा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) साइकिल स्टैंड की व्यवस्था करने में कुछ कठिनाई और तत्पश्चात् विलम्ब हुआ है क्योंकि प्रस्तावित भूमि को पहले कर्मचारी के क्वार्टरों के लिये नियत कर दिया गया था।

(ग) टेन्डर माँगे गये थे और उन्हें अन्तिम रूप दिया जा चुका है। ठेकेदार से शीघ्र काम करने के लिये कहा जा रहा है।

रत्न तथा जवाहरात संवर्धन परिषद्

3474. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले अठारह महीनों में जब से रत्न तथा जवाहरत निर्यात संवर्धन परिषद् बनी है तब से इसने निर्यात संवर्धन सम्बन्धी क्या कार्यवाहियाँ की है;

(ख) क्या यह सच है कि रत्न तथा जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद् क्षयपूर्ति योजना के प्रशासन में बड़ी राशि खर्च कर रही है ;

(ग) निर्यात संवर्धन सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिये उपयोग में लाई गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रत्न तथा जवाहरातों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रत्न तथा जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद् की गत अठारह महीने के उसके कार्यकाल में निर्यात संवर्धन कार्यवाहियां ये थीं:—

(1) देश में रत्न तथा जवाहरात के निर्यात व्यापार का संगठन।

(2) निर्यात प्रक्रियाओं और अन्य विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के बारे में निर्यातकों का मार्गदर्शन तथा सुविधायें तथा सेवा प्रदान करना।

(3) विदेशी स्वर्णकारों से व्यापार सम्बन्धी पूछताँछ पर कार्यवाही करना और उसे सदस्यों को परिचालित करना।

(4) रत्न और जवाहरात सम्बन्धी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक जानकारी देने वाली मासिक बुलेटिनों का प्रकाशन।

(5) विदेशों में प्रचार के लिये पत्रिका का प्रकाशन।

(ख) क्षयपूर्ति योजना के प्रवर्तन पर व्यय के लिये परिषद के बजट में कोई पृथक शीर्षक नहीं है। गत वर्ष और चालू वर्ष के लिये परिषद् का कुल स्वीकृत बजट इस प्रकार है:—

	1966–67	1967–68
	रुपए	रुपए
(1) 'नॉन-कोड'' कार्यवाहियों पर व्यय	1,87,856	1,34,800
(2) ''कोड'' परियोजनाओं पर व्यय	9,630	87,900

(ग) 18 महीनों के कार्यकाल में परिषद् द्वारा "कोड" कार्यवाहियों, विज्ञापनों और जन सम्पर्क के विकास के लिये उपयोग की गई कुल राशि 12,000 रुपए है।

(घ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित परिषद् की संवर्धन कार्यवाहियों के अतिरिक्त रत्नों और जवाहरातों के निर्यात में सहायता करने और निर्यात के विकास के लिये किये गये अन्य उपाय ये हैं:— (1) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बनाने में प्रयोग आने वाले गैर-देशीय माल के लिये सुविधायें प्रदान करना (2) विदेशी खरीदारों के खाते में सीमा शुल्क निकासी पार्टियों के अधीन अशोधित माल के आयात की अनुमति देना और तैयार वस्तुओं को पुनः निर्यात करना और (3) निर्यात प्रधान एककों की चयनात्मक आधार पर मशीनों और उपकरणों के आयात की अनुमति देना।

रत्न तथा जवाहरातों के लिये आयात लाइसेंस

3475. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य वस्तुओं के आयात के लिये आवेदनपत्र सीधे लाइसेंसिंग अधिकारियों को भेजे जाते हैं। किन्तु रत्न तथा जवाहरातों के मामले में आयात लाइसेंसों के लिये आवेदनपत्र रत्न तथा जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद् के माध्यम से होकर जाते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आयात लाइसेंस के लिये आवेदनपत्र रत्न तथा जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद् के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप काम दुगुना बढ़ जाता है और विलम्ब होता है; और

(घ) यदि हाँ, तो रत्न तथा जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद् को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी, हाँ। रत्न और जवाहरातों के निर्यात के लिये लाइसेंसों के आवेदन-पत्र संवर्धन परिषद् के माध्यम से प्राप्त करने के मुख्य कारण ये हैं:—

(1) सरकार का ऐसा कोई तकनीकी विभाग नहीं है, जो इन वस्तुओं के सम्बन्ध में आयात लाइसेंस देने के बारे में विचार करते समय उत्पन्न होने वाले विभिन्न तकनीकी बातों पर विचार कर सके, विशेष रूप से सही बीजक बनाने के मामले में।

(2) रत्न और जवाहरातों के व्यापार में अनेक अवसरों पर विदेशों से माल बिन बिका वापस मंगा कर पुनः पालिश आदि किया जाता है अथवा नये फैशन का बनाया जाता है। समस्या यह पता लगाने में होती है कि जो माल वापस लाया गया है क्या यह वही है जो बाहर भेजा गया था। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक ऐसी संस्था बनाना वांछनीय समझा गया है, जिसे निर्यातकों पर दोहरी रोक रखने के लिये उद्योग का अनुशासन बनाये रखने का उत्तरदायित्व और लाइसेंस देने वाले प्राधिकार को सलाह देने का काम सौंपा जाये।

(ग) उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में ऊपर बताये गये कारणों को ध्यान में रखते हुए आवेदन-पत्र रत्न तथा जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद् के माध्यम से भेजने से काम दुगुना अथवा विलम्ब नहीं होता है।

(घ) क्षयपूर्ति आवेदन-पत्रों की जाँच के अतिरिक्त रत्न तथा जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद् के संवर्धन कार्य ये हैं:— (1) देश में रत्न तथा जवाहरात के निर्यात व्यापार का संगठन (2) निर्यात प्रक्रियाओं और अन्य विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में निर्यातकों का मार्गदर्शन तथा सुविधाएँ प्रदान करना (3) बाजार सर्वेक्षण तथा अन्य साधनों से निर्यात की संभावनाओं को पता लगाना और प्रदर्शनियों में भाग लेना (4) भारत तथा विदेशों में भारतीय वस्तुओं का प्रचार (5) विदेशी खरीदारों से व्यापार सम्बन्धी पूछताछ पर कार्यवाही करना और उसे निर्यातकों को परिचालित करना तथा (6) रत्न और जवाहरात सम्बन्धी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक जानकारी देने वाली बुलेटिनों का प्रकाशन।

कच्छ का भूमिगत सर्वेक्षण

3476. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारती भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा कच्छ, सौराष्ट्र तथाय उत्तर गुजरात के भूमिगत पानी का विशेष भूमिगत सर्वेक्षण किया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सर्वेक्षण जो गुजरात में प्रथम बार किया जा रहा है, गुजरात राज्य के उन क्षेत्रों में पीने का पानी की समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध होगा; और

(घ) यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा तथा कितना खर्च आयेगा। इस सर्वेक्षण को पूरा होने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (घ) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था 1967–68 में गुजरात के सबरकान्थ, कैरा, डाग्रा और पन्चमहल जिलों में पद्धतिपूर्ण भूगर्भजल अध्ययन कई वर्षों से करती रही है और यह इन्हें जारी रखेगी। प्रस्ताव है कि चौथी योजना काल में ये अध्ययन दूसरे जिलों में भी किये जायें। सर्वेक्षण द्वारा घरेलू तथा कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये पानी की समस्याओं का समाधान करने का इरादा है। यह कार्य लगातार चलने वाला है, इसलिए इसके पूर्ण होने की कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्यात

3477. **श्री दामानी**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर 1967 को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पास कितना और कितने मूल्य का स्टाक था ;

(ख) वहाँ पर एकत्रित माल को कम करने के लिये क्या उसका घाटे पर भी कोई निर्यात करने का विचार है; और

(ग) माल एकत्रित न होने देने के लिए सामान उत्पादन में कुछ परिवर्तन करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) 30 सितम्बर, 1967 को 324.8 लाख रुपये के मूल्य की 677 मशीनें स्टाक में थीं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) कम्पनी ने आधुनिक किस्म के कई मशीनी औजारों के उत्पादन के लिए कई विदेशी पार्टियों से सहयोग करार किए हैं। उसका विचार दो पृथक् सहायक कारखानों में कई किस्मों के प्रेस व छगाई की मशीनें भी बनाने का है जो इसी काम के लिए स्थापित किए जायेंगे। उसकी योजना हाइड्रोटेल मिलिंग मशीनें, शक्ति चालित चक, क्लैम्पिंग उपकरण तथा जिग बोरिंग मशीनें बनाने की भी है।

स्टेशनों पर मेवे के पैकेट

3478. **श्री गं० चं० दीक्षित**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे ने मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर रेल यात्रियों के लिये 5 अक्तूबर, 1967 से मेवां को कागज के थैलों में बेचने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार अन्य रेलों में भी ऐसी व्यवस्था करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) हाँ।

(ख) और (ग) रेलवे को मेवों के पैकेट ऐसे स्टेशनों पर बेचने पर विचार करने के लिए जहाँ उनकी माँग हो तथा इस व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने के लिये पहले ही हिदायतें जारी की हुई हैं।

सभी रेलों में महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मेवों के पैकेट बेचने की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। परन्तु चूंकि इसकी बिक्री अच्छी नहीं हुई इसलिये इस व्यवस्था को कुछ स्टेशनों पर समाप्त करना पड़ा।

Passenger Sheds on the Platforms of Khirkiya Station

3479. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that passenger sheds on the platforms of Khkirkiya Station on the Central Railway are quite inadequate ;

(b) if so, whether Government propose to expand existing passenger sheds ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) to (c) The shed over the Down platform is already being extended by about 2300 ft. and is nearing completion. Taking this into consideration, the waiting accommodation available at this station is considered adequate for the present level of passenger traffic at this station and there is no proposal at present to expand the same.

Signal post near Laheria Sarai Station

3480. **Shri Kedar Paswan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the signal post in the south of Laheria Sarai station in Darbhanga District in Bihar State is so close to the Railway line that it often causes death of passengers ;

(b) the number of persons killed so far as a result of collision with the signal post; and

(c) the reasons for not removing the signal post from that place ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) No, all signals at Laheria Sarai station are clear of the standard moving dimensions.

(b) Since 1965, two persons travelling on foot-board (which is an offence under Section 118 of Indian Railways Act) and leaning out have been killed after hitting the up outer signal post of Laheria Sarai station.

(c) Although the prescribed minimum distance of a signal post from centre of the track according to schedule of Dimensions for metre gauge is only 6′-3″, the up outer signal post is located at a distance of 8′-1″ from centre of the track. As the signal post is located at much more than the minimum distance from the track, the question of removing the singla post does not arise.

कारतूसों का आयात

3481. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966 में राज्य व्यापार निगम ने चैकोस्लावाकिया की फर्मों से कारतूसों के आयात के लिये लाइसंस जारी किये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि एक भी कारतूस नहीं खरीदा जा सका क्योंकि इन लाइसेंसों की अवधि में ये फर्में भारती क्यादेशों के अनुसार कारतूस नहीं भेज सकीं ;

(ग) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये राज्य व्यापार निगम ने इस वर्ष कारतूसों का आयात कोटा 1.25 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस आशय के लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार आयुध व्यापारियों को कारतूस बनाने की अनुमति देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1966 में चेकोस्लोवाकिया से कारतूस आयात करने के लिये सी० सी० आई० एण्ड ई० ने राज्य व्यापार निगम को लाइसेंस जारी किये थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस वर्ष आयात कोटा 4 प्रतिशत है जब कि गत दो वर्षों में तदर्थ आधार पर दिया गया।

(घ) लाइसेंस के आवेदन पत्र राज्य व्यापार निगम द्वारा सी० सी० आई० एण्ड ई० को भेज दिये गये हैं परन्तु अब तक कोई लाइसेंस नहीं दिये गये हैं।

(ङ) और (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

निजामाबाद और पेड्डापल्ली के बीच रेलवे लाइन

3482. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1946 में या उसके आसपास निज़ाम स्टेट रेलवे, हैदराबाद द्वारा करीम नगर से होते हुए निज़ामाबाद से पेड्डापल्ली तक, जो अब आँध्र प्रदेश में है और दक्षिण मध्य रेलवे में आते हैं रेलवे लाइन बिछाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा था ;

(ग) क्या इस क्षेत्र के बढ़ते हुए वाणिज्यिक महत्व को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना में यह लाइन बनाने का सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) लातूर से रामगुंडम तक (पेड्डापल्ली के निकट) बरास्ता निजामाबाद ब्राडगेज रेलवे लाइन बिछाने के लिये भूतपूर्व निजाम स्टेट रेलवे द्वारा 1964 में अन्तिम स्थानीय सर्वेक्षण किया गया था। 1955–56 में निजामाबाद रामगुंडम लाइन के लिये यातायात सर्वेक्षण भी किया गया था।

(ख) इस प्रस्ताव को अलाभप्रद समझा गया क्योंकि इससे कम धन मिलने की सम्भावना थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) रेलवे की वित्तीय स्थिति खराब होने तथा चौथी योजना में नई रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य के लिये कम धन उपलब्ध होने के कारण इस लाइन को बनाने के लिये तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक वित्तीय स्थिति सुधर नहीं जाती।

वैमानिक खनिज सर्वेक्षण

3483 : **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के सहयोग से किये जाने वाले वैमानिक खनिज सर्वेक्षण कार्यक्रम में दस और क्षेत्र शामिल किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो उन अन्य क्षेत्रों के क्या नाम हैं जिन्हें इस सर्वेक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा और उनमें से गुजरात राज्य में स्थित क्षेत्रों के क्या नाम हैं ; और

(ग) इस कार्यक्रम को कब आरम्भ किया जायेगा और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Bridge at Sawai Madhopur Junction

3484. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a railway bridge is proposed to be constructed at Sawai Madhopur Railway junction (Western Railway) across the road leading to the city ;

(b) if so, the time by which the work thereon would be taken up ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes.

(b) and (c) The Government of Rajasthan have tentatively proposed the replacement of the existing level crossing by a road over-bridge at Sawai Madhopur during the Fourth Plan period. Certain details in respect of this over-bridge were called for by the Railway in June, 1967, from the State Government. On receipt of these, further necessary action will be taken for processing this work for inclusion in the Railway's next Works Programme.

New Railway Lines in Rajasthan

3485. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that new railway lines are proposed to be constructed in Rajasthan during the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) to (c) The proposals for new lines in the Fourth Five Year Plan have not yet been finalised. However, the Pokaran-Jaisalmer line (105 KMs. M.G.,—cost Rs. 3.11 crores) recommended by the Government of Rajasthan has been taken up for construction.

Garhara Transhipment Yard

3486. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a big yard at Garhara on the North-Eastern and Eastern Railways near Barauni Junction where Government property worth lakhs of rupees is stored ;

(b) whether it is also a fact that lakhs of maunds of foodgrains are unloaded and loaded there for transhipment ;

(c) whether Government and private goods worth lakhs of rupees are stolen as there is no fencing around the yard, for which compensation has to be paid by Government ; and

(d) if so, whether any scheme for making the yard safe by putting up a hedge around it is under consideration of Government and if not the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes.

(b) Yes. Large quantities of foodgrains are unloaded and loaded there for transhipment.

(c) No.

(d) Does not arise.

Rest House at Sonepore Railway Junction

3487. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sonepore is the biggest and the most important junction on the North-Eastern Railway ;

(b) whether it is also a fact that there is no arrangement for Guest House or Rest House for Magistrates and Ticket Examiners of that area to relax at Sonepore Station during or after their duty hours ;

(c) if so, whether Government propose to construct a Rest House at Sonepore Junction for the convenience of Railway employees ;

(d) if so, the time by which it will be constructed ; and

(e) if the reply to part (c) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Sonepore is an important junction station on North Eastern Railway.

(b) No. There is one Rest Room for Officers which the Magistrates can also use and one running room for travelling Ticket Examiners.

(c) to (e). Do not arise.

Railway Guards, Dhanbad Division

3488. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railway Guards of Dhanbad Division, Eastern Railway have submitted a memorandum to the Railway Administration regarding their grievances ; and

(b) if so, the various demands made by them in the memorandum and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) and (b) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Firemen at Patratu

3489. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Diesel Engine Cleaners are promoted as Assistant Drivers of Diesel Engines by depriving the senior Firemen and Second Firemen of their rights at Patratu (Hajaribagh, Bihar) ;

(b) whether there is any rule on Railways that promotion is made according to seniority only ; and

(c) if so, the reasons for violating this rule of Patratu and whether Government propose to take any action against the Railway officials at fault so as to ensure strict compliance of the Rule regarding promotion by seniority in future ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे

3490. **श्री राम चरण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में सारे देश में अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों/फर्मों पर मुकदमे चलाये गये ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों/फर्मों को दण्ड मिला तथा कितने छोड़ दिये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1919/67**]

Revealer for Conducting Survey of Underground Water.

3491. **Shri Magharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a British national has manufactured an equipment called 'Revealer' which leads to the discovery of underground minerals and water and its cost is only 72 pounds ; and

(b) if so, whether Government have made any efforts to import or manufacture this equipment in the country to conduct underground water surveys for the installation of wells and tube-wells ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy):

(a) and (b) The Geological Survey of India is not aware of the equipment called "Revealer". The Geological Survey of India however, has all latest types of high precision geophysical and electrical prospecting instruments necessary for exploration of minerals and groundwater.

Exports during April and May, 1967

3492. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have claimed that exports during April and May, 1967 exceeded the exports during the corresponding months in 1966 by 8 per cent ;

(b) whether it is also a fact that actually the exports declined by 10.5 per cent during the said period instead of showing an increase in these two months ;

(c) if so, the reasons for furnishing incorrect information ; and

(d) Goverment's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) to (d) It may be recalled that in the reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 4205 given on 30.6.1967 in the Lok Sabha, figures of export had been supplied for April-May, 1967 as compared to April-May 1966. In preparing the answer, the value of exports which was shown, through oversight, for April-May 1967, in fact, related to exports during April-May 1966, and that shown for April-May 1966, related to April-May 1965. At that time, the fiugres for April-May 1967 were not available. In consequence of this mistake, an erroneous comparison was drawn between the trade performance in April-May 1966 and April -May 1967. The error in the use of the figures and in drawing an inference from them is very much regretted. The correct statement of exports during the periods concerned is reproduced below :—

Exported (including re-exports) For April-May

	1967		1966	
	Rs. crores	Million $	Rs. crores	Million $
April-May	172.77	230.4	126.56	265.9

Note : Rupee figures are not comparable because the 1966 figures are in term of the pre-devaluation rupee and the 1967 ones are in terms of the post-devaluation rupee.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा मैसर्स भारत फ्रिट्स वार्नर लिमिटेड, बंगलौर के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार

3493. **श्री बाबूराव पटल**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री एम० के० मथुल्ला द्वारा मैसर्स भारत फ्रिट्स वार्नर लिमिटेड नामक बंगलौर की एक गैर-सरकारी फर्म के साथ अनुचित पक्षपात किये जाने का पता लगा है जिससे इस फर्म को 2 करोड़ रुपये अथवा इससे भी अधिक राशि का लाभ हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय ने यह तथ्य परिपत्र द्वारा अन्य सभी मंत्रालयों को बता दिया है और यदि हाँ, तो इसका विशिष्ट प्रयोजन क्या था और इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) श्री मथुल्ला तथा मैसर्स भारत फ्रिट्स वार्नर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) मैसर्स भारत फ्रिट्स वार्नर लि०, बंगलौर के विरुद्ध कुछ आरोपों की जाँच के दौरान यह पता लगा था कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अध्यक्ष और प्रबन्ध संचालक ने संबंधित गैर-सरकारी फर्म के साथ कुछ पक्षपात किया था। यद्यपि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है कि इस गैर सरकारी फर्म को इस प्रकार ठीक-ठीक कितना लाभ हुआ है, तथापि लाभ की मात्रा 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

(ख) और (ग) जो गवाही मिली वह अध्यक्ष और मैसर्स भारत फ्रिट्स वार्नर लि० के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हाँ, प्रशासनिक कार्यवाही अवश्य की गयी है।

अहमदाबाद के निकट फैक्टरी में बन्दूकों का निर्माण

3494. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद के निकट गैर-सरकारी क्षेत्र में बन्दूको का निर्माण करने के लिए एक कारखाना स्थापित करने का लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस कारखाने, उसके प्रवर्तकों तथा सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं, और सहयोग सम्बन्धी करार का ब्यौरा क्या है, तथा उसमें कितनी पूंजी लगाई गई है और उसमें प्रतिवर्ष कितनी बन्दूकों के निर्माण होने की आशा है; और

(ग) उस कारखाने में बनने वाली बन्दूकों को किस-किस काम में लाया जा सकता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) मैसर्स नेशनल राइफल्स लिमिटेड को पश्चिमी जर्मनी की फर्म मैसर्स हैपरली जी० एम० बी० एच० हन्टिंग एण्ड स्पोर्टिंग आर्म्स फैक्टरी, वीनजेन / होशरहीन के सहयोग से हवाई राइफलों तथा हवाई पिस्तौलों (गैस किस्म) के निर्माण के लिए अहमदाबाद में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। करार की शर्तों में 60,000 ड्यूश मार्क की एकमुश्त अदायगी और 10 वर्षों तक कारखाने से चलते समय के विक्रय मूल्य के अतिरिक्त 5 प्रतिशत रायल्टी, (जिस पर कर लगेगा) सम्मिलित है। कम्पनी के निदेशकों के नाम इस प्रकार हैं :

(1) श्री बहुबली गुलाबचन्द, (2) श्री विनोद एल० दोशी, (3) श्री चन्द्रहास के० विसनजी, (4) श्री केशवगोविन्द प्रभू; और (5) श्री नन्दलाल वर्मा। इसका सुनिश्चय कर लिया गया है कि 3-6-1967 तक लगभग 2.51 लाख रुपये का विनियोजन हो चुका है। कार्यक्रम के अनुसार प्रथम वर्ष में उत्पादन की संख्या 5000 होगी जो तीसरे वर्ष में बढ़कर 22,000 पहुँच जायेगा।

(ग) इन हवाई राइफलों तथा हवाई पिस्तौलों का इस्तेमाल केवल नागरिकों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है। यह तुलनात्मक दृष्टि से सस्ते हैं और अभ्यास के लिए इन राइफलों तथा पिस्तौलों के साथ किसी भी अन्य आग्नेय अस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है।

दिल्ली में दुग्धशाला परियोजनायें

3495. **श्री म० ला० सोंधी**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में तथा उसके आस-पास विदेशी सहयोग से दुग्धशाला परियोजनाएं स्थापित करने के लिये सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को लाइसेंस दिये हैं; और

(ख) क्या उनमें से किसी परियोजना में उत्पादन आरम्भ हो चुका है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) एक भी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Misuse of Jeeps by N.C.D.C. Officers

3496. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the officers of the National Coal Development Corporation use Government jeeps for their personal work and for going to see films and thus public money to the tune of thousands of rupees is misused on petrol ;

(b) whether officers are authorised to make use of vehicles of the Corporation for their personal work ; and

(c) if so, what action to check the same Government propose to take :

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) Certain complaints were received alleging misuse of N.C.D.C. jeeps by officers of the National Coal Development Corporation. One such complaint is still under investigation ; other compalaints were already investigated and found to be not true. The officers are not authorised to make use of N.C.D.C. vehicles for their personal work except on payment of the prescribed charges.

(c) Does not arise.

आविष्कारों के लिए प्रोत्साहन

3497. **श्री रा० बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावहारिक विज्ञान तथा टेक्नोलोजी के क्षेत्र में आविष्कारों तथा महत्वपूर्ण

सफलताओं को प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी हाँ सरकार ने आविष्कारों और देश में आविष्कारक सम्बन्धी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने तथा विज्ञान तथा टैकनालोजी के क्षेत्र में अद्वितीय सफलताओं को बढ़ावा देने के लिए एक आविष्कार सम्बन्धी बोर्ड की स्थापना की है ।

(ख) आविष्कार संवर्धन बोर्ड दो प्रकार से प्रोत्साहन देता है अर्थात् (1) पुरस्कार देकर (2) वित्तीय सहायता देकर। पुरस्कार अद्वितीय आविष्कारों के लिए दिए जाते हैं और उनकी घोषणा प्रतिवर्ष 26 जनवरी तथा 15 अगस्त को की जाती है जो तकनीकी रूप से सम्भव और व्यापारिक दृष्टि से व्यवहारिक पाये जाते हैं। इसमें माल की लागत, परिश्रम, वर्कशाप तथा दूसरे साधनों की व्यवस्था, पेटेन्ट प्राप्त करने के खर्चे तथा आद्य रूप बनाने की आवश्यकता के खर्च को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है ।

पुरस्कार तथा वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की निर्धारित तालिका सहित जिनमें पूरी तकनीकी जानकारी दी हुई है की जाँच पड़ताल सर्वप्रथम आविष्कार संवर्धन बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा की जाती है और तत्पश्चात् उस विशिष्ट क्षेत्र के कम से कम दो विशेषज्ञों की राय ली जाती है। विभागीय मूल्याँकन तथा विशेषज्ञों की राय पर अन्तिम विचार एक समिति द्वारा किया जाता है जो प्रत्येक मामलों में पुरस्कार तथा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में निर्णय करती है ।

कच्ची ऊन का आयात

3498. **श्री मधु लिमये**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा होने के बाद कच्ची ऊन का आयात मुख्यतः प्रतिरक्षा सम्बन्धी माल बनाने के लिये किया जा रहा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस काम के लिये आयात की गई ऊन का एक बड़ा भाग असैनिक उपयोग के लिये माल बनाने में इस्तेमाल किया गया था ;

(ग) क्या असैनिक उपयोग के लिये तैयार कपड़ा 40 रुपये से लेकर 70 रुपये प्रति मीटर की दर पर बेचा गया था जब कि उत्पादन लागत तथा आयात की सुविधा की लागत केवल चार रुपयें से लेकर पाँच रुपये प्रति मीटर तक थी; और

(घ) क्या उन पक्षों को आयातित कच्चे माल का अवैध रूप से असैनिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग करने के लिये दण्ड दिया गया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, हाँ।

(ख) जी नहीं। 1148 लाख रुपये की लागत से, जिसमें लगभग 250 लाख रुपये ऐसे शामिल थे जो उद्योग ने वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस. में से प्रतिरक्षा की आवश्यकता के लिये दिये थे। आयात की गई कुल ऊन तथा अन्य सभझौते में से, जिसमें लगभग 62 लाख रुपये की लागत की ऊन तथा अन्य सामग्री जो प्रतिरक्षा की आवश्यकता से फालतू घोषित की गई थी, असैनिक उपयोग के सामान के लिये प्रयोग में लाई गई थी ।

(ग) असैनिक बाजार के लिये ऊनी कपड़ों का कोई मूल्य अथवा वितरण नियंत्रण न होने की वजह से सरकार के पास इसकी निश्चित जानकारी नहीं है।

(घ) इस मामले पर केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा विचार किया जा रहा है कि क्या वास्तव में अवैध रूप से प्रयोग हुआ है जैसा कि कहा गया है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी पश्चिम रेलवे, दिल्ली के विरुद्ध शिकायतें

3499. **श्री नम्बियार:** **श्री अब्राहम:**

श्रीमती सुशीला गोपालन:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे, दिल्ली के वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यहार किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने शिकायतों की जाँच की है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) हाँ।

(ख) अभ्यावेदन की मुख्य बातें इस प्रकार थी:—

(एक) कि वरिष्ठ-लेखा अधिकारी विदेश यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली ने संघ बनाने के लिये अवर्गीकृत रेलवे लेखा कर्मचारी संघ के कार्यकर्त्ताओं को धमकी दी थी; और

(दो) उसने उपर्युक्त संघ के प्रेजिडेंट और मंत्री को गाली दी और उनसे ब्याज लेने का प्रयत्न किया।

(ग) हाँ।

(घ) शिकायत सही नहीं पाई गई।

Show Rooms Abroad

3500. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the places abroad where India has set up Show Rooms for promoting exports ;

(b) whether it is a fact that the goods displayed lying there for years, as these goods cannot be sold according to rules ; and

(c) if so, the action which Government propose to take in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) A list of the Showrooms is laid on the Table of the House. **[Placed in Library, See. no. LT 1917/67)]**.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

रबड़ का आयात

3501. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री म० ला० सोंधी :**

श्री स० कुण्डू :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्तूबर, 1967 तक के दस महीनों में देश में कुल कितनी प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया तथा उसकी कुल कीमत कितनी थी ;

(क) देश में इस समय आयायित प्राकृतिक रबड़ का स्टाक कितना है ;

(ग) देश में रबड़ की औसतन मासिक खपत कितनी है ; और

(घ) देश में रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिये तथा प्राकृतिक रबड़ के आयात को कम करने के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जनवरी से अगस्त, 1967 के बीच 14,018 टन प्राकृतिक रबड़ आयात किया गया था और उसका मूल्य 474 लाख रु० था। सितम्बर और अक्तूबर के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) देश में सितम्बर, 1967 के अन्त में प्राकृतिक रबड़ की कुल मात्रा 26,788 टन थी।

(ग) इस समय देश में प्राकृतिक तथा कृत्रिम रबड़ का मासिक औसत उपभोग लगभग 8,750 टन है।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी ०1920/67**]

धर्मकोट (हिमाचल प्रदेश) का भूतत्वीय सर्वेक्षण

3502. **श्री हेम राज** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने धर्मशाला क्षेत्र में धर्मकोट में चूने के पत्थर के भंडारों के बारे में अपनी रिपोर्ट अन्तिम रूप में तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी रिपोर्ट में क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले गये हैं ; और

(ग) क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) और (ख) नहीं, महोदय। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा धरमशाला के पास चूना पत्थर के लिये विस्तृत अनुसंधान कार्य जारी है। कार्य के पूर्ण होने पर अनुसंधान के विषय में रिपोर्ट तैयार की जायगी ।

(ग) संसद् पुस्तकालय को रिपोर्ट की एक प्रति दे दी जायेगी ।

Public Call Office at Burhanpur Railway Station

3503. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Public Call Office has been provided at Burhampur Railway Station in Madhya Pradesh to facilitate the public of Burhampur city to obtain information concerning Railways ;

(b) whether it is also a fact that this facility is sometimes not available to the public because nobody attends to the telephone calls and all of them remain busy in other work; and

(c) if so, the action Government propose to take in that regard so that the public of Burhampur living at a distance of 3 miles from the Station may avail themselves of this facility ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) There is no separate Enquiry Office at Burhanpur. However, public telephones have been provided in Assistant Station Master's Office and in Goods Shed for public enquiries.

(b) There is no difficulty so far as the telephone in the Goods Shed is concerned and the telephone is attended by by the Goods Shed staff. Sometimes when staff on duty in Assistant Station Master's Office are busy with operating duties, there is difficulty in attending to the telephone in that office.

(c) A proposal to provide one Enquiry Clerk in the Assistant Station Master's Office during day time is being examined by the Central Railway authorities.

चौथी पंचवर्षीय योजना में मशीनी औजारों का उत्पादन

3504. **श्री प० गोपालन: श्री अ० क० गोपालन: श्री राममूर्ति:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मशीनी औजार बनाने का अनुमानित लक्ष्य क्या है जो चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल है;

(ख) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित मशीनी औजारों के उत्पादन के अनुमानित लक्ष्य में कटौती की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) 1970–71 के लिए मशीनी औजारों का उत्पादन लक्ष्य, जैसा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे की रूपरेखा में दिखाया गया है, 105 करोड़ रुपए का है।

(ख) चतुर्थ योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाता है। बदली हुई आर्थिक स्थिति और मशीनी औजारों की मांग में गिरावट को देखते हुए, उत्पादन लक्ष्य पर पुनः विचार कर उसे कम करना पड़ सकता है।

विदेशी सहयोग

3505. **श्री धोरेश्वर कलिता**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने चालू वर्ष में उद्योग-वार, विदेशी सहयोग से कितने उपक्रम लगाने की मंजूरी दी है; और

(ख) इन उपक्रमों में कितनी विदेशी पूंजी लगाई जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जनवरी-अक्तूबर, 1967 की अवधि में सरकार द्वारा विदेशी सहयोग के 174 मामले मंजूर किए गए हैं। जनवरी-मार्च, 1967 और अप्रैल-जून, 1967 के दौरान मंजूर किए गए इस प्रकार के मामलों की सूचियाँ, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्मित वस्तुएँ भी दिखाई गई हैं, क्रमशः अगस्त एवं सितम्बर, 1967 के 'जरनल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' में प्रकाशित हुई हैं।

जुलाई-अक्तूबर, 1967 की अवधि की इसी प्रकार की एक सूची (अंग्रेजी के साथ) नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1921/67**]।

(ख) इन मामलों में लगभग 8.14 करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी लगी हुई है।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से उर्वरकों की सप्लाई

3506. **श्री वेणी शंकर शर्मा**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य ने वर्ष 1967 में उर्वरकों की सप्लाई करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि दी जायेगी?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हाँ।

(ख) स्वेज नहर के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप जो अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा उसके अधीनस्थ रहते हुए क्रय पर 9.44 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

Engineering Consortium for setting up Fertilizer Factories

3507. **Shri Maharaj Singh Bharati** :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that various Engineering Companies have formed a consortium for setting up fertilizer factories ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the name of the agency which has been entrusted with the work of supplying drawings for new type of plant keeping in view of the technical development and the progress made in that regard so far ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में उत्पादन

3508. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीनों सरकारी इस्पात कारखानों में उत्पादन बढ़ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो 1964 और 1965 में उनमें कितना कितना उत्पादन हुआ था;

(ग) क्या इन कारखानों का विस्तार किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) और (ख) जी, हाँ। 1964–65 और 1965–66 के उत्पादन के तुलनात्मक आँकड़े निम्न हैं:—

(हजार टनों में)

	1964–65	1965–66
(1) रूरकेला	979	1065
(2) भिलाई	1131	1371
(3) दुर्गापुर	1006	1001

(ग) और (घ) भिलाई इस्पात संयंत्र का पहला विस्तार पूरा हो चुका है और दुर्गापुर और रूरकेला का विस्तार पूरा होने वाला है। जहाँ तक अग्रेतर विस्तार का सम्बन्ध है, दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात संयंत्रों के विस्तार पर निर्णय को स्थगित कर दिया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र का अग्रेतर विस्तार विचाराधीन है।

न्यू विक्टोरिया काटन, मिल्स कानपुर

3509. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू विक्टोरिया काटन मिल्स कानपुर पिछले 40 दिनों से बन्द पड़ी है;

(ख) क्या कपास के अभाव के कारण इसको बन्द किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो मिल को कपास सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस मिल को पुनः खोलने के लिये भी कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):

(क) जी, हाँ। मिल 3 अक्तूबर, 1967 से बन्द पड़े हैं।

(ख) से (ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

लागत लेखापालों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पत्र

3510. **श्री यशपाल सिंह**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लागत लेखापालों ने समवाय विधि बोर्ड को कोई ज्ञापन पत्र दिया है जिसमें सरकार से दस वर्ष के अनुभव वाले सरकारी मान्यताप्राप्त लेखापालों को लागत लेखे परीक्षा की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मशीन से जूते बनाने वाला कारखाना

3511. **श्री यशपाल सिंह**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने मशीन से जूते बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, हाँ।

(ख) कारखाने को कानपुर शहर के निकट जजमुआ में स्थापित करने का विचार है। संचालन पूंजी सहित कारखाने की कुल लागत अनुमानतः 2 करोड़ रु० होगी।

कन्नूर में लौह अयस्क के भण्डार

3512. **श्री अ० क० गोपालन:** **श्री प० गोपालन:**

श्रीमती सुशीला गोपालन:

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल के कन्नूर जिले में लोह अयस्क का विशाल भण्डार पाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितना बड़ा;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिये कि वहाँ लोह अयस्क का कितना भंडार मिला है सरकार का विचार वहाँ पर एक सर्वेक्षण दल भेजने का है और यदि हाँ, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी):

(क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1963-64 में भारतीय भूविज्ञान संस्था ने मैसूर के दक्षिणी कनारा जिले के पुत्तूर तालुक में कच्चे लोहे की पट्टी के दक्षिणी विस्तार के लिए कैनानोर जिले में विस्तृत खोज की थी जिससे पता चला कि धारवाड़ का अलग होने वाला खंड तथा उसके साथ लगी कच्चे लोहे की पट्टी कच्चे लोहे की नीची श्रेणी, मैगनेटाइट क्वार्टजाइट के पतले बन्धकों के सिवाय, कैनूर जिले के भीतर तक नहीं गए। पुत्तूर के आसपास कच्चे लोहे की मुख्य प्राप्तियाँ, चिलमेतारु तथा विटलापुत्तूर रोड पर कमलाबेटू के पश्चिम में मैगनेटाइट की संदरों की हुई हैं। इसमें लगभग 56.83% लोहा है। कसारगांड़ क्षेत्र में चर्चा करने योग्य केवल द्वितीयक हाईड्रस आईरन आक्साईड के पतले पृथम्भवन हैं, जो लिमोनाईट से मिलता जुलता है और लेटराईट की मोटी तहों में महीन बन्धक तथा लैन्सों के रूप में पाया जाता है। यह बिखरे हुए हैं और कभी-कभी प्राप्त होते हैं तथा मोटाई में 5 से 8 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ कसारगोड जलसूर सड़क पर सड़क के कटाओं पर और बेला, चेमवातूर और शेमानी में हैं। लौह अयस्क पिंडों के रूप में यह बहुत महत्वहीन है तथा ध्यान देने योग्य नहीं।

अन्य रेलवे (फारेन) यातायात लेखा कार्यालय दिल्ली के कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना

3513. **श्री अ० क० गोपालन:** **श्री रमानी:**

श्री सत्य नारायण सिंह: **श्री राममूर्ति:**

श्री विश्वनाथ मेनन:

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रेलवे के कर्मचारियों तथा दिल्ली स्थित पश्चिमी रेलवे के फारेन यातायात

लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को, जब से पश्चिमी रेलवे के कर्मचारियों को क्वार्टर दिए जाने के लिए अलग से पंजीकृत किया जाना आरम्भ हुआ, कितने क्वार्टर दिए गए हैं; और

(ख) यदि पश्चिमी रेलवे के कर्मचारियों को दिए गए क्वार्टरों की संख्या नगण्य है तो क्या सरकार इन कर्मचारियों को और क्वार्टर देने तथा पिछली कमी को पूरा करने पर विचार कर रही है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) चूंकि क्वार्टरों का पृथक पूल नहीं है, इसलिये उत्तर रेलवे द्वारा क्वार्टरों के आवंटन के लिये अन्य रेलवे यातायात कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली के कर्मचारी पृथक रूप से पंजीकृत नहीं हैं। भूतपूर्व रेलवे क्लीयरिंग एकाउंटस् आफिस के विकेन्द्रीकरण की तिथि से अर्थात् 10–7–53 से उत्तर रेलवे के कर्मचारियों और अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिमी रेलवे को आवंटित किए गए क्वार्टरों की संख्या निम्न है:—

(एक) उत्तर रेलवे	3405
(दो) अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय पश्चिमी रेलवे	6

गैर-आवश्यक कर्मचारियों जिन्हें उत्तर रेलवे तथा पश्चिम रेलवे यातायात कर्मचारियो के क्वार्टर दिए गए हैं, की प्रतिशतता इस प्रकार है:—

	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
उत्तर रेलवे	10.44%	22.30%
पश्चिम रेलवे यातायात लेखा कर्मचारी	11%	29%

(ख) ऊपर (क) के उत्तर के आँकड़ों से पता चलेगा कि क्वार्टरों के आवंटन में पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों को ऊँची प्रतिशतता मिली है और इसलिये पश्चिमी रेलवे के कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करने में विशेष रियायत देने का कोई विचार नहीं है।

पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी रेलों के लेखा विभागों के कर्मचारियों की बैठक

3514. **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री विश्वनाथ मेनन**:
श्री उमानाथ:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 16 सितम्बर, 1967 को कलकत्ता में अखिल भारतीय रेलवे लेखा कर्मचारी संघ ने पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों की कोई बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस बैठक में कोई संकल्प पास कर सरकार को भेजा गया था;

(ग) उनकी माँगें क्या हैं; और

(घ) इन माँगों को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) माँगे इस प्रकार हैं:

(एक) विशेष रूप से यातायात लेखा कार्यालय से मशीनीकरण का हटाया जाना।

(दो) कार्यविश्लेषण द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकताओं का उचित अनुमान लगाया जाना और यह कि कोई कर्मचारी फालतू घोषित नहीं किए जाने चाहिये।

(तीन) रेलवे लेखा क्लर्कों की दो श्रेणियों का एकीकरण और लेखा क्लर्कों की श्रेणी मे वर्तमान रिक्त स्थानों का भरा जाना (श्रेणी एक)

(चार) ऐसे वरिष्ठ लेखा क्लर्कों के मामलों में जाँच की आवश्यकता जो अपनी भर्ती के वेतनक्रम का अधिकतम ले रहे हैं।

(पाँच) वरिष्ठ कर्मचारियों का तबादला न करने की आवश्यकता।

(घ) रेलवे में काम के बढ़ जाने के कारण सरकार लेखापालन तथा व्यवस्थापन के आधुनिक उपकरणों को प्रयोग करना आवश्यक समझती है और इसलिये कुछ मशीनीकरण तथा स्वचालन आवश्यक है। तथापि, कर्मचारी किसी भी छंटनी से बचे रहेंगे और 20-8-66 को विद्यमान श्रेणी के आधार पर उनके पदोन्नति के अवसरों का भी संरक्षण किया गया है। प्रशासन के हित में कर्मचारियों के स्थानान्तरण को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता। परन्तु आश्वासन दिया गया है कि संगणकों के लगाये जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को उनकी मर्जी के विरुद्ध स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। जबकि लेखा क्लर्कों की दो श्रेणियों का मिलाया जाना कार्य के हित में संभव नहीं है आरम्भिक भर्ती के वेतनक्रम के अधिकतम पर कर्मचारियों को कुछ लाभ देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

इरुगूर रेलवे स्टेशन

3515. **श्री नायनार:** **श्री रमानी:**

श्री चक्रपाणि:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोयम्बटूर जिले के इरूगूर गाँव के लोगों से इरूगूर स्टेशन पर सभी सुविधाओं से पूर्ण पक्का रेलवे स्टेशन बनाने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी, हाँ।

(ख) इरूगूर ग्राम के रहने वालों ने यह अभ्यावेदन किया है कि इरूगूर स्टेशन को नियमित स्टेशन बनाया जाना चाहिये और वहाँ प्रतीक्षालय, पीने के जल के नल, शौचालय, ऊँचे प्लेटफार्म आदि जैसी सुविधायें दी जावें;

इरूगूर ठेकेदार द्वारा चलाया जाने वाला हाल्ट स्टेशन है। उसे फ्लैग स्टेशन में परिवर्तित करने के प्रस्ताव की जाच की गई थी और उसका पर्याप्त औचित्य न होने के कारण उसे संभव नहीं पाया गया था।

ईस्टर्न रेलवे एम्पलाईज कंज्यूमर्स विशुद्ध कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जमालपुर

3516. **श्री नायनार:** **श्री नम्बियार:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ईस्टर्न रेलवे एम्प्लायीज़ कंज्यूमर्स विशुद्ध कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड जमालपुर के अवैतनिक सचिव से समिति में कदाचार के बारे में दिनाँक 28 सितम्बर 1967 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में जाँच करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी, हाँ।

(ख) ज्ञापन मुख्यत: सोसायटी के कार्यों के कुप्रबन्ध से सम्बन्धित है।

(ग) जी हाँ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अर्थव्यवस्था में मन्दी

3517. **श्री नायनार:** **श्री नम्बियार:**

श्री रा०रा० सिंह देव: **श्री वेदव्रत बरुआ:**

क्या **रेलवे** मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1788 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कम्पनियों / उद्योगों के क्या नाम हैं जिन्हें मन्दी से मुकाबला करने के लिये आर्डर दिए गए हैं और प्रत्येक कम्पनी को कितनी राशि के आर्डर दिए गए हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (1) डिब्बे बनाने वालों को प्रस्ताव भेजे गए हैं और एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1922/67।**]

(2) जहाँ तक गैर सरकारी फर्मों को दिए गए अन्य रेलवे सामान के लिये आर्डरों का सम्बन्ध है, सभी रेलवे तथा उत्पादन एककों से व्यापक सूचना इकट्ठी की जानी है जिसमें काफी समय लगेगा और इससे मिलने वाले परिणाम इसके लिए किए गए प्रयत्न के अनुरूप नहीं होंगे।

Jute Mills in West Bengal

3518. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of jute Mills in West Bengal ;

(b) the number of workers working in these mills and the break-up of the permanent and temporary workers ; and

(c) the amount of foreign exchange earned from jute industry during 1966-67 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) The information is being collected and would be laid on the Table of the House as soon as possible.

Railway Bridges in U. P.

3519. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of bridges over the railway lines passing through Uttar Pradesh ;

(b) the number of bridges which were constructed during the last two years ; and

(c) the number of bridges which are more than 20 years old and the steps taken to carry out periodical repair thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Thirtyfive.

(b) Three.

(c) Twenty-eight. Periodical repairs are undertaken as and when required.

Effect of West Bengal situation on India's Foreign Trade

3520. **Shri Jaganath Rao Joshi: Shri A. B. Vajpayee :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) where the political situation in West Bengal has advesely affected India's foreign trade and the investment of froreign capital in India ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) and (b) Foreign trade is affected by various stresses both internal and external. It is, however, not possible to make any accurate assessment of the impact of any one factor like the political situation in West Bengal on India's Foreign trade as a whole. Statistics of exports from April to September 1967 show an increase compared to the figures for the corresponding period in 1966.

In regard to Foreign investments in India, it is too early to make an appraisal of the situation.

रूस को जूतों का निर्यात

3521. **श्री वि० कु० मोडक: श्री चक्रपाणि:**

श्री गणेश घोष:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रूस को चमड़े के जूते (पुरुषों के) निर्यात किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो एक जोड़े का मूल्य कितना है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने अमरीकी खरीदारों से जूते (पुरुषों के) सप्लाई करने के क्रयादेश प्राप्त किए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो प्रति जोड़े का मूल्य कितना है;

(ङ) क्या रूस और अमरीका को निर्यात किए जाने वाले जूतों की दरों में कोई अन्तर है; और

(च) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ग) जी हाँ। (ख) से (च) मूल्य बताना राज्य व्यापार निगम के व्यापारिक हित में नहीं है। प्रति जोड़ा लागत डिजाइन कच्चे माल की किस्म तथा प्रत्येक किस्म में विशिष्ट विवरण के अनुसार कारीगरी आदि पर निर्भर करता है और उक्त कारणों से कुछ अन्तर है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खान के स्टोर से रूसी केबलों का गुम हो जाना

3522. **श्री वि० कु० मोडक: श्री गणेश घोष:**

श्री भगवान दास:

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एनकीमोगरा में राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद् की सुराकाचार खानों के भण्डरों से कई लाख रुपए मूल्य के रूसी केबल गुम हो गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका मूल्य क्या है;

(ग) क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत फौजदारी का मुकदमा दर्ज किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) यह सत्य है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सुराकाचार कोयला खान के संग्रहागार से कुछ रूसी तारें गुम पाई गई हैं।

(ख) इन तारों का अनुमानित मूल्य 85,000 रुपए है।

(ग) और (घ) 27-7-67 को बनकीमोगरा की बाह्य पुलिस चौकी को यह मामला सुपुर्द किया गया था और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

मद्रास में बन्द पड़ा मिलें

3523. **श्री वि० कु० मोडक:**
श्री मोहम्मद इस्माइल:
श्री अनिरुद्धन:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने बन्द कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) कुल कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब और अन्तिम निर्णय किए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ख) मद्रास के मुख्य मंत्री ने 30 सितम्बर, 1967 को मद्रास में बन्द मिलों के पुनः खोले जाने के प्रश्न पर वाणिज्य मंत्री से बातचीत की थी। उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार प्रत्येक मामले के गुणों के आधार पर यथासम्भव सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इस आश्वासन के अनुसरण में अधिकारियों का एक ग्रुप नियुक्त किया गया था। यह ग्रुप दो मिलों अर्थात् श्री रंगा विलास, जिनिंग स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड तथा कम्बोडिया मिल्स लिमिटेड के मामलों पर पहले ही विचार कर रहा है। अधिकारियों के ग्रुप का प्रतिवेदन मिलने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

खली का निर्यात

3524. **श्री धीरेश्वर कलिता:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खली के निर्यातकर्ताओं ने जहाजों में स्थान उपलब्ध न होने की तथा भाड़े की दर अधिक होने की शिकायत की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में निर्यातकर्ताओं की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी खली का निर्यात किया गया और निर्यात की गई खली का कुल मूल्य कितना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, नहीं।

( ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) वर्ष	मात्रा (हजार टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1964-65	1246	3924
1965-66	8.28	3464
1966-67	821	4689

कागज के मूल्य में संशोधन

3525. **श्री धीरेश्वर कलिता**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन पेपर मिल्स एसोसिएशन ने कागज के मूल्य बढ़ाने की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ।

(ख) मामले पर फिर से विचार किया जा रहा है।

दुर्घटनाओं के लिए रेलवे अधिकारियों को दण्ड

3526. **श्री रवि राय**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965 से 1967 तक की अवधि में हुई ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है जिनमें रेलवे के राजपत्रित अधिकारियों को जिम्मेदार पाया गया तथा उन्हें सजायें दी गई?

रेलवे मंत्री (चे० मु० पुनाचा): 1 जनवरी, 1965 को से 31, अक्तूबर 1967 की अवधि के बीच, गाड़ियों की 3 दुर्घटनायें हुई थीं, जिसके लिये राजपत्रित अधिकारी जिम्मेदार थे, एक मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है और शेष दो में अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है।

Dacoity in Running Train on Bakhtiyarpur-Rajgir Section (E. Rly).

3527. **Shri Hukam Chand Kachwai:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a dacoity was committed twice within 34 hours in a running train on the Bakhtiyarpur-Rajgir section of the Eastern Railway in Bihar and the dacoits made off with huge sums of money belonging to the passengers as reported in the Hindustan on the 9th August, 1967 ;

(b) if so, the number of dacoits arrested so far and the action taken against them ; and

(c) the loss of lite and property caused by the dacoits ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) to (c). No. The correct position is that only one dacoity was committed on the 5 BR passenger train on 3.8.67 at the point of pistol and taggers. The value of property lootcd was estimated at about Rs. 222 . There was no loss of life. Government Railway Poilce, Biharsharif registered case No. 1 dated 3.8.67 undr section 395 IPC which is still under investigation. No arrest or recovery has been made so far.

Bomb in III Class Compartment of Siliguri-Tinsukia Train.

3528. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a bomb was found in a third class compartment of Siligur-Tinsukia passenger train as reported in the Hindustan dated the 9th August, 1967 ;

(b) whether it is also a fact that during February and April, 1967 there had been three bomb explosions on this line as a result of which hundreds of people had been killed ; and

(c) if so, the action taken by Government to prevent the occurrence of such incidents in future ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) No.

(b) Two cases of bomb explosions were reported during period from February'67 to April 67 on the Siliguri-Tinsukia section. Only one person was killed and five injured in the first explosion, while none was killed or injured in the second explosion.

(c) Following preventive measures are taken by Northeast Frontier Railway in the vulnerable section :—

(i) Running of Passengers trains during day time only.

(ii) Track patrolling by Army, Engineering Gangmen and Railway Protection Special Force deployed under Army ;

(iii) Running of search light special ahead of Passenger carrying Trains, if necessary after dusk ;

(iv) Setting up of Intelligence Cell consisting of Railway, State and Central Defence Units at Dimapur-Manipur Road for collecting intelligence ;

(v) Intensive checking of passengers and their luggages both on platforms and in tarins;

(vi) Alerting passengers through amplifier at important platforms ; and

(vii) Escorting of important Passenger Trains by Government Railway Police, Railway Protection Force and Railway Protection Special Force personnel.

Disruption of Train Services on Eastern Railway

3529. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that train services were disrupted on account of picketing by food demonstrators on various stations on the Eastern Railway and on the Sealdah Section as reported in the Nav Bharat Times dated the 8th November, 1967 ;

(b) if so, the action taken by Government in this connection ; and

(c) the loss as a result of disruption of train services ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Although no news item in Nav Bharat of 8th November, 1967 has come to notice it is a fact that in the month of August 1967 there were cases of train services being disrupted on Eastern Railway by food demonstrators particularly on the Sealdah Division.

(b) During the distrubances Government Railway Police and Railway Protection Special Force escorted passenger trains. Pickets were also posted at vulnerable points.

(c) Information is being collected.

Derailment between Kargi Road and Ghutku Stations

3530. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri R. S. Vidyarthi:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 15 wagons of a goods train were derailed between Kargi Road and Ghutku Stations on the South-Eastern Railway in the first week of September, 1967 ;

(b) if so, the damage caused to the Railway property as a result thereof ;

(c) whether Government have appointed a Committee to investigate into the matter ; and

(d) if so, the findings thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Yes, the accident occurred on 2.9.1967.

(b) The cost of damage to railway property was estimated at approximately **Rs.25000.**

(c) and (d) The accident was enquired into by a Committee of Railway Officers. According to the finding of the Enquiry Committee the accident was due to the breakage of the journal of the wagon marshalled 10th from the train engine due to hot axle.

लखनऊ में ऐनक का सामान बनाने का कारखाना

3531. **श्री प० गोपालन: श्री मुहम्मद इस्माइल :**

श्री अनिरुद्धन:

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन प्रजातन्त्रात्मक गणतन्त्र के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में लखनऊ (उत्तर-प्रदेश) में ऐनक का सामान बनाने का कोई प्रस्तावित कारखाना स्थापित करने की स्वीकृति दी गई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कारखाना कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है और इसके लिये कुल कितना धन मंजूर किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) भारत सरकार ने मेसर्स गवर्नमेंट प्रेसिजन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी, लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है कुछ वैज्ञानिक यन्त्रों जिनमें ऐनकों के शीशे तथा यन्त्र सम्मिलित हैं, के उत्पादन के लिए जर्मन प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य की फर्म मैसर्स कार्ल जीस जैना के साथ सहयोग के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार ने यह संकेत दिया है कि इस परियोजना पर प्रारम्भ में 39 लाख रुपये की लागत का अनुमान था पर अब इस पर 184 लाख रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है और मैसर्स कार्ल जीस जेना से अभी सहयोग करार को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारतीय रेलों की ट्रैफिक एकाउन्ट्स ब्रान्चों में कर्मचारियों की स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या

3532. **श्री प० गोपालन: श्री रमानी:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1959, 20 अगस्त, 1966 और 1 अक्तूबर, 1967 को भारतीय रेलों में

अलग अलग ट्रैफिक एकाउण्ट्स ब्रांचो तथा जनरल एकाउण्ट्स ब्रांचों में सब हैड्स, क्लर्क ग्रैड एक और क्लर्क ग्रेड दो के कर्मचारियों की स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या क्या थी ;

(ख) भारतीय रेलों के प्रत्येक जोन में अलग अलग ट्रैफिक एकाउण्ट्स ब्रांचों तथा जनरल एकाउण्ट्स ब्रांचों में कितने प्रतिशत कर्मचारी कम किये गये हैं; और

(ग) क्या विभिन्न रेलों के बीच इनकी प्रतिशतताओं में काफी अन्तर है; और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) से (ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

रेलवे लेखा विभाग में वरिष्ठता

3533. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री अब्राहम :**

श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों के लेखा विभागों की सामान्य लेखा शाखा और यातायात लेखा शाखा में वरिष्ठता किस प्रकार रखी जाती है;

(ख) क्या इन दोनों शाखाओं की एक ही वरिष्ठता सूची बनाई जाती है अथवा अलग-अलग; और

(ग) क्या क्लर्कों और सब-हैडों के पदों तक दोनों शाखाओं के बीच आपसी तबादले होते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सभी रेलों में स्थिति समान नहीं है। सामान्य लेखा तथा यातायात लेखा कर्मचारियों की वरिष्ठता कुछ रेलों में एक ही है तथा अन्य रेलों में पृथक है। कुछ रेलों में, कर्मचारियों के कुछ वर्गों के लिये इसे पृथक् रखा जाता है और अन्य वर्गों के लिये एक ही रखी जाती है।

(ग) साधारणत: ऐसे स्थानान्तरण वहाँ किये जाते हैं जहाँ कर्मचारियों की एक ही वरिष्ठता सूची रखी जाती है।

भारतीय रेलवे के लेखा विभाग में ग्रेड I क्लर्क

3534. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**

श्री नम्बियार : **श्री एस्थोस :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के लेखा विभाग में ग्रेड 1 क्लर्कों के 20% रिक्त-स्थान स्नातकों की सीधी भर्ती के लिए रिक्त तथा आरक्षित रखे जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 31 अक्टूबर, 1967 को प्रत्येक रेलवे में, अलग-अलग, कितने रिक्त स्थान थे;

(ग) क्या लेखा विभाग में पहले ग्रेड के क्लर्कों का 55% कोटा बनाये रखा जा रहा है;

(घ) क्या वर्ष 1959 से लेकर आज तक लेखा क्लर्कों की भर्ती पर लगाये गये प्रतिबन्ध को देखते हुए, सरकार इस आरक्षण कोटे को समाप्त करने तथा रिक्त-पदों को केवल वर्तमान कर्मचारियों को पदोन्नति करके भरने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ, अभी ऐसा ही है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) 55 प्रतिशत की निर्धारित प्रतिशतता में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) अन्य बातों के साथ साथ इस पर भी समय-समय पर विचार होता है।

दिल्ली में पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे (फारेन) यातायात लेखा कार्यालय में अति भार दिखाने वाली पर्चियां

3535. **श्रीमती सुशीला गोपालन:** **श्री अब्राहम:**

श्री एस्थोस:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पश्चिम रेलवे के फारेन ट्रेफिक लेखा-कार्यालय के सम्बन्धित अनुभाग के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में अतिभार दिखाने वाली 8,000 पर्चियां बकाया दिखाई गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अतिभार की 7,000 बकाया पर्चियों को निबटाने के लिये 2,000 रुपये का मानदेय मंजूर किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस असंगति के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह काम कर्मचारियों की कमी के कारण बच गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कर्मचारियों को फालतू घोषित करने के लिये किसे जिम्मेवार ठहराया गया है जिसके कारण काम बच कर इकट्ठा हो गया ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ, परन्तु उनके एक थोड़े से भाग की जाँच की जानी है। शेष के लिये केवल इस बात का रिकार्ड रखा जाना है कि इसे वापसी के लिये स्वीकृत किया गया है।

(ख) अतिभार दिखाने वाली 5560 पर्चियों को निबटाने के लिये, न कि 7,000 के लिये जैसा कि कहा गया है, 2053 रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव है।

(ग) अतिभार दिखाने वाली शेष पर्चियाँ कर्मचारियों ने कार्यालय के समय में निपटा दी थीं और उसके लिये कोई मानदेय नहीं दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र में सीमेन्ट के नए कारखाने

3536. **श्री डा० रानेन सेन**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के नये कारखाने स्थापित करने की योजना बनाई है और यदि हाँ, तो कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे;

(ख) इन नये कारखानों की उत्पादन क्षमता कितनी होगी और इनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ;

(ग) ये कारखानें कहाँ-कहाँ लगाये जायेंगे तथा प्रत्येक पर अनुमानतः कितना कितना धन व्यय होगा; और

(घ) इन कारखानों में उत्पादन कब से प्रारंभ हो जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ग) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने निम्नलिखित स्थानों के लिए सीमेंट संयन्त्रों के बारे में परियोजना प्रतिवेदन सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए हैं। इन संयन्त्रों की क्षमता और रोजगार की सम्भावना प्रत्येक के सामने नीचे दी गई है:

स्थान	वस्तु	वार्षिक क्षमता (मी० टन)	रोजगार की सम्भावना (व्यक्ति)	अनुमानित व्यय (करोड़ रु०)	चालू होने की सम्भावित तिथि
मन्धर (म० प्र०)	पोर्टलैण्ड सीमेंट	200,000	500	4.46	1969 में
कुशकुन्ता (मैसूर)	वही	200,000	500	4.40	वही
नीमच (म०प्र०)	वही	200,000	500	4.91	स्वीकृति मिलने पर तीन वर्ष से कम समय में नहीं
जगदलपुर (म० प्र०)	वही	200,000	500	5.375	
तन्दूर (आ०प्र०)	वही	200,000	500	4.49	
महरौली (दिल्ली)	मैसानरी सीमेंट	50,000	100	0.66	परियोजना की स्वीकृति मिलने पर लगभग एक वर्ष में

उपरोक्त स्थानों में से मन्धर और कुशकुन्ता के लिए जून 1966 में स्वीकृति मिल चुकी है। अन्य सभी स्थानों और प्राप्त परियोजना रिपोर्ट पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

जस्ता तथा सीसा अयस्क खानें

3537. **डा० रानेन सेन** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जस्ता तथा सीसा अयस्क खानों को विकसित करने की समस्या की ओर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है और इस सम्बन्ध में हुई प्रगति कोई खास सन्तोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में जस्ता तथा सीसा अयस्क खानों के समुचित विकास तथा विदोहन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) नहीं, महोदय। इस समय वाणिज्य दृष्टि से खनन योग्य जस्ता तथा सीसा अयस्क की एक मात्र परिचित खानें राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थित हैं। यह खानें एक निजी कम्पनी द्वारा चलाई जा रही थी, जो कि प्रति दिन 500 टन अयस्क उत्पादित कर रहे थे। जस्ता प्रद्रावक के निर्माण को पूरा करने तथा खानों के विस्तार को कार्यान्वित करने में कम्पनी की अयोग्यता के कारण, कम्पनी की निकाय को सरकार ने अक्तूबर 1965 से अपने हाथ में ले लिया। हिन्दुस्तान जिंक लि० जो केन्द्रीय सरकार की निकाय है और जो अब इन खानों की स्वामी है तथा इनका प्रबन्ध करती है, ने खानों का और अधिक विकास करने के कदम उठाये हैं। सीसा और जस्ता की उत्पादन क्षमता 500 टन से बढ़ा कर 750 टन प्रति दिन कर दी गई है। शीघ्र ही उत्पादन क्षमता को और आगे बढ़ा कर। 1000 टन प्रति दिन कर दिया जायेगा। अयस्क के बढ़े हुये उत्पादन के अनुरूप खानों के स्थान पर अभिशोधन क्षमता भी बढ़ा दी गई है। उपयुक्त अतिरिक्त अभिशोधन क्षमता के साथ अयस्क के उत्पादन को और अधिक बढ़ा कर 2000 टन प्रति दिन कर देने के प्रयत्न भी किये गये हैं। 18000 टन प्रति वर्ष जस्ता धातु की क्षमता वाले जस्ता प्रद्रावक का निर्माण पूरा कर लिया गया है और आशा है कि यह शीघ्र ही चालू हो जायेगा। अयस्क के उत्पादन को 2000 टन प्रति दिन से भी ऊँचा ले जाने के विचार से जावर क्षेत्र में अतिरिक्त निक्षेपों को सिद्ध करने के लिये अन्वेषण तथा पूर्वेक्षण कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जावर क्षेत्र के इलावा, देश में सीसा और जस्ता के नये निक्षेपों का पता लगाने के लिये उग्र अन्वेक्षण और हवाई सर्वेक्षण भी किये गये हैं। ज्योंही वाणिज्य दृष्टि से खनन योग्य नये निक्षेपों का पता लगेगा, सरकार इनके विकास तथा विदोहन का कार्य अपने हाथ में लेने का इरादा रखती है।

गैर-सरकारी फर्मों को माल-डिब्बों का आर्डर दिया जाना

3538. **डा० रानेन सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में विभिन्न गैर-सरकारी फर्मों को रेलवे माल डिब्बों के बहुत से आर्डर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन फर्मों ने माल डिब्बों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) गैर सरकारी क्षेत्र में चार पहियों वाले 16,000 माल डिब्बे प्राप्त करने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और माल डिब्बे बनाने वाले विभिन्न सार्थों को प्रस्ताव भेजे गये हैं।

(ख) उक्त प्रस्ताव 1968–69 में माल डिब्बों के निर्माण के लिये किये गये थे। निर्माण कार्य मार्च, 1968 तक शुरू होने की आशा है।

ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिसेज में कर्मचारियों की स्वीकृत और कार्यकारी संख्या

3540. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** **श्री रमानी:**

श्री राममूर्ति:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1959, 20 अगस्त 1966 और 1 अक्टूबर, 1967 को फारेन ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिस पश्चिम रेलवे दिल्ली, ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिस उत्तर रेलवे, दिल्ली और ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिस पश्चिम रेलवे, अजमेर में क्रमश: सब हैड-क्लर्क श्रेणी 1 और क्लर्क श्रेणी 2 की अलग-अलग स्वीकृत तथा कार्यकारी संख्या क्या थी ; और

(ख) क्या यह संख्या कम होती जा रही है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अनग्रेडेड रेलवे अकाउन्ट्स स्टाफ एसोसिएशन

3541. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** **श्री रमानी:**

श्री सत्य नारायण सिंह:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनग्रेडेड रेलवे अकाउन्ट्स स्टाफ एसोसियेशन ने सरकार को सूचना दी थी कि वे 16 सितम्बर, 1967 को उनके निवास-स्थान पर प्रदर्शन करेंगे ;

(ख) क्या रेलवे कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन देने के लिये उनसे मिला था;

(ग) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं;

(घ) क्या उपर्युक्त एसोसियेशन को कोई जवाब दिया गया था; और

(ङ) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग) पश्चिम तथा उत्तर रेलवे के यातायात लेखा तथा संकलन शाखाओं के कर्मचारियों की शिकायतों में, जो संकल्प का विषय थीं, निम्नलिखित माँगें शामिल थीं :

(एक) भारतीय रेलों के यातायात लेखा कार्यालयों से यंत्रीकरण हटाई जानी चाहिये।

(दो) कर्मचारियो की पदोन्नति खुली होनी चाहिये और सरलीकरण से पहले पदोन्नति की सामान्य परिस्थितियाँ पुन: लागू की जानी चाहिये।

(तीन) कार्य विश्लेषण द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिये और कोई कर्मचारी फालतू घोषित नहीं किये जाने चाहियें।

(चार) रेलवे प्रशासन द्वारा दिया गया आश्वासन, कि किसी कर्मचारी को उसके कार्य स्थान से स्थानान्तरित नहीं किया जावेगा, क्रियान्वित किया जाना चाहिये और दोहद में स्थानान्तरित 7 कर्मचारियों को वापिस बुलाया जाना चाहिये।

(पाँच) ऐसे कर्मचारियों को जिनकी वेतन वृद्धि 180 रुपये पर पहुँच कर रुक गई है, पदोन्नति के लिये पर्याप्त सुविधायें दी जानी चाहिये।

(छः) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिये पर्याप्त सुविधायें दी जानी चाहिये।

(घ) सामान्यतः किसी वर्ग विशेष तथा/अथवा गैर मान्यताप्राप्त संस्थाओं को कोई उत्तर नहीं दिया जाता है।

(ङ) माँगों की उनके गुणों के आधार पर जाँच की जाती है उसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों पर स्थायी वार्ता व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर संगठित श्रमिकों के साथ बातचीत की जाती है। प्रबन्ध के उपकरणों का कुछ हद तक आधुनिकीरण करना उचित समझा गया है और इसी कारण कम्पयूटर्स लगाये जा रहे हैं और आरम्भ में यातायात लेखा के कार्य में मशीनें लगाई जायेंगी, परन्तु कर्मचारयों को यह आश्वासन दिया गया है कि 20-8-66 को विद्यमान पदालि पर आधारित पदोन्नति के अवसर सुरक्षित किये जायेंगे और वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी किये जाने का कोई विचार नहीं है।

दोहद को स्थानान्तरित सात कर्मचारियों में से दो का स्थानान्तरण पहले ही रद्द किया जा चुका है और शेष पाँच के पुनः स्थानान्तरण का प्रश्न विचाराधीन है। कुछ कर्मचारियों के मूल वेतनक्रम में 180 रुपये पर वेतन वृद्धि रुक जाने की समस्या पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे मुद्रणालय तथा फॉर्म डिपो को गोहाटी से न्यू जलपाइगुड़ी ले जाया जाना

3542. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे तथा फॉर्म डिपो को गोहाटी से न्यू जलपाइगुड़ी ले जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध जनता से तथा कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित स्थानान्तरण से कर्मचारियों को होने वाली प्रत्याशित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या इस प्रस्ताव को समाप्त कर देने का रेलवे प्रशासन का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ। फार्म डिपो के स्थानान्तरण के प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। रेलवे का गोहाटी में कोई मुद्रणालय नहीं है।

(ख) प्रशासनिक कारणों से जिनसे कार्यकुशलता में वृद्धि होने की आशा है।

(ग) अभी स्थिति यथापूर्वक रखी जायेगी। परन्तु गोहाटी तथा न्यू जलपाइगुड़ी में पुस्तकें, फार्म तथा लेखन सामग्री रखने का एक नया प्रस्ताव विचाराधीन है।

Black-marketing of 3rd Class Sleeping Accommodation in Delhi.

3543. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a large scale blackmarketing of tickets for sleeping accommodation in Third Class compartment is going on in Delhi ;

(b) whether some Railway employees also are suspected to be involved therein ;

(c) whether an enquiry has been conducted into this matter ; and

(d) if so, the findings thereof and the action taken by Government with a view to facilitate the reservation of berths in the third class sleeping compartments ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) No such large scale blackmarketing of tickets for sleeping accommodation in third class in Delhi has come to notice.

(b) to (d) Do not arise.

Export of Iron Ore to Japan

3544. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the delegation of Indian Chamber of Commerce and Industry that visited Japan during September, 1967 has drawn attention to the prospects of a large scale export of iron ore to Japan ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) and (b) It is a fact that in the Report of the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry that visited Japan in September this year, it has, **inter alia,** been mentioned that India's share of the increasing iron ore market in Japan could be raised from about 20% to 30% if there is firm assurance of transport and port facilities apart from competitiveness in price and quality of ore. This confirms the view held by Government Regular contact is being maintained by organisations responsible for India iron ore exports. with the Steel Mills of Japan and there is continuous exchange of ideas regarding these matters. The prospects in the Japanese market for Indian ore constitute one of the must important considerations around which the iron ore export programme is being planned and implemented on top priority basis.

Bromite/Bromine and Sulphur Deposits in India.

3545. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are indications of large deposits of Bromite/Bromine near Kanpur, Mussoorie and Jaisalmer and those of phosphate in Andaman and Nicobar Islands ;

(b) the estimates of Geological Survey of India in this regard ; and

(c) the action taken by Government to exploit these deposits?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy):

(a) : No indications of large deposits of Bromite and Bromine near Kanpur, Mussoorie and Jaisalmer and those of phosphate in Andaman-Nicobar Islands have been recorded by the Geological Survey of India.

(b) and (c) Do not arise.

आयात लाइसेंस जारी करना

3546. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग, सूती कपड़े और पटसन उद्योग, जिन्हें आयात लाइसेंस बनाये रखने के बारे में प्राथमिकता दी गई थी, जून, 1966 से लेकर अपनी निर्मित वस्तुओं का संतोषजनक ढंग से निर्यात करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस आधार पर प्राथमिकताओं में परिवर्तन किया जायगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पहले वर्ष की तुलना में अवमूल्यन के बाद के वर्ष में इंजीनियरी वस्तुओं सूती, कपड़ों तथा पटसन की वस्तुओं में क्रमशः 16, प्रतिशत 28 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत की कमी हुई है। परन्तु इन वस्तुओं की निर्यात जून अगस्त, 1967 में बढ़ गई है और यह वृद्धि जून-अगस्त, 1967 में निर्यात की तुलना में इंजीनियरी वस्तुओं, सूती वस्त्रों तथा पटसन की वस्तुओं के लिये क्रमशः 27 प्रतिशत, 12 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत है।

(ख) निर्यात में कमी के लिये कारण निम्नलिखित हैं:

(ए) इंजीनियरी वस्तुओं के मामले में अवमूल्यन तथा परिवर्तित सरकारी नीतियों से उत्पन्न होने वाली स्थिति में निर्यात कार्यक्रम के पुनः समायोजन में लगा समय तथा विदेशों की माँग में कमी ;

(दो) सूती वस्त्रों के मामले में अधिकतम मूल्य पर रुई की उचित किस्म उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन में कमी, ब्रिटेन द्वारा आयात में कमी तथा अवमूल्यन से पैदा हुई कठिनाइयाँ ;

(तीन) पटसन की वस्तुओं के मामले में देश में फसल की उत्तरोत्तर कमी के कारण पटसन तथा पटसन की वस्तुओं के अधिक मूल्य, पाकिस्तान से प्रतियोगिता और कृत्रिम स्थानापन्न वस्तुओं का बनना ;

(ग) उद्योगों को निर्यात को आधार पर 'प्राथमिकता' सूची में शामिल नहीं किया गया है। परन्तु प्राथमिकता उद्योगों से निर्यात बढ़ाने के लिये अनुरोध किया जा रहा है।

नेफा क्षेत्र में रेलवे लाइनों का निर्माण

3547. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार नेफा क्षेत्र में रेलवे लाइनों का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितने मील लम्बी लाइन बनाने का विचार है ; और

(ग) क्या निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

एच० एम० टी० पिंजौर द्वारा मशीनों का निर्माण

3548. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एच० एम० टी० पिंजौर द्वारा निर्मित मशीनें पंजाब के गैर-सरकारी उद्योगों में निर्मित मशीनों की तुलना में अधिक मंहगी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मामले की जाँच की जा रही हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी नहीं। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स पिन्जौर में बनने वाली विद्युत् नियन्त्रित घिसाई

मशीनें भारत में किसी और पार्टी द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। पिंजौर में जिस किस्म की छपाई मशीनें बन रही है वैसी मशीनें भी गैर सरकारी क्षेत्र में नही बन रही हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

3549. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत ने निर्यात के द्वारा प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(ख) वर्ष 1966–67 के दौरान राज्य व्यापार निगम जैसी सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया तथा गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा कितने मूल्य का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) 1964-65 से 1967-68 (अगस्त, 1967 तक) के वर्षों में कुल निर्यात (पुनः निर्यात सहित) निम्नलिखित था :

वर्ष	मूल्य (लाख रुपयों में)	मूल्य (लाख अमरीकी डालरों में)
1964–65	816,30	17,149
1965–66	805,64	16,924
1966–67	1094,94	15,579
1967–68 (अगस्त, 1967 तक)	460,68	6,142

(ख) क्षेत्र-वार निर्यात की आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि निर्यात सम्बन्धी आंकड़े समूचे देश के लिये रखे जाते हैं।

अलाभकर रेलवे लाइन

3550. **श्री सत्यनारायण सिंह**: **श्री गणेश घोष**:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अलाभकर रेलवे लाइनों को बन्द करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी अलाभकर लाइनें हैं तथा उनकी मीलों में कितनी लम्बाई है;

(ग) क्या सरकार ने इन लाइनों के अलाभकर होने के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) अलाभकर शाखा लाइनों का यह पता लगाने के लिये कि क्या ऐसी लाइनें बन्द कर दी जानी चाहिये, अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) अस्थायी सूची में 63 शाखा लाइनें शामिल हैं और लगभग 4280 किलोमीटर इसके अन्तर्गत आते हैं।

(ग) से (ङ) किसी लाइन के अलाभकर होने के मुख्य कारण यातायात कम तथा व्यय अधिक होना है।

तिलवाड़ा के निकट जोधपुर-बाड़मेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का बाढ़ के पानी में फंस जाना

3551. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर-बाड़मेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुक्रवार, 8 सितम्बर, 1967 को तिलवाड़ा के निकट बाढ़ के पानी में फंस गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में यह गाड़ी इतने गहरे जल में घुसी थी ;

(ग) वहाँ फंस गये यात्रियों को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ; और

(घ) क्या इस घटना की पस्थितियों के बारे में कोई जाँच कराई गई है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) 8.9.67 को लगभग 1.30 बजे म० पू० पर 98 डाउन बाड़मेर-जोधपुर एक्सप्रेस के ड्राइवर ने यह देखकर कि तिलवाड़ा और बलीतड़ा स्टेशनों के बीच स्थित आइरिश पुल पर बाढ़ का असाधारणत: अधिक पानी है, गाड़ी रोक दी क्योंकि ऐसा मालूम होता था कि और आगे चलना खतरेसे खाली नहीं होगा। गाड़ी को वापिस तिलवाड़ा भी नहीं लाया जा सकता था क्योंकि लूनी नदी में आकस्मिक बाढ़ आने के कारण पीछे की पटरी तथा पुल जलमग्न हो गए थे। इसलिये गाड़ी को सेक्शन के बीच में रुकना पड़ा।

(ग) बाढ़ के कारण फंसी हुई गाड़ी के पास सड़क अथवा रेल द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता था, इसलिये खाद्यपदार्थ विमान द्वारा गिराने तथा गाड़ी के 500 के लगभग यात्रियों को निकलवाने के लिये वायुबल तथा सेना के अधिकारियों की सहायता माँगी गई। 9-9-67 को बड़े सबेरे ही नौकाओं द्वारा लोगों को निकलवाने का कार्य शुरू हो गया और सायंकाल तक सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप में ले जाया गया जहाँ खाद्य-पदार्थ तथा चिकित्सा सहायता उपलब्ध थी। यात्रियों को जोधपुर ले जाने के लिये बसें भी किराये पर ली गईं।

(घ) जी, नहीं।

Stopping of Trains by Disjoining Vacuum Pipes

3552. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether incidents of stopping of trains by disjoining Vacuum pipes between two bogies have come to the notice of the Railway Administration ; and

(b) if so, the measures contemplated to prevent these pipes being disjoined by the passengers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) and (b) Yes, a few such cases have come to notice. As large mobs indulge in such incidents involving law and order situations, the State Governments are kept advised to enable them to take suitable preventive measures, in addition to the action taken by the Railways with the assistance of the Railway Protection Force and the Government Railway Police.

Exports

3553. **Shri Nihal Singh** : **Shri Bibhuti Mishra** :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of goods imported during the past two years, after the devaluation and preceding thereto, and the additional amount of foreign exchange which had to be spent after devaluation ; and

(b) the sgeps taken by Government to reduce exports ?

The Deputy Minister in the Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) The value of the goods imported during the year preceding and following devaluation is as follows :

Period	Value in Lakhs Rs.	Value in U. S. Million dollar
June 1965—May 1966	1437,42	3019.789
June 1966— May 1967	2037,83	2717.107

No additional foreign exchange was spent after devaluation. On the other hand, an amount of 302.68 million dollars was saved in foreign exchange as compared to the previous year.

(b) The question of reduction of exports does not arise.

Export of Jute

3554. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the Companies which exported jute and gunny bags abroad during the past three years ;

(b) the amount of foreign exchange earned therefrom ; and

(c) the names of the countries to which gunny bags were exported ?

The Deputy Minister in the Ministey of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) Export of jute manufactures is not subject to licensing and consequently the names of all exporting companies are not readily available.

(b) Exports of jute manufactures, in terms of value, were as follows :

1964-65: Rs. 168.34 crores or 354.5 million dollars

1965-66: Rs. 182.71 crores or 383.1 million dollars

1966-67: Rs. 235.20 crores or 334.4 million dollars

(c) The names of the principal countries are :

U. S. A.	Yugoslavia	Ghana
U. K.	Czechoslovakia	Syria
U. S. S. R.	Hungary	Iran
Australia	G. D. R.	Kenya
New Zealand	Rumania	Uganda
Belgium	U. A. R.	Canada
West Germany	Nigeria	Argentina
Netherlands	Sudan	Chile
France	Indonesia	Peru
Bulgaria	Ethiopia	

हरियाना में उद्योग

3555. **श्री रणधीर सिंह**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हरियाना राज्य देश में अन्य राज्यों की तुलना में उद्योगों में बहुत पिछड़ा हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस राज्य में बड़े और छोटे उद्योग स्थापित करने के लिये कुछ योजनायें बनाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) हरियाना औद्योगिक रूप से देश के अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों में से एक है।

(ख) और (ग) सरकार के सामने इस समय कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। फिर भी वार्षिक योजनाओं और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को अन्तिम रूप से तय करते समय विभिन्न राज्यों में उनकी स्थापना के प्रश्न पर सभी संबंधित पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार किया जायगा।

Use of Hindi Dictionary

3556. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the dictionary of technical terms prepard by the Ministry of Education is not used by the Hindi Department of his Ministry ;

(b) if so, the Dictionary which is used there ;

(c) whether it is also a fact that Hindi being used in his Ministry is difficult and hard to understand ; and

(d) if so, whether Government propose to use simple Hindi ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmad) :

(a) and (b) The Technical Terms used in Hindi translation in this Ministry are generally drawn from the Consolidated Glossary of Technical Terms published by the Ministry of Education. In addition to this Comprehensive English-Hindi Dictonary by Dr. Hardev Behari and Bhargava's (Anglo-Hindi) Dictionary is also consulted as and when necessity arises.

(c) and (d) Every endeavour is made to use as simple a language as possible consistent with the need for appropriate and preceise rendering.

Imported Stainless Steel Sheets

3557. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the value of stainless steel sheets imported year-wise during the past five years ;

(b) whether Government propose to stop importing stainless steel in view of the foreign exchange difficulty ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) Imports during 1962-63, 1963-64, 1964-65 have been as below :—

(Value in thousand rupees)

Year	Stainless Steel Sheets and Plates	Stainless Steel Sheets coated
1962-63	30382	1288
1963-64	27324	2242
1964-65	37487	2295

For 1965-66 and 1966-67 separate figures for stainless steel are not available. These are included in figures for tool and alloy steel import of which has been as below :—

(Value in thousand rupees)

1965-66	2,14,932
1966-67	2,35,054

(b) and (c) Import of stainless steel at present is very much restricted. As soon as Durgapur Alloy Steel Plant turns out stainless steel, imports will be reduced to the extent circumstances then justify.

Setting up of an Assembly Plant of Czech tractors

3558. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7256 on the 28th July, 1967 and state :

(a) whether the report regarding the study of financial implications of the Public Sector Tractor factory has been studied and whether a final decision about the said project has been taken ; and

(b) if so, the date by which it is proposed to implement the decisions.

The Minister of Industrial Development and company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) The first part of the Detailed Project Report contains a study of the economic feasibility of the project has been examined in consultation with the technical advisers of Governor and other departments concerned. The issues thrown up in the course of the examination were discussed with a team of Czech experts who came to India for the purpose in September, 1967. Of the important points brought out during the discussions was that the total investment proposed for the project was very high and ways and means should be explored for reducing the investment to the maximum extent possible. The Czech experts have agreed do so and furnish a supplementary report by the end of December, 1967.

(b) A final decision on the project is expected to be taken early in 1968.

Hindi Stenographers

3559. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Stenographers in his Ministry ;

(b) the number of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per Home Ministry's orders ;

(c) whether persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are working against all the reserved posts ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy).

(a) Two.

(b) Nil...

(c) and (d) Do not arise.

Hindi Stenographers

3560. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the present number of posts of Hindi Stenographers in his Ministry ;

(b) the number out of them reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per Home Ministry's orders ; and

(c) whether persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are working against on all the reserved posts and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Nil.

(b) and (c) Do not arise.

रेलवे में कन्टेनर गुड्स सर्विस

3562. **श्री श्रद्धाकर सूपकार**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निकट भविष्य में रेलवे में कन्टेनर गुड्स सर्विस आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो एसी रेलगाड़ियों और साधान्य रेलगाड़ियों के किराये में क्या अन्तर होगा ;

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) भारतीय रेलों के कुछ मार्गों पर कन्टेनर गुड्स सर्विस चालू की गयी है। बम्बई–अहमदाबाद तथा दिल्ली-बम्बई मार्गों पर प्रयोग किए गए प्रत्येक कन्टेनर 405 मीटरिक टन पे-लोड क्षमता के हैं। ग्वालियर तथा नई दिल्ली के बीच यातायात की विशेष आवश्यकताओं के लिये छोटे बन्द किए जा सकने वाले कन्टेनर शुरू किए गए हैं। अधिक कन्टेनर सेवाओं के चालू किए जाने की आशा है ।

(ख) सामान्यतः कन्टेनर सेवाओं के लिये लिये जाने वाले भाड़ों में सिद्धान्ततः कोई अन्तर नहीं है । भाड़े के दर यात्रा के रेलवे के भाड़े के लिये प्रशुल्क वर्गीकरण के अन्तर्गत दरों के आधार पर लिया जाता है और उसमें अन्तिम नगरों में रेलवे द्वारा माल उठाने तथा पहुँचाने की सेवाओं के लिये पारस्परिक बातचीत द्वारा निर्धारित कुछ राशि शामिल रहती है।

हावड़ा-दिल्ली सुपर-एक्सप्रेस रेलगाड़ी

3563. **श्री श्रद्धाकर सूपकार**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हावड़ा और नई दिल्ली के बीच एक सुपर-एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो कब से; और

(ग) क्या यह रेलगाड़ी प्रतिदिन चला करेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रस्ताव के तकनीकी ब्योरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसलिये इसे लागू करने की कोई तिथि अभी नहीं बताई जा सकती।

(ग) अभी यह निर्णय नहीं किया गया कि यह गाड़ी कब-कब चलेगी।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना

3564. **श्री अदिचन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल ने हाल में प्रशासनिक सुधार आयोग को हाल में प्रस्तुत ज्ञापनपत्र में लघु उद्योगों को वरीयता, जिसमें राजसहायता भी शामिल है, देने का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) ऐसा समझा जाता है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल ने प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में स्थापित किए गए कार्यकारी दल द्वारा भेजी गई एक प्रश्नावली के उत्तर में कार्यकारी दल को एक पत्र भेजा है। पत्र जब भी भारत सरकार को भेजा जायगा, सरकार उस पर विचार करेगी।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का लेखा

3565. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की स्थापना 1953 में 11 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी से की गई थी और इस समय इसकी कार्यकारी पूंजी अनुमानत: 37 करोड़ रुपए है;

(ख) क्या 1963–64 में इस कम्पनी का लाभ 14.5 प्रतिशत था जो 1965–66 में घटकर 3.4 प्रतिशत रह गया था;

(ग) क्या इस कम्पनी से अपेक्षित लाभ का इस कम्पनी ने 25 प्रतिशत लाभ भी नहीं कमाया; और

(घ) यदि हाँ, तो इस स्थिति के क्या कारण हैं और क्या कोई ऐसी कार्यवाही की गई है जिसके आधार पर भविष्य में अच्छे परिणाम निकलने की सम्भावना हो ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर 12 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी सहित 6 फरवरी, 1953 को स्थापित किया गया था। कम्पनी की जारी की गई प्रदत्त वर्तमान पूंजी 12 करोड़ रुपए है। 30 दिसम्बर, 1967 को कम्पनी की वास्तविक कार्यकारी पूंजी 12.30 करोड़ रुपए थी।

(ख) लगाई गई पूंजी पर कर निकालने के बाद 1963–64 में 14.5 प्रतिशत और 1965–66 में 3.4 प्रतिशत लाभ हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयले की खपत

3566. **श्री प्रेमचन्द वर्मा**: क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयले की खपत बढ़ाने के लिए सरकार न कोयले के वितरण तथा मूल्य नियंत्रण में कुछ ढील दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य में कहाँ तक सफलता मिली है और उसी अवधि में गत वर्ष नियंत्रण को कुछ ढीला करने के पश्चात् की अवधि के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(ग) क्या कोयले के मूल्य में कोई वृद्धि हुई है; और

(घ) क्या गत वर्ष की अपेक्षा इस अवधि में कोयले के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हाँ, महोदय।

(घ) नहीं, महोदय।

नाहन ढलाई घर में कोयले का स्टाक

3567. **श्री प्रेमचन्द वर्मा**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नाहन ढलाई घर में कोयले के स्टाक की वस्तुगत जाँच पड़ताल करने पर 234.826 मीट्रिक टन कोयला कम पाया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इतनी बड़ी मात्रा में कोयले की कमी हो जाने के बारे में कोई जाँच की गई है और यदि हाँ, तो इस जाँच के क्या परिणाम निकले हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) मार्च, 1965 में हार्ड कोक के स्टाक की वास्तविक जाँच से 234.825 मीट्रिक टन की कमी का पता चला था।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि आवश्यक जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है और इस मामले पर मैसर्स नाहन फाउन्ड्री लि० के निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जा रहा है।

रेलगाड़ियों का देर से चलना

3568. **श्री प्रेमचन्द वर्मा**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्तूबर, 1967 के महीने में कितने प्रतिशत रेल-गाड़ियाँ देर से चलती रही हैं;

(ख) क्या रेलगाड़ियों के देर से चलने के कारणों की जाँच की गई है और यदि हाँ, तो रेलगाड़ियों के साथ जाने वाले या स्टेशन के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कितने मामलों में रेलगाड़ियाँ देर से चलीं;

(ग) क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हाँ, तो अक्तूबर, 1567 में कितने मामलों में दोषी कर्मचारियों को सजा देने के लिये कार्यवाही की गई है; और

(घ) गाड़ियों को समय पर चलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) अक्तूबर, 1967 के दौरान देर से चलने वाली यात्री गाड़ियों का बड़ी लाइन पर 9 और 27 के बीच और मीटर लाइन पर 6 और 19 के बीच अनुपात रहा।

(ख) और (ग) जी, हाँ। लगभग 2400 मामलों में। जो कर्मचारी प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये हैं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है।

(घ) यात्री गाड़ियों के चलने के बारे में सभी स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और उनको समय पर चलाने के लिए हर सम्भव उपाय किया जाता है। समय-समय पर विशेष समय-पाबन्दी अभियान भी चलाये जाते हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे में वातानुकूलित डिब्बों के इंचार्ज/अटेंडेंट

3569. **श्री सरजू पाण्डेय:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में वातानुकूलित डिब्बों के इंचार्जों/अटेंडेंटों ने उनकी सेवा की शर्तों तथा वेतन स्तर में सुधार करने के बारे में अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी, हाँ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

पूर्वोत्तर रेलवे में वातानुकूलित डिब्बों के इन्चार्ज

3570. **श्री सरजू पाण्डेय:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में वातानुकूलित डिब्बे के लिए एक ही कर्मचारी होता है जबकि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में इस कार्य के लिए दो कर्मचारी होते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में वातानुकूलित डिब्बों के इंचार्ज को रात्रि में काम करने पर अतिरिक्त भत्ता मिलता है जबकि पूर्वोत्तर रेलवे में वातानुकूलित डिब्बे के इंचार्ज को इस उचित अधिकार से वंचित रखा जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के गार्ड

3571. **श्री सरजू पाण्डेय:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के गार्डों ने डी० टी० एस० वाराणसी के विरुद्ध आन्दोलन कर रखा है कि जिसमें अन्य मागों के अतिरिक्त यह माँग भी की गई है कि उनके काम की दशा अच्छी होनी चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):(क) और (ख) जी, हाँ, कुछ गार्डों ने जिनको प्रशासनिक कारणों से तबादले के आदेश दिए गए थे, आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया है।

(ग) इस प्रकार के प्रदर्शनों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

बेटाड-राजकोट रेलवे लाइन

3573. **श्री रा० की० अमीन**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जसदन-राजकोट को रेल संचार से मिला कर बेटाड-राजकोट रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):(क) राजकोट-जसदन रेलवे लाइन (मीटर लाइन-61 किलोमीटर) के लिये एक नवीन यातायात सर्वेक्षण किया गया है और सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त सर्वेक्षण के परिणाम पता लग जाने के बाद इस लाइन के निर्माण के बारे में अन्तिम निर्णय किया जायगा। फिर भी धन की कमी के कारण, निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण के बारे में बहुत कम संभावना है।

विदेशी सहयोग

3574. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए सरकार ने अब तक कितने विदेशी सहयोग करारों की स्वीकृति दी है और ये समझौते किन-किन देशों के साथ किए गए हैं;

(ख) इन करारों में कुल कितनी विदेशी पूंजी अन्तर्ग्रस्त है और इन करारों के फलस्वरूप इस समय भारत में कितने विदेशी तकनीशियन काम कर रहे हैं; और

(ग) भविष्य में विदेशी सहयोग करारों को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जनवरी, 1960 से सितम्बर, 1967 की अवधि में सरकार द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में विदेशी सहयोग के 2409 मामले स्वीकार किए गए हैं। इन मामलों का देशवार विवरण अनुबन्ध संख्या 1 सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1923/67**]।

(ख) विदेशी सहयोग के इन मामलों में कितनी विदेशी पूंजी लगायी गयी तथा कितने तकनीशियन लगाये गए इनके अलग अलग आँकड़े नहीं निकाले गए हैं। हाँ, रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन जनवरी, 1967 में भारत में लगायी गई विदेशी पूंजी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया गया है।

(ग) सरकार की यह नीति है कि जिन क्षेत्रों में देश में तकनीकी ज्ञान एवं योग्यता का पर्याप्त विकास हो चुका है, उनमें विदेशी सहयोग और विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन न दिया जाये।

दिल्ली में स्थानीय रेलगाड़ियाँ

3575. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली और इसके निकटस्थ क्षेत्र में स्थानीय रेल-गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्थानीय रेलगाड़ियों के लिए दिल्ली में अधिक हाल्टिंग स्टेशन बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या है;

(ङ) दिल्ली से प्रतिदिन गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ जाने वाले लोगों की संख्या क्या है;

(च) क्या यह सच है कि दिल्ली से इन स्थानों के लिए यात्रा करने वालों के लिये गाड़ियों की संख्या अपर्याप्त है; और

(छ) यदि हाँ, तो सरकार का इनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) जी, हाँ। दिल्ली क्षेत्र में यातायात में वद्धि के कारण नई दिल्ली-बल्लभगढ़, नई दिल्ली-गाजियाबाद, नई दिल्ली-हापुड़ और दिल्ली/दिल्ली सदर बाजार-गढ़ी हरसाह सेक्शनों पर 1–12–1967 से दो दो अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाई गई हैं। इसके साथ-साथ 1 अक्तूबर, 1967 से नई-दिल्ली-गाजियाबाद शटल गाड़ी अब दनकौर तक चलने लगी है।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से सोनीपत और दिल्ली से बहादुरगढ़ तक प्रतिदिन यात्रा करने वालों की लगभग संख्या निम्नलिखित है:

दिल्ली से गाजियाबाद	3625
दिल्ली से फरीदाबाद	238
दिल्ली से सोनीपत	584
दिल्ली से बहादुरगढ़	186

(च) और (छ) दिल्ली क्षेत्र में कुछ उपनगरीय गाड़ियों पर कुछ भीड़ का पता चला था। उल्लिखित अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाई गई हैं और वर्तमान उपनगरीय गाड़ियों में अधिक स्थान की व्यवस्था करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

यात्रा लेखा निरीक्षक

3576. **श्री उमानाथ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम, मध्य तथा उत्तर रेलवे में, पृथक-पृथक, यात्रा लेखा निरीक्षकों के काम करने के साप्ताहिक घण्टे कितने हैं, जिनके आधार पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जाती है;

(ख) क्या प्रत्येक निरीक्षक के लिये आवश्यक समय के पुनर्निधारण तथा यात्रा भत्ता अस्वीकार किए जाने और छुट्टी काटे जाने के कारण यात्रा लेखा निरीक्षकों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से उनके काम के घण्टों पर पुनर्विचार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्री (श्री चै० मु० पुनाचा) :

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Bokaro Steel Plant

3577. **Shri R. S. Vidyarathi** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the amount spent on levelling of the site for Bokaro Steel Plant ;

(b) the number of workers and officers engaged in this work and their monthly pay bill; and

(c) whether Government propose to reduce the number of officers ?

The Minister of Steel Mines and Metals (Dy. Channa Reddy) :

(a) About Rs. 63 millions upto the end of November, 1967.

(b) Three Officers and eleven other staff monthly Pay Bill about Rs. 8,560.

(c) No, Sir.

Derailment on Bilaspur Katni Section

3578. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fifteen wagons of a goods train derailed on Bilaspur-Katni Section of the South-Eastern Railway as reported in Hindustan, dated the 4th September, 1967;

(b) if so, the causes of the accident ;

(c) the action being taken by Government in this regard ; and

(d) the extent of loss of life and property as a result thereof?

The Minister of Railways (Sri C. M. Poonacha) :

(a) Presumably the reference is to the derailment of a goods train which occurred on 2.9.1967 between Kargi Road and Ghutku Stations on the Bilaspur-Katni Section of the South Eastern Railway.

(b) According to the finding of the Enquiry Committee the accident was due to the breakage of the journal of the wagon marshalled 10th from the train engine due to hot axle.

(c) Suitable disciplinary action is being taken against the staff held responsible.

(d) There was no loss of life or injury to anyone. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 25000 .

Mob Violence at Chirain kins, Kerala

3579. **Shri K. P. Singh Deo**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a violent mob removed Railway lines and manhandled Railway employees at Chirain Kins in Kerala in the second week of August, 1967 ;

(b) if so, the loss of life and property suffered as a result thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) to (c) No. The correct position is that a violent mob of students obstructed the Railway track at Kilometres 799/3-4 between Chirayinkil and Murukkampuzha on 10.8.1967 by placing two rail pieces of 20' length each across the track. These two rail piecs had been uprooted by them from the nearby level crossing. Train No. 101 Ernakulam-Trivandrum Express had to stop due to this obstruction. Some of the students later removed the obstruction and allowed the train to pass. No Railway staff was mahandled nor there was any loss of life and property. A case was registered by Government Railway Police, Trivandrum under section 126 Indian Railways Act, but then dropped under the orders of the State Government.

मशीनी औजारों का उत्पादन

3580. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की मशीनी पुर्जों का निर्माण करने का लक्ष्य बहुत घटाया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना पर अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है। बदली हुई आर्थिक स्थिति तथा मशीनी औजारों की माँग में कमी को ध्यान में रखते हुए योजना के मसौदे की रूप-रेखा में दिए गए लक्ष्य पर पुनः विचार करके उसे कम करना पड़ेगा।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी के नए कारखाने

3581. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दो नए कारखाने स्थापित करने की हाल ही में योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो वे कहाँ लगाये जायेंगे और उनका अन्य ब्यौरा क्या है तथा उनके कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) मूल अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटड को पिन्जौर, कलामासेरी और हैदराबाद स्थित अपने तीन वर्तमान कारखानों में विस्तार करने के अतिरिक्त चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दो नए मशीनी औजार बनाने वाले कारखाने में से एक की स्थापना मध्य प्रदेश में होनी थी और दूसरे की उत्तर प्रदेश में। विस्तार योजनाओं को पूरा कर लेने के बाद ही इन कारखानों की स्थापना विस्तार योजनायें पूरी हो जाने क बाद ही करने का विचार था। किन्तु मशीनी औजारों की माँग में तीव्र गति से गिरावट आ जाने के कारण कम्पनी ने अपनी चौथी योजना की सभी योजनाओं को स्थगित कर दिया है। वह मशीनी औजारों की माँग की प्रवृत्ति को कुछ और समय तक देखकर इस मामले पर फिर से विचार करेगी।

पक्षियों का निर्यात

3582. श्री **मोहन स्वरूप** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय पक्षी तथा गिलहरी बहुत लोकप्रिय हैं और प्रत्येक वर्ष उसका बड़ी संख्या में निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक वर्ष कितने पक्षियों का निर्यात किया जाता है और उससे पिछले तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) क्या सरकार को विदेशी क्रेताओं से कोई इस आशय की शिकायतें मिली है कि भारतीय निर्यातकर्ता पक्षियों के पंखों को बनावटी रंगों से रंग देते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मु० शफी कुरेशी):

(क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1964–65 से 1966–67 निर्यातित पक्षियों की संख्या तथा मूल्य निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	मात्रा (हजार की सं० में)	मूल्य (हजार रु० में)
1964–65	13,67	18,39
1965–66	15,30	21,15
1966–67	17,05	29,72

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सियालदह डिवीजन में नैमित्तिक श्रमिक

3583. **श्री समर गुह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सियालदह रेलवे डिवीजन में लगभग 6,000 नैमित्तिक श्रमिक काम करते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिस प्रकार के काम के लिये राज्य सरकार 4 से 5 रुपए प्रति दिन की दर से मजूरी देती है, रेलवे विभाग उसके लिये केवल २ रुपए प्रति दिन देता है;

(ग) क्या यद्यपि इन नैमित्तिक श्रमिकों को नई लाइनों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कामों पर लगाया जाता है और उनमें बहुत से श्रमिक 8 वर्षों से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं; फिर भी उन्हें स्थायी पदों में नियुक्त नहीं किया जाता है;

(घ) क्या यह भी सच है कि नैमित्तिक श्रमिकों को अन्य रेलवे कर्मचारियों की तरह चिकित्सा सहायता का लाभ नहीं मिलता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा की शर्तों को सुधारने और उन्हें स्थायी पदों पर नियुक्त किए जाने की सुविधा देने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

अलीपुर द्वार जंक्शन के निकट मेल गाड़ी की दुर्घटना

3584. **श्री रा० रा० सिंह देव: श्री बेदव्रत बरुआ:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 28 सितम्बर, 1967 को अलीपुरद्वार जंक्शन के निकट हुई रेल दुर्घटना के कारणों के बारे में जाँच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त कलकत्ता, जिन्होंने इस दुर्घटना की कानूनी जाँच की थी, के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

पोकरन और जैसलमेर के बीच रेलवे लाइन

3585. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोकरन और जैसलमेर के बीच रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गई है तथा यात्री/माल यातायात के लिये खोल दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पोकरन के स्टेशन पर सभी निर्धारित सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह काम कब तक पूरा हो जायगा?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) अभी नहीं। केवल मुख्यामार्ग को मिलाने का कार्य हुआ है और इस समय विभागीय गाड़ियाँ चल रही हैं। इस मास के अन्त तक यह परियोजना पूरी हो जाने की आशा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते। पोकरन से जैसलमेर तक की रेलवे लाइन पोकरन से तीन किलोमीटर दूर से शुरू होती है न कि पोकरन स्टेशन यार्ड से। पोकरन में वर्तमान यात्री सुविधाएँ पर्याप्त समझी जाती हैं।

आयातित रूई का वितरण

3586. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन ने आयात की गई रूई को राज्य व्यापार निगम द्वारा बेचे जाने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है,

(ख) क्या फेडरेशन ने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वे निर्यात को बढ़ावा देने के लिये स्वयं धन की व्यवस्था करेगी;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना पर विचार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) इस विशिष्ट मामले में उनके विचार विशेष रूप से सुनिश्चित करने का हाल ही में कोई अवसर नहीं मिला।

(ख) और (ग): जी, हाँ।

(घ) जब तक कोई और संतोषजनक वैकल्पिक योजना नहीं बन जाती तब तक सरकार सूती कपड़ा उद्योग की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए आई० सी० एम० एफ० की योजना को क्रियान्वित करने के लिये सहमत हो गई है।

माडल वूलन मिल्स, बम्बई

3587. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयुक्त के कार्यालय द्वारा मॉडल वूलन मिल्स, बम्बई के लिये अनुचित तथा गैर-कानूनी ढंग से 2/15 तथा 1/10 का 50,000 पौंड पशमी (वर्स्टेड) सूत का नियतन किए जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कपड़ा आयुक्त के कार्यालय के उप-निदेशक की रिपोर्ट मिल चुकी है;

(ग) क्या इस नियतन से सम्बन्धित मिल को दस लाख रुपए का लाभ हुआ था; और

(घ) यदि हाँ, तो उप-निदेशक की रिपोर्ट तथा सरकार द्वारा प्राप्त अन्य जानकारी की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) मॉडल वूलन मिल्स, बम्बई को 2/15 तथा 1/10 का 50,000 पौंड पशमी (वर्स्टेड) सूत का नियतन किए जाने के सम्बन्ध में लगाये गए आरोपों पर केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की सलाह से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

सूती कपड़ा उद्योग

3588. **श्री मधु लिमये**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई क्षेत्र में सूती कपड़ा उद्योग में कम समय काम करने के फलस्वरूप उद्योग, मजदूरों, सरकार तथा जनता को होने वाली हानि की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार ने इस बीच इस सूचना की सत्यता का पता लगा लिया है और भारत में सूती कपड़ के अन्य केन्द्रों के बारे में सामग्री एकत्र की है; और

(घ) यदि हाँ, तो एसे अध्ययन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) वर्ष 1966–67 से आरम्भ होने वाले सूती वर्ष में सूखे की स्थिति के कारण घरों में प्रयोग की जाने वाली रूई की सप्लाई की अत्यधिक कमी थी। दी इण्डियन कॉटन मिल्स फेडरेशन ने इस स्थिति के साथ निपटने के लिये 15 दिन तक सभी मिलों को बन्द करने का सुझाव दिया था। सभी सम्बन्धित पक्षों अर्थात् श्रमिक, उत्पादक, उद्योगपति तथा व्यापारियों के साथ बातचीत करने के बाद यह निश्चय किया गया था कि रूई की माँग और सप्लाई के बीच असुन्तलन को कम करने के लिए एकदम सभी मिलों को बन्द करने की अपेक्षा सप्ताह में एक दिन मिलों को अनिवार्य रूप से बन्द करना अच्छा होगा। इसी के अनुसार तत्कालीन वाणिज्य मंत्री ने इस सभा में एक वक्तव्य दिया था और उसके पश्चात् काटन एण्ड स्टैपल फायबर टेक्सटाइल मिल्स (रेगूलेशन आफ वर्किंग) आर्डर 1966 जारी करने के लिए कार्यवाही की गई थी जिसके अनुसार 12 दिसम्बर, 1966 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह से काटन एण्ड स्टैपल फायबर टेक्सटाइल मिलों को प्रत्येक सप्ताह एक अतिरिक्त छुट्टी करनी थी। अप्रैल, 1967 में जब रुई की स्थिति में सुधार हुआ तो 10 अप्रैल, 1967 से एक सप्ताह की

जगह दो सप्ताह में एक अनिवार्य छुट्टी की जाने लगी थी। रुई की स्थिति में और सुधार हो जाने पर 1 सितम्बर 1967 से वह आदेश मंसूख कर दिया गया था।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सरकार को उल्लिखित आदेश जारी करने की शक्ति न होने के कारण उपरोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिये 23 दिसम्बर, 1966 को अध्यादेश जारी किया गया था। बाद में इस अध्यादेश का स्थान अनिवार्य वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1967 ने ले लिया था।

कम फसल होने के फलस्वरूप रुई तैयार करने के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित पक्षों की कठिनाइयों को कम करने के लिये यह कार्यवाही की गई है।

बिनौले के मूल्य

3589. **श्री मधु लिमये**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के महीनों में बिनौले के मूल्यों में कमी हुई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिये बिनौले के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है अथवा इसके लिये राज्य सहायता दी जा रही है;

(ग) क्या तेल निकालने की क्षमता को बढ़ाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, अभी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लिप्जिग शरद मेला

3590. **श्री मरंडी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्व जर्मनी में 3 से 10 सितम्बर तक लिप्जिग में जो शरद मेला हुआ था, उसमें भारत ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसमें भारतीय वस्तुएँ बहुत बिकी थीं और भारतीय मंडप में बहुत भीड़ थी; और

(ग) इसपर कुल कितना खर्च आया और वस्तुओं की बिक्री अथवा इस मेले में भाग लेने के परिणामस्वरूप कुल कितनी आमदनी हुई?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) कुछ भारतीय फर्मों ने लीपजिग फेयर एजेंसी, एक निजी संस्था के द्वारा मेले में भाग लिया था।

(ख) भारतीय माल के बहुत सारे नमूने प्रदर्शनी के पश्चात् बेचे गए थे और भारतीय पैवेलियन ने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया।

(ग) सरकार ने कोई खर्च नहीं किया। व्यय भाग लेने वालों द्वारा स्वयं वहन किया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस मेले में भाग लेने के परिणामस्वरूप जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से 160 लाख रु० के मूल्य की भारतीय वस्तुओं के निर्यात के ठेके प्राप्त हुए थे।

मुद्रण मशीनों का निर्माण

3591. **श्री नरंडी**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी का विचार लैटर प्रैस प्रिंटिंग के लिए फ्रीडल और सिलिंडर मशीन जैसी मुद्रण मशीनों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हाँ तो उन मशीनों का निर्माण कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या इसके लिये किसी विदेशी सहयोग की आवश्यकता होगी और यदि हाँ, तो वह कौन सा देश है जो सहयोग करने के लिए सहमत हो गया है और सहयोग की शर्तें क्या होंगी?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विचार साधारण ट्रेडिल और सिलिंडर छपाई मशीनें बनाने का नहीं है फिर भी उनका विचार विदेशी सहयोग से एक सहायक कम्पनी में स्वचालित सिलेंडर छपाई मशीन, रोटरी मुद्रण मशीन और प्लेटर प्रेस बनाने का है। योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

कोयला उत्पादकों से कोयले के भण्डार अर्जित करना

3592. **श्री मरंडी**: **श्री स० च० बेसरा**:

क्या **इस्पात,, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयले के उत्पादन पर कुप्रभाव डाले बिना कोयला उत्पादकों से कोयले के स्टाक लेने की शक्तियाँ प्राप्त करने के कुछ प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और कब तक उन प्रस्तावों को क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इससे सरकार को कोयले की समस्या को हल करने में कहाँ तक सहायता मिलेगी?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) नहीं, महोदय।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

जेनेवा में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के सदस्य देशों की बैठक

3593. **श्री मरंडी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जेनेवा में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के सदस्य देशों की बीसवीं वर्षगाँठ बैठक में भारत ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि विकासशील देशों के व्यापार को बढ़ाने के लिये सुविधायें देने हेतु वाणिज्यिक नीतियों में संशोधन किया जाय;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अन्य देशों का क्या दृष्टिकोण था; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किए गए?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार की 20वी वार्षिक बैठक में कोई औपचारिक प्रस्ताव पेश नहीं किया गया था, परन्तु भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने विकासशील देशों के निर्यात व्यापार को

अधिक सुविधायें देने सम्बन्धी उपायों को क्रियान्वयन कार्यक्रम में शामिल कराने का प्रयत्न किया था। बैठक में पहुँचे गए निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण अनुबन्ध में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० 1924/67]।

रूमानिया से सूराख करने वाले बर्मों (बोरिंग रिंगों) का आयात

3594. **श्री ग० च० दीक्षित** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री की हाल ही की रूमानिया की यात्रा के दौरान रूमानिया सरकार ने नलकूप खोदने वाले 100 बोरिंग रिंग तत्काल और 500 रिंग 6 महीने के भीतर सप्लाई करने की पेशकश की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों के लिए वर्दी

3595. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलों के विभिन्न जोनों में रेलवे कर्मचारियों को वर्दियाँ सप्लाई करने के नियम एक समान हैं;

(ख) यदि नहीं, तो नियमों में समानता न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (ग) 1963 से पूर्व रेलवे कर्मचारियों को वर्दी देने के लिये प्रत्येक रेलवे के अपने-अपने विनियम थे। फरवरी, 1963 में रेलवे वर्दी समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्दियों के मानकीकरण के आदेश जारी किए गए थे।

मितव्ययिता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जनवरी 66 में आदेश जारी किए गए थे जिनके द्वारा यह अपेक्षित था कि यदि फरवरी, 1963 में जारी किए गए बोर्ड के पत्र से यहं पहले के पोशाक विनियम अधिक उदार हैं तो नए विनियम लागू होने चाहियें। उन आदेशों का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है।

कलकत्ता-बम्बई मेल को डीजल इंजिनों से चलाया जाना

3596. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता–बम्बई बरास्ता इलाहाबाद मेल रेलगाड़ी को किस तिथि से डीजल इंजिनों से चलाया जायगा;

(ख) उपरोक्त रेलगाड़ियों में दूसरे दर्जे के स्लीपर डिब्बे किस तिथि से लगाये जायेंगे; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ग) माल यातायात की मांगों को पूरा करने के पश्चात् जब डीज़ल इंजन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे तब कलकत्ता-बम्बई बरास्ता इलाहाबाद मेल रेलगाड़ियों को डीज़ल इंजनों से चलाने पर विचार किया जायगा।

(ख) अभी तक कुछ महत्वपूर्ण रेलमार्गों पर दूसरी श्रेणी के डिब्बों के स्थान पर दूसरी श्रेणी के स्लीपर कोच चलाये गये हैं। चूंकि हावड़ा-बम्बई मेल्ज़ (बरास्ता इलाहाबाद) पर दूसरी श्रणी का पूरा डिब्बा नहीं चलता है इसलिये उस लाइन पर दूसरी श्रणी के स्लीपर कोच चलाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है।

जुनेहटा और सोंटालाई स्टेशनों पर यात्रियों को टिकट देने की व्यवस्था

3597. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के जुनेहटा और सोंटालाई रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिये रेलगाड़ियों के टिकट देने की व्यवस्था अभी शुरू नहीं हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सोंटालाई स्टेशन से यात्रियों के लिए टिकट पहले ही दिए जाते हैं। जहाँ तक जुनेटा स्टेशन का प्रश्न है वहाँ पर यह सुविधा निधियों के उपलब्ध होते ही दे दी जायगी।

ताँबे का उत्पादन

3598. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी:** **श्री वेणी शंकर शर्मा:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रतिवर्ष ताँबे का कितना उत्पादन होता है और देश को प्रतिवर्ष कितने ताँबे की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या अग्नि कुण्डला खानों में काम के पूरी तरह शुरू हो जाने पर उत्पादन और आवश्यकता में जो अन्तर है वह पूरा हो जायगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या नर्वदा घाटी में ताँबे के निक्षेपों की खोज की जायगी और क्या भारत निकट भविष्य में ताँबे के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो जायगा?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) भारतीय ताँबा निगम, घटसिला (बिहार) ही एकमात्र देश में ताँबा पैदा करने वाला एकक है। 1966 में उनका उत्पादन 9333 टन था तथा जनवरी से अक्तूबर, 1967 तक 7258 टन था। ताँबे की वर्तमान माँग अनुमानत: 90,000 टन है जो कि आशा है, 1970-71 तक 1,75,000 टन हो जाएगी।

(ख) नहीं महोदय।

(ग) प्रस्ताव है कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था, मध्य प्रदेश के नर्वदा घाटी में खनिजों का सर्वेक्षण करे जिसमें ताँबा अयस्क भी शामिल है; परन्तु निकट भविष्य में भारत के ताँबे में स्वावलम्बी होने की कोई सम्भावना नहीं है।

स्लीपर एक्सप्रेस गाड़ी

3599. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लम्बी यात्रा के लिये सभी एक्सप्रैस गाड़ियों के साथ शयन डिब्बे जोड़ने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ। रात्रि की यात्रा वाली सभी डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में स्लीपर कोच लगाये गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल सड़क परिवहन

3600. **श्री लखन लाल गुप्त:** **श्री गं० श० मिश्र:**

श्री नाथू राम अहिरवार:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निर्यात के लिए तम्बाकू, अखरोट, प्याज व केलों को बन्दरगाहों पर मुख्यत: सड़क परिवहन द्वारा ले जाया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे की अपेक्षा जो कि सस्ती है सड़क परिवहन द्वारा माल को ले जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यह सही है कि निर्यात के लिये प्याज और तम्बाकू को पत्तन तक मुख्य रूप से सड़क के रास्ते ले जाया जाता है। अखरोट रेल और सड़क दोनों के रास्ते ले जाया जाता है और केला मुख्य रूप से रेल के रास्ते।

(ख) मोटे तौर पर प्याज के निर्यातकर्ता सड़क परिवहन को पसन्द करते हैं क्योंकि जिन स्थानों से प्याज चलती है वे पत्तन से अधिक दूर नहीं हैं और छोटे फासिलों के लिये सड़क परिवहन अधिक उपयुक्त है। केले के लिये रेल परिवहन अधिक अच्छा समझा जाता है क्योंकि रेल में झटके कम लगते हैं और फासला काफी होता है। रेल परिवहन हमेशा ही अधिक सस्ता नहीं होता है। अधिकांश मामलो में एक न एक सिरे पर सड़क परिवहन द्वारा भी ले जाया जाता है और इससे कुल लागत काफी बढ़ जाती है।

नकली रेशम के धागे का आयात

3601. **श्री यज्ञदत्त शर्मा**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नकली रेशम के कपड़े की निर्यात योजना की समाप्ति के परिणामस्वरूप नकली रेशम के धागे का आयात बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार नकली रेशम के कपड़े का निर्यात बढ़ाने की योजना को पुन: लागू करने का है;

(ग) क्या नकली रेशम के विद्युत् चालित करघा बुनाई उद्योग ने जिसे इस कच्चे माल का आयात बन्द किए जाने से बहुत नुकसान पहुँचा है, यह माँग की है कि सरकार को देश में तैयार किए गए नकली रेशम तथा संश्लिष्ट धागे की उचित कीमतें निर्धारित करनी चाहिए और अधिष्ठापित करघों के आधार पर उसका समुचित वितरण करने की व्यवस्था करनी चाहिये; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उद्योग को बन्द न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):

(क) यह सच है कि नकली रेशम के कपड़े की निर्यात प्रोत्साहन योजना की समाप्ति के परिणामस्वरूप नकली रेशम के धागे का आयात बन्द कर दिया गया है। तथापि नकली रेशम बुनने के उद्योग की समूची आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य धागों का आयात करने दिया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सच है कि नकली रेशम शक्तिचालित करघा उद्योग मूल्य निर्धारण और स्वदेशी नकली रेशम और कृत्रिम धागे के वितरण के लिये सरकार को अभ्यावेदन देता रहा है।

(घ) इस दिशा में पहले ही कुछ कदम उठाये गए हैं।

हथकरघों द्वारा सूत खरीदा जाना

3602. **श्री यज्ञदत्त शर्मा:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हथकरघों को अटेरने, बंडल बनाने तथा गाँठें बनाने पर व्यय तथा बीमा, परिवहन, मिलों के तथा बिचोलियों के लाभों के रूप में सूत के मूल्य से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक देना पड़ता है जैसा कि श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में शक्ति-चालित करघों सम्बन्धी जाँच समिति ने स्वीकार किया है; और

(ख) हथकरघों द्वारा मिलों से खरीदे गए सूत के मूल्यों में असमानता दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हाँ। शक्तिचालित करघा जाँच समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध मिलों को सम्मुख रखते हुए शक्ति-चालित करघा उद्योग की बाधाओं से है न कि हथकरघा उद्योग से।

(ख) निम्न कदम उठाये गए हैं:—

(1) 29 एन० एफ० से कम काउंट के लिये हैंक की शक्ल में सूत पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगाया गया है। और 29 एन० एफ० और इससे अधिक के लिये निर्धारित किए गए उत्पादन शुल्क की दरें गैर-हैंक की शक्ल में सूत पर लगाई गई तदनुरूपी दरों से कम हैं।

(2) सहकारी क्षेत्र द्वारा बनाये गए हथकरघा कपड़े की बिक्री पर 5 पैसे प्रति रुपया की दर से कटौती दी जाती है। वर्ष में विशिष्ट अवधियों के दौरान हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष अतिरिक्त कटौती भी दी जाती है।

नकली रेशम बुनने का कारखाना

3603. **श्री यज्ञदत्त शर्मा:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नकली रेशम बुनने के उद्योग के लिये अपेक्षित कच्चे माल की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या कच्चे माल का आयात बन्द कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप देश में तैयार किए जाने वाले नकली रेशम तथा संश्लिष्ट धागे के मूल्य बहुत बढ़ गए हैं;

(ग) क्या इस उद्योग ने कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिये आयात के लिये सरकार से 24 करोड़ रुपए मूल्य का नियतन करने का अनुरोध किया है;

(घ) क्या कच्चे माल की कमी के कारण करघों के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप इस उद्योग में कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ङ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1925/67**]।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

3604. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड द्वारा माँगे गए टेंडरों में (1.5 लाख रुपए) की बैंक गारंटी के खण्ड के विरोध में लघु इंजिनियरी संस्थानों ने सरकार को अभ्यावेदन भेजा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मछली का निर्यात

3605. **श्री शिव चन्द्र झा**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं;

(ख) भारत से वर्ष 1966–67 में कितने मूल्य की मछलियों का निर्यात किया गया है और यह निर्यात किस-किस देश को किया गया है; और

(ग) भारत से यदि उस वर्ष डिब्बाबंद मछली का निर्यात हुआ है तो उसकी मात्रा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):

(क) 1966 में लगभग 1367.4 हजार टन मछलियाँ पकड़ी गईं।

(ख) और (ग) विभिन्न देशों को मछली का निर्यात बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1926/67**]

चाय का निर्यात

3606. **श्री शिव चन्द्र झा**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रुपये के अवमूल्यन से पहले और उसके बाद यूरोप और अमरीका में श्रीलंका की चाय की तुलना में भारतीय चाय का प्रति किलो मूल्य क्या था;

(ख) अवमूल्यन से पहले और बाद में श्रीलंका की तुलना में पृथक् पृथक् रूप से यूरोप और अमरीका को चाय का वार्षिक निर्यात कुल कितना था;

(ग) क्या अवमूल्यन के बाद भारतीय चाय के निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो अवमूल्यन के अतिरिक्त इस वृद्धि के लिये कौन से अन्य कारण जिम्मेदार हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अवमूल्यन से पूर्व और पश्चात् यूरोप और अमरीका में बेची गई भारत और श्रीलंका की चाय के निश्चित मूल्य उपलब्ध नहीं हैं। अवमूल्यन से पूर्व और पश्चात् यूरोप और अमरीका की प्रमुख मण्डियों को भारत और श्रीलंका से निर्यात की गई चाय का प्रति किलोग्राम औसत एकक मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1927/67**]

(ख) 1965–66 और 1966–67 के दौरान यूरोप और अमरीका को पृथक्-पृथक् भारत और श्रीलंका से चाय का वार्षिक निर्यात बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) अवमूल्यन के तुरन्त पश्चात् नहीं। 1 जनवरी से 15 नवम्बर, 1967 के दौरान 1702.5 लाख किलोग्राम चाय निर्यात की गई जब कि तदनुरूपी अवधि में 1966 में 1411.5 लाख किलोग्राम चाय निर्यात की गई थी।

(घ) उच्च उत्पादन तथा सामान्यतः अच्छी किस्म।

उड़ीसा में खनिज पदार्थों की खोज

3607. **श्री सं० कुन्दू** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा की खनिज सम्पत्ति की, विशेषतः लोह तथा मैंगनीज अयस्कों की खोज की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) आगामी पाँच वर्षों में उड़ीसा की खानों से किस किस्म के लौह अयस्कों का जापान को निर्यात करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) हाँ, महोदय।

(ख) कोयला, कच्चा लोहा, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, चूना पत्थर डोलोमाइट तथा वैनेडीफैरस मैगनेटाइट अयस्क के खनन योग्य निक्षेप पाये गए है।

(ग) दिआतारी क्षेत्र से अगले पाँच वर्ष में 1.5/2 मिलियन टन कच्चा लोहा, जिसमें 61 से 62% लोहे की मात्रा है, निर्यात करने के लक्ष्य की योजना बनाई गई है।

गंधक का आयात

3608. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंधक के आयात के सम्बन्ध में अमरीका, कनाडा तथा कुछ अन्य देशों के साथ चल रही वार्ता इस समय किस स्थिति में है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : इस बारे में जानकारी देना लोकहित में न होगा।

नेपाल के साथ व्यापार

3609. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 23 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3544 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से कुछ प्रमुख वस्तुओं के आयात के लिये नेपाल द्वारा लागू की गई लाइसेंस पद्धति के ब्यौरे का सरकार ने अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, हाँ।

(ख) इस प्रश्न पर आगामी अन्त : सरकारी संयुक्त समिति की बैठक में नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने का विचार है।

Looting of Trains

3610. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases of looting of trains (goods and passsengers) in the country during the period 1st September, 1967 to 31st October, 1967 ;

(b) the names of the places and the dates on which these incidents of looting took place ;

(c) the number of persons killed therein and the value of property looted ; and

(d) the action taken by Government in this regard and the outcome thereof?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d) The information as furnished by Zonal Railways is contained in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in Linbrary, See no. LT-1928/67].**

रेलवे द्वारा दिया गया प्रतिकर

3611. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65, 1965–66 और 1966–67 में रेलवे ने मार्ग में माल की क्षति तथा चोरी के लिये प्रतिकर के रूप में कितनी राशि दी ; और

(ख) क्षति तथा चोरी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या** 1929/67]।

(ख) वस्तुओं की क्षति तथा चोरी को रोकने के लिये उठाये जा रहे कदमों में ये शामिल हैं :

(एक) वस्तुओं के उचित पैकिंग पर जोर देना ताकि रास्ते में उनकी टूट-फूट न हो अथवा उन्हें क्षति न पहुँचे।

(दो) कीमती वस्तुएँ ले जाने वाले माल-डिब्बों का रिवट करना तथा ई० पी० लॉकिंग ताकि चलती गाड़ियों में चोरियाँ न हो सकें।

(तीन) उस माल को, जिसे गीले से नुकसान पहुँचता है, जलभेद्य माल डिब्बों में लादने और अजलभेद्य माल डिब्बों की तुरन्त मरम्मत।

(चार) माल तथा पार्सल शैडों को सुव्यवस्थित कार्यक्रम के आधार पर पर्याप्त रूप से कवर्ड (ऊपर से छाने की व्यवस्था) रखने की व्यवस्था जिससे माल रखते समय गीले के कारण उसे नुकसान न पहुँचने पाये।

(पाँच) जहाँ अपेक्षित हो डनेज की व्यवस्था करना, उदाहरणार्थ, चीनी, अनाज, दाल तथा तिलहन के मामले में।

(छः) उन मामलों में, जहाँ बिगड़ने वाली वस्तुएँ खुले माल डिब्बों में भेजी जाती हैं, विशेष पूर्वसावधानी बरतना, जैसे उन्हें अच्छी तरह ढकने की व्यवस्था करना और आवश्यकता होने पर अनुरक्षकों की व्यवस्था करना।

(सात) लगेज वैन्स, पार्सल वैन्स आदि पर ताले लगाने।

(आठ) कर्मचारियों तथा श्रमिकों की सावधानी से वस्तुएँ लादने-उतारने की शिक्षा देना और समय पर "स्टॉप रफ़ हैंडलिंग" तथा "स्टॉफ रफ़ शन्टिंग" आन्दोलन आयोजित करने।

(नौ) महत्वपूर्ण माल गाड़ियों के साथ रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र कर्मचारियों को भेजना।

(दस) उन अपराधियों को जिनके बारे में पता होता है; पकड़ने की दृष्टि से रेलवे सुरक्षा बल के सादे कपड़ों में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों की सेवाओं का अपराधों का पता लगाने के लिये उपयोग।

(ग्यारह) रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा प्रभावित सेक्शनों की गश्ती।

(बारह) चोरी गई सम्पत्ति को प्राप्त करने वालों तथा अपराधियों के बारे में गुप्त रूप से सूचना एकत्रित करना और उनका पता लगाना।

(तेरह) यार्डों, शैडों, प्लेटफार्मों तथा स्ट्रैटेजिक स्थानों पर रेलवे सुरक्षा बल के गार्डों को तैनात करना।

(चौदह) सभी नौकान्तरण स्थानों/पार्सल कार्यालयों तथा माल शैडों में मूल सुरक्षा उपायों की व्यवस्था।

उत्पादन की लागत

3612. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो इस्पात कारखाने में उत्पादन की अनुमानित लागत कितनी होगी ; और

(ख) वर्तमान गैर सरकारी तथा सरकारी कारखानों में इस्पात के उत्पादन की औसत लागत कितनी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : प्रथम प्रक्रम पर इस्पात पिंडों की लागत 286.50 रुपये प्रति टन है।

(ख) वर्ष 1966–67 में औसत लागत इस प्रकार आई है :

	रूरकेला	भिलाई	दुर्गापुर	टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी	इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी
ओपेन हर्थ इस्पात पिंड	297.75	245·10	281·54	267·47	294·58
एल० डी० इस्पात पिंड	272.99	—	—	—	—

पूर्वी अफ्रीका में लघु औद्योगिक परियोजनाएं

3613. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीका भारत औद्योगिक विकास निगम ने सरकार को सुझाव दिया है कि पूर्वी अफ्रीका में लघु औद्योगिक परियोजनाएँ स्थापित की जायें ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सुझाव पर विचार कर लिया गया है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अफ्रीका-भारत औद्योगिक विकास लिमिटेड ने पूर्वी अफ्रीका में लघु उद्योग परियोजनाएँ स्थापित करने के बारे में भारत सरकार को कोई सुझाव नहीं दिया है। उन्होंने केवल उन कर्मचारियों के लिये, जो पूर्वी-अफ्रीका में लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं; भारत में प्रशिक्षण की तथा अन्य सुविधाएँ माँगी है, हमने खुशी से मदद देना स्वीकार किया है।

भारतीय भागिता अधिनियम

3614. **श्री दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय -कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भागिता अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है, जिससे कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके : और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) नहीं, श्रीमान। भारतीय भागिता अधिनियम, राज्य सरकारों द्वारा उनके द्वारा नियुक्त, फर्मों के रजिस्ट्रारों के माध्यम से, प्रशासित होता है। उस अधिनियम के प्रशासन से कम्पनी रजिस्ट्रारों का कोई संबंध नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Import Licences for Small Scale Industries

3615. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government invited applications for the grant of import licences vide their notice No. 155/I.T.C. (P.N.)/66, dated the 17th December, 1966 with a view to promote small scale industries in the country ; and

(b) if so, the total number of applications received from Uttar Pradesh duly recommended by the Director of Industries, Kanpur ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) Yes, Sir.

(b) 1573.

Import Licences for Small Scale Industries

3616. **Shri O. P. Tyagi**. Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of import licences for which aplications were received from Moradabad (Uttar Pradesh) through the Director of Industries, Kanpur in response to Notice No. 155, I.T.C. (P.N.)/66, dated the 17th December, 1966 and the value of those licences recommended by the Director of Industries, Kanpur ; and

(b) the names of the metals for which such applications were received and the particulars of commercial bodies and establishments which applied for such import-lincences ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) Applications valued at about Rs. 8.72 crores were received from Moradabad District. Director of Industries, Kanpur, recommended for the issue of licences to the value of 13,28,000/- only.

(b) Applications were received for the import of aluminium, copper, lead, nickel, tin and zinc from the manufacturers of Brassware, Hardware, E.P. N.S. ware and utensils. The particulars of commercial bodies and establishments which applied for such import licences are being collected and will be furnished later.

मैसर्स ग्रामोफोन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

3617. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामोफोन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का भारत में ग्रामोफोन तथा इसके रिकार्डों के निर्माण पर एकाधिकार है और क्या यह पूर्णतया एक ब्रिटिश फर्म है;

(ख) इस कम्पनी ने अपने उत्पादों के निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा कमाई है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्यात बीजकों में राशि कम लिखायी जाती है और आयात करने वाले देशों में फर्म के कार्यालयों द्वारा मुनाफे की राशि सीधे इंगलैंड भेज दी जाती है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) मसर्स ग्रामोफोन कंपनी आफ इंडिया (प्रा०) लि० कलकत्ता ने, जो यांत्रिक ग्रामोफोन बनाने वाली एक मात्र फर्म थी, अगस्त, 1964 से उत्पादन बंद कर दिया है। इस समय केवल यही फर्म भारत में ग्रामोफोन रिकार्डों का उत्पादन कर रही है यद्यपि दो अन्य कारखानों की योजनाएँ मंजूर हो चुकी हैं, उन्होंने अभी तक अपना उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया है।

ग्रामोफोन कंपनी आफ इंडिया (प्रा०) लि० अगस्त, 1946 में दर्ज की गई थी और मेसर्स ग्रामोफोन कं० लि०, कलकत्ता ब्रिटेन में निगमित इसी नाम की मूल कंपनी की एक शाखा के रूप में काम कर रही है। ग्रामीफोन कंपनी आफ इंडिया (प्रा०) लि० का यह प्रस्ताव सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है कि ग्रामोफोन कम्पनी लि० की भारत शाखा को ब्रिटेन की कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में बदल दिया जाय और भारतीय जनता को धीरे-धीरे करके अंश दिये जायें।

(ख) इस कम्पनी द्वारा पिछले दो वर्षों में मुख्य रूप से ग्रामोफोन रिकार्डों का ही निर्यात किया गया, अन्य वस्तुओं का निर्यात नहीं के बराबर है। ग्रामोफोन रिकार्डों के निर्यात का ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य
1965-66	20.32 लाख रु०
1966-67	38.89 लाख रु०

(ग) और (घ) ऐसी किसी अनियमितता का कोई समाचार नहीं मिला है।

Detention of Wagons in Calcutta

3618. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Prakash Vir Shastri :**
Dr. Surya Prakash Puri : Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the wagons loaded with coarse grains which had been sent from Haryana to Calcutta have since been held up in Calcutta ;

(b) whether it is also a fact that there is no restriction on the coarse grains being sent to Calcutta by trucks ;

(c) whether any representations have been received in this conection ; and

(d) the time by which a decision will be taken in this regard ?

The Minister of Railways (Srhi C. M. Poonacha) :

(a) Yes, some wagons carrying consignments of maize from stations in Haryana State to Calcutta have been held up in Calcutta.

(b) No.

(c)Representations were received from traders to release consignments in Calcutta. Some Writ Petitions have also been filed by some traders and are pending in the High Court of Delhi. The cases are under investigation.

(d) In view of the position explained in reply to part (c) it is not posible to indicate the time by which cases will be finally disposed of.

Restrictions on Coal Output

3619. **Shri O. P. Tyagi**: Will the Minister **Steel, Mines and Metals be** pleased to state :

(a) Wheather Government have restricted the extracting of coal from the coal mines by the colliery owners to a limited quantity ; and

(b) if so, the considerations underlying the enforcement of restrictions in the face of the continuously increasing demand for coal in the country:

Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रंग रोगन उद्योगों के लिए आयात

3620. **श्री रा० बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंग रोगन उद्योग के लिए मंजूर किये गये कुल आयात का 70 प्रतिशत आयात सशर्त ऋणों के माध्यम से होता है जिसके अधीन यह शर्त है कि वस्तुओं की खरीद अमरीका से ही की जायगी :

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के आयात की गई वस्तुओं के लिए दिए हुए मूल्य अन्य देशों के मूल्यों की तुलना में कम है या अधिक; और

(ग) क्या खुले बाजारों का पता लगा कर कच्चे माल के मूल्यों को स्थिर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ।

(ख) साधारणतया, अमरीका से मिलने वाले कच्चे माल की कीमतें सामान्य मुद्रा क्षेत्रों में चालू कीमत से अधिक होती हैं।

(ग) सामान्य मुद्रा क्षेत्र में से आयात केवल इतना ही किया जाता है जितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती है। फिर भी, अन्य स्थानों से आयात की अनुमति दिए जाने के प्रश्न की जाँच की जा रही है।

अधिक लागत वाली उत्पादन क्षमता

3621. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अधिक लागत वाली निर्माण क्षमता के तेजी से विकास को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है क्योंकि इससे अर्थ व्यवस्था में क्षेत्रीय गम्भीर असुन्तलन पैदा कर दिया है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1930/67**]

अफगानिस्तान से व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

3622. **श्री हेमराज**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1967 में अफगानिस्तान से एक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भारत आया था ;

(ख) उसके साथ हुई वार्ता का क्या परिणाम निकला और क्या भविष्य में व्यापार के लिए उसके साथ कोई करार किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उस करार की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) अफगानिस्तान से आये व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप रॉयल अफगान सरकार के साथ हुए व्यापार करार की अवधि 1 अगस्त 1967 से लेकर एक वर्ष और बढ़ा दी गई है। व्यापार करार की प्रति संसद पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध है।

देहरादून में चाय का उत्पादन

3623. **श्री हेमराज**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिमाचल प्रदेश (काँगड़ा मंडी) और देहरादून की चाय पैदा करने वाले क्षत्रों के तकनीकी एवं आर्थिक सर्वेक्षण करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकारों से अपने राज्यों में उन क्षेत्रों का, जो कार्य की खेती के लिये उपयुक्त हैं, व्यापक सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है। चाय बोर्ड से ऐसे सर्वेक्षण के लियें तकनीकी सहायता की व्यवस्था करने के मामले में सहयोग देने को कहा गया है।

कांगड़ा तथा देहरादून की चाय का मानक निश्चित करना

3624. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 23 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3570 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कांगड़ा चाय बागान मालिकों की संस्था तथा देहरादून चाय बागान मालिक संस्था की ओर से कांगड़ा तथा देहरादून की चाय के मानक निश्चित किये जाने के बारे में दिये गये अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): यह मामला अभी विचाराधीन है।

तीव्रगामी रेलगाड़ियाँ चलाना

3625. **श्री म० ला० सींघी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 75 मील प्रति घण्टा की गति से चलने वाली लम्बी यात्रा वाली रेलगाड़ियाँ चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो ये तीव्रगामी रेलगाड़ियाँ किन-किन मार्गों पर चलेंगी और कब से चलाई जायेंगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता के निकट बम विस्फोट

3626. **श्री प्र० के० देव**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कलकत्ता के निकट बम का विस्फोट होने के कारण रेलवे सुरक्षा दल का एक सब-इंस्पेक्टर मर गया था तथा एक अन्य सब-इंस्पेक्टर घायल हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे सुरक्षा दल के लिये सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की है; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल की गड़बड़ वाली स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर रेलवे सुरक्षा दल की शक्ति बढ़ाने का सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी, हाँ।

(ख) 16 नवम्बर, 1967 को रात के लगभग ढाई बजे, श्री ए० गोस्वामी, सब इंस्पेक्टर (सशस्त्र विंग), सियालदह तथा स्वर्गीय श्री एम० एम० साहा, सब-इंस्पेक्टर, रेलवे सुरक्षा बल, सियालदह को रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र पार्टी के साथ चितपुर आउटर सिग्नल पर माल गाड़ी के सामान की जाँच करते समय दो माल डिब्बों के दरवाजे खुले मिले। रेलगाड़ी के गार्ड ने उन्हें बताया कि अपराधियों के एक गिरोह ने लगभग 20 बोरे मूंगफली के चुराये हैं। सब-इंस्पेक्टर साहा अपनी पार्टी के साथ एक पिक-अप वैन (छोटी गाड़ी) में अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा चुराये गये माल को बरामद करने तुन्रन्त घटनास्थल पर पहुँचे। जब वे डम-डम पुल के निकट जा रहे थे, दोनों सबइंस्पेक्टरों ने अपराधियों को देख लिया और गाड़ी से छलाँग मार कर उतरे, उनका पीछा किया और डम-डम केबिन के निकट एक अपराधी को पकड़ लिया। जब दोनों ही सब-इंस्पेक्टर अपराधियों का पीछा करते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे थे, उन पर अपराधियों ने अचानक आक्रमण कर दिया और एक हथगोला सीधे सब इंस्पेक्टर साहा पर आकर लगा जिसके परिणामस्वरूप उनकी तत्काल घटना-

स्थल पर ही मृत्यु हो गई। सब इंस्पेक्टर (सशस्त्र विंग) गोस्वामी ने जब देखा कि स्थिति गंभीर है, तो अपनी पिस्तौल से दो गोलियाँ चलाई लेकिन अपराधी अंधेरे में गायब हो गये। सब इंस्पेक्टर (सशस्त्र विंग) गोस्वामी को चोटें आई और उन्हें बी० आर० सिंह अस्पताल में दाखिल किया गया सरकारी रेलवे पुलिस ने केस नं० 56 दिनांक 16-11-1967 यू/एस० एस० 147/ 148/149/ 324/353/307/302 आई० पी० सी० तथा 6 (3) भारतीय विस्फोट पदार्थ अधिनियम, दर्ज किया—जिसकी जाँच चल रही है।

(ग) आमतौर पर राज्य सरकार पुलिस द्वारा संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जाती, रेलवे सुरक्षा दल किसी भी अन्य नागरिक की भाँति जान और माल की निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करता है।

(घ) आवश्यकता समझी जाने पर रेलवे सुरक्षा बल के निःशस्त्र कर्मचारियों को सहायता देने के लिये रेलवे सुरक्षा बल की सशस्त्र पार्टियों को तैनात किया जाता है।

Supply of G. C. Sheets to the Drought-affected Areas.

362. **Shri Ram Charan.** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Government had sanctioned 500 tons of G. C. Sheet in March, 1967 for the drought-affected areas ;

(b) whether it is also a fact that the stockists hoarded it till the date of decontrol and afterwards sold it in black-market ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi):

(a) to (c) It is true that priority was accorded for supply of galvanised sheets to drought-affected areas and, after decontrol, the Government of Uttar Pradesh represented that the Stockists were no longer honouring the directives of the State Government. The State Government was advised to submit fresh indents and these indents were given priority for supply. They were also advised that if any stockists had refused supply prior to decontrol, action could be taken under the Iron and Steel (Control) order.

गुंटाकल स्टेशन पर रेलवे रेस्तराँ

3628. **श्री अगाडी**: क्या **रेलवे** मंत्री 21 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6436 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में गुंटाकल स्टेशन पर विभागीय तौर पर रेलवे रेस्तरां चलाने के बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया गया है।

(ख) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में यात्री लोग वहाँ माल सप्लाई करने वालों और बैरों की कमी अनुभव करते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उस रेस्तराँ में कितने बैरे और खोमचे वाले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) यद्यपि पहले विचार किया गया था कि गुंटाकल पर रेस्तरां को विभागीय तौर पर आगे न चलाया जाये और उसे किसी ठेकेदार को सौंप दिया जाये, किन्तु इस मामले पर फिर से विचार किये जाने के बाद यह तय किया गया कि रेलवे ही इसे विभागीय तौर पर चलाये और वह चला रही है। अक्तूबर, 1967 से, कुछ ऐसे उपाय किये गये हैं जिनसे इस रेस्तरां में बिक्री बढ़े।

(ख) और (ग) जी, नहीं। बैरों और खोमचे वालों की कमी के बारे में कोई भी शिकायत नहीं आई है। इस रेस्तरों में पाँच बैरे तथा खोमचे वाले हैं और वे वहाँ की आवश्यकतानुसार पर्याप्त समझे गये हैं।

विशेष इस्पात का कारखाना

3630. **श्री रा० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में विशेष इस्पात का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन दुर्गापुर में एक अलॉय स्टील प्लान्ट स्थापित किया जा रहा है। इस कारखाने में प्रतिवर्ष 100,000 टन धातु पिंड का उत्पादन होगा जिससे 60,000 टन अलाय तथा विशेष इस्पात का सामान तैयार होगा। इस कारखाने में आंशिक उत्पादन शुरू हो चुका है।

कपास का रक्षित भण्डार

3631. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कपास का रक्षित भण्डार बनाने के हालही के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में में कौन-कौन अड़चनें पेश आ रही हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कपास के रक्षित भंडार बनाने के प्रश्न पर एक समिति विचार कर रही है जिसे इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। इस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

आस्ट्रेलिया के व्यापार आयुक्त का आन्ध्र प्रदेश में वाणिज्य मंडल की बैठक में भाषण

3632. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1967 में आस्ट्रेलिया के व्यापार आयुक्त ने आन्ध्र वाणिज्य मंडल की बैठक में भाषण करते हुए कहा था कि भारतीय व्यापारियों द्वारा आस्ट्रेलिया में अपनी पूंजी लगाये जाने की बड़ी गुंजाइश है;

(ख) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि भारतीय व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का आस्ट्रेलिया जाकर वहाँ पर स्थिति का अनुमान लगाना तथा पूंजी लगाने की संभावनाओं का पता लगाना दोनों ही देशों के हित में होगा ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस मामले में उचित कार्यवाही करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ) अगस्त, 1967 में आस्ट्रेलिया के व्यापार आयुक्त ने आन्ध्र वाणिज्य मंडल की बैठक में भाषण करते हुए जो वक्तव्य दिया था उसके सम्बन्ध में हमारे पास सरकारी सूचना नहीं है। तथापि 3 सितम्बर 1967 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार हमने देखे हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि आस्ट्रेलिया के व्यापार आयुक्त ने आन्ध्र वाणिज्य मंडल की बैठक में भाषण करते हुए कहा था कि आस्ट्रेलियन उद्योगों में भारतीय-आस्ट्रेलियन संयुक्त उपक्रमों के लिये गुंजाइश है। यदि कोई उद्योगपति

आस्ट्रेलिया में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार से बात करे, तो हम उसे वे सभी सुविधाएँ देंगे जो विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के सम्बन्ध में हमारी उद्घोषित नीति के दायरे में आती हैं।

Closing of Level Crossing Near Chandni Station on the Central Railway

3633. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the level-crossing within a distance of one furlong from Chandni Station towards Khandwa station of the Central Railway has been closed down and this is causing considerable hardship to the residents of nearby rural areas ; and

(b) if so, the reasons therefor and whether Government propose to reopen this crossing?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) and (b) In view of the poor traffic passing through it, level crossing No. 167 ('C' class manned) located about a furlong from Chandni Station towards Itarsi was closed down in August, 1964, with the approval of the Madhya Pradesh Government. So far, no complaints from the residents of the nearby rural areas, have been received regarding closing down of this level crossing. There is no proposal so far for reopening it.

Railway Line Between Hasanpur and Jhanjharpur

3634. **Shri Kedar Paswan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether construction of a railway line between Hasanpur and Jhanjarpur on the North-Eastern Railway has been undertaken;

(b) if so, the progress made so far ; and

(c) if not, the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Rail Link Between Laheria Sarai and Kusheshwar.

3635. **Shri Kedar Paswan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people experience great difficulty in travelling between Laheria Sarai and Kusheshwar on the North-Eastern Railway in the absence of any means of transport ;

(b) if so, whether these two places are proposed to be linked by rail ; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minster of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Representation regarding such difficulties have been received so far.

(b) No.

(c) Due to paucity of funds, the proposed line is not likely to merit adequate priority for construction in the near future.

Import of Nylon Yarn

3636. **Shri Baswant.** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of Nylon yarn imported during 1965-66 and 1966-67 and the amount spent thereon ;

(b) the quantity propose to be imported during 1967-68 ;

(c) whether the demand in the country can be met with rayon yarn ; and

(d) if so, the purpose of importing more nylon yarn ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a)

	Quantity Million Kgs	Value (Rs. Crores)
1965-66	2.616	2.68
1966-67	3.910	4.99

(b) Against the import lincnces issued to the State Trading Corporation for synthetic yarn valued at Rs. 6 crores, imports of nylon yarn would be of the order of 4.00 million kgs. during 1967-68. A further allocation of Rs. 3. crores has since been made and a part of it is expected to be imported by March, 1968.

(c) and (d) The raw material for the art seek weaving industry is both rayon yarn and synthetic (nylon) yarn. The indigenous production of rayon yarn is adequate to meet the demand for rayon fabrics. But some imports of synthetic (nylon) yarn to augment the indigenous production of such yarn is unavoidable to provide fuller employment to weaving units especially those who produce mixed fabrics.

B. G. Line Between Barauni and Katihar

3637. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a scheme for laying a broad gauge railway line between Barauni and Katihar (Bihar) ; and

(b) if so, when this scheme was prepared and the reasons for the delay in its implemention :

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No.

(b) Does not arise.

मंदी में प्रभावित उद्योग

3638. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय** कार्य मंत्री मंदी से प्रभावित उद्योगों के नाम तथा उस स्थिति का मकाबला करने के लिए की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

मंदी का जिन उद्योगों पर सामान्यतः अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है वे इंजीनियरी उद्योग हैं और विशेष रूप से इसका असर रेल के डिब्बों, तार के रस्से, इस्पाती ढांचों, मशीनों औजारों तथा व्यावसायिक गाड़ियाँ जैसे उद्योगों पर पड़ा है। इनमें उत्पादन के गिर जाने के कारण सहायक उद्योग जैसे इस्पात के पाइप तथा ट्यूब, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, कच्चा लोहा, इस्पात तथा पिघला कर ढलाई इत्यादि उद्योग भी प्रभावित हुए हैं।

औद्योगिक उत्पादन में मन्दी का सामना करने के लिए उठाए गए कदमों में विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करना है ताकि यथासंभव मांग को बढ़ाया जा सके; प्रभावित उद्योगों में विविधता के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जा सके और सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों

औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादों के लिए बिक्री ढांचे को सुदृढ़ कर नियमित निर्यात मण्डियों का विकास किया जा सके साथ ही जहाँ तक देश में स्थापित क्षमता आवश्यकता पूरी करने में समर्थ हो उस सीमा तक आयात पर रोक लगाई जाये जिससे उस आयात का, जिसकी अनुमति प्रदान कर दी गइ है किन्तु जिसमें परिवर्तन न किया जा सकता हो, का पुनरीक्षण करना तथा उद्योग में मन्दी का सामना करने के लिए नई ऋण नीति की घोषणा करना भी सम्मिलित है।

चौथी योजना में मशीनी औजारों का उत्पादन

3639. **श्री बी० चं० शर्मा**: क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान मशीनी औजारों के उत्पादन लक्ष्य में 30 करोड़ रुपये की कमी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख) चौथी पंच वर्षीय योजना पर अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है। बदली हुई आर्थिक स्थिति तथा मशीनी औजारों की माँग में कमी को ध्यान में रखते हुए योजना के मसौदे की रूप-रेखा में दिये गये लक्ष्य पर पुनः विचार करके उसे कम करना पड़ेगा।

रेलवे अधिकारियों के वेतनक्रम

3640. **श्री बी० चं० शर्मा:** **श्री स० च० बेसरा:**
श्री श्रीनिवास मिश्र:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों के वेतनक्रमों को अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों के वेतन-क्रमों के बराबर करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समय इस मामले की क्या स्थिति है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) रेलवे राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन में उनके वेतन-मानों को भारत सरकार के अन्य विभागों में पुनरीक्षित वेतन-मानों के बराबर करने का अनुरोध किया गया है जो विचाराधीन है।

रेलवे में अनुसूचित जातियों के लोगों की नियुक्ति और पदोन्नति

3641. **श्री कृष्णन**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों के अनेक कर्मचारियों को पदावनत किया गया है और गत 2 वर्षों से विद्यमान नियमों के विरुद्ध उनका दूरस्थ स्थानों पर तबादला कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो जातिवार कितने व्यक्तियों को पदावनत किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल रखी जायेगी।

दक्षिण मध्य रेलवे के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

3642. **श्री नम्बियार:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या मे कर्मचारियों को जिन्होंने रेलवे का दो भागों में विभाजन होने के समय दक्षिण रेलवे में कार्य करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी, उन्हें दिए गए वचनों की भावना के विरुद्ध अभी तक दक्षिण मध्य रेलवे से स्थानान्तरित नही किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के, विशेषतया हुबली के, लिपिक कर्मचारी पहले दिए गए वचनों का पालन कराने के लिये बार-बार निवेदन करते रहते हैं और उन्होंने स्थानान्तरण के लिए सीधा संघर्ष भी किया था; और

(घ) यदि हाँ, तो उन्हें स्थानान्तरित न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (घ) कर्मचारियों द्वारा इच्छा व्यक्त करते समय यह स्पष्ट कर दिया गया था किसी कर्मचारी द्वारा केवल मात्र इच्छा का व्यक्त किए जाने से उसकी इच्छानुसार स्वतत: ही स्थानान्तरण नहीं हो सकता है। दक्षिण-मध्य तथा दक्षिण रेलवे के बीच सम्बन्धित रेलवे प्रशासन की सुविधा के अनुसार निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाता है। इस आधार पर इच्छा व्यक्त करने वाले लगभग 2362 कर्मचारियों में से 220 कर्मचारियों को दक्षिण रेलवे में भेजा गया है।

इसके अतिरिक्त दक्षिण-मध्य रेलवे के हुबली, विजयवाड़ा डिवीजनों आदि की नियुक्ति श्रेणियों में इच्छा व्यक्त करने वाले कर्मचारियों को यह छूट दी गई थी कि वे अपनी वरिष्ठता छोड़ कर दक्षिण रेलवे में स्थानान्तरण माँग सकते हैं।

इच्छा व्यक्त करने वाले जो कर्मचारी उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आते हैं वे दक्षिण रेलवे में स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं।

(ग) यह सच है कि इच्छा व्यक्त करने वाले हुबली के कुछ कर्मचारियों ने अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिण रेलवे में अपना स्थानान्तरण माँगा है। यह कहना सच नहीं है कि उन्हें ऐसा कोई वचन दिया गया था कि इच्छा व्यक्त करने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर ही दिया जायेगा।

लौह अयस्क के निक्षेप

3643. **श्री कु० मा० कौशिक** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार लौह-अयस्कों के कुल कितने निक्षेप होने का अनुमान है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य में कितनी मात्रा में लौह-अयस्क उपलब्ध है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की आवश्यकता को पूरी करने के पश्चात् कितने लौह-अयस्क का निर्यात किया जा सकता है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी):

(क) और (ख) भारत में लौह की सब प्रकार की अयस्कों, अर्थात् हेमाटाइट, मैगनाटाइट और लिगोनाइट और स्पैथिक अयस्क के सम्पूर्ण सम्भावित संचय अनुमानतः 21,478 मिलियन टन हैं। इनमें से, हेमाटाइट अयस्क, 17,810 मिलियन टन हैं। भारत में उच्च श्रेणी के हेमाटाइट अयस्कों के कुल सिद्ध किए हुए तथा सांकेतिक संचय 5,623 मिलियन टन के स्तर के हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में सिद्ध किए हुए तथा सांकेतिक संचयों की सारणीनीचे दी जाती है:

क. हेमाटाइट अयस्क	(मिलियन टनों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	42
2. बिहार	1063
3. गोआ	239
4. काश्मीर	5
5. मध्य प्रदेश	1589
6. महाराष्ट्र	27
7. मैसूर	918
8. उड़ीसा	1723
9. हरयाना	2
10. राजस्थान	5
11. उत्तर प्रदेश	10
जोड़····	5623
ख. मैगनाटाइट अयस्क	
1. आन्ध्र प्रदेश	20
2. बिहार-उड़ीसा	5
3. हिमाचल प्रदेश	61
4. मद्रास	310
5. मैसूर	218
जोड़····	614
ग. लिगोनाइट और स्पाथिक अयस्क	
1. बंगाल.	508

(ग) 1966 के दौरान कच्चे लोहे का उत्पादन 26.5 मिलियन टन था और निर्यात 18 मिलियन टन से अधिक का था। देश में व्यापक कच्चे लोहे के निक्षेपों को देखते हुए कुछ समय के लिये बड़ी मात्रा में कच्चे लौहे का निर्यात करना सम्भव होगा।

खानों से लौह अयस्क निकालने के लिये विदेशी सहयोग

3644. **श्री कृ० मा० कौशिक**: क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खानों से लौह अयस्क निकालने के लिये सरकार का विचार विदेशी सहयोग प्राप्त करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा सहयोग किन देशों से लेने का विचार है और तत्संबंधी शर्तें क्या हैं?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० मैसूर में कुदरमुख के जिन मैंगनेटाइट कच्चा लोहा निक्षेपों का पूर्वेक्षण किया है, उनका विस्तृत अनुसंधान और विदोहन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इन निक्षेपों के वाणिज्य विदोहन से पहले आवश्यक धातुकर्मिक जाँचें करने तथा पाइलट प्लांट अनुसंधान करने के काम में तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रस्ताव अमरीकी फर्म तथा उसके तीन जापानी सहयोगियों से प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

इंजीनियरी कर्मचारियों का कार्यभार

3645. **श्री सूरज भान**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1952 की तुलना में रेलवे के इंजीनियरी कर्मचारियों का कार्यभार काफी बढ़ गया है;

(ख) क्या इंजीनियरों के स्थायी संवर्ग में भी वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे ड्राइंग कार्यालयों में फैरो टाइपर्स

3646. **श्री सूरज भान**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ड्राइंग कार्यालयों में फैरो टाइपर्स का संवर्ग स्किल्ड माना जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें स्किल्ड श्रमिकों के वेतनक्रम न देने के क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ड्राइंग तथा आउटडोर इंजीनियरिंग के तीसरी श्रेणी के कर्मचारी

3647. **श्री सूरज भान**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के ड्राइंग तथा इंजीनियरिंग कार्यालय के तीसरी श्रेणी के कर्मचारी फालतू घोषित किए गए हैं और उनके लिये वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था कर दी गई है परन्तु उन्हें वेतन का संरक्षण नहीं दिया गया;

(ख) क्या वर्ष 1964 में इस प्रकार के जिन कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया था उन्हें वेतन का संरक्षण दिया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पक्षपात के क्या कारण हैं और इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी, हाँ।

(ख) उस समय जिन कर्मचारियों को दूसरी नौकरी दी गई थी, उनका वेतन निर्धारित करते समय उन्हें वेतन का कुछ संरक्षण दिया गया था।

(ग) जिन कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है अथवा किया जा रहा है उन्हें इसी प्रकार का संरक्षण दिए जाने अथवा न दिए जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

तृतीय श्रेणी के रेखा-चित्र (ड्राइंग) कर्मचारियों तथा कार्य-स्थल पर कार्य करने वाले इंजीनियरिंग कर्मचारियों को स्थायी बनाना

3648. **श्री सूरज भान**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे में तृतीय श्रेणी के कुछ ऐसे रेखा-चित्र (ड्राइंग) कर्मचारी तथा कार्य-स्थल पर कार्य करने वाले इंजीनियरिंग कर्मचारी हैं जो अभी तक स्थायी नहीं बनाये गए हैं, हालांकि उनका सेवा काल 15 से 20 वर्ष से अधिक हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस असंगति को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

रेखा-चित्र (ड्राइंग) कर्मचारियों के वेतनक्रम

3649. **श्री सूरज भान**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे रेखा-चित्र (ड्राइंग) संघ की ओर से रेखा-चित्र कर्मचारियों के वेतनक्रमों में संशोधन किए जाने तथा उनकी अन्य शिकायतों को दूर किए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) जी, हाँ। यह विचाराधीन है।

निर्यात सहायता योजना

3650. **श्री रा० बरुआ**: **श्री नन्द कुमार सोमानी**:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टर्लिंग के अवमूल्यन के प्रभाव को समाप्त करने के लिये निर्यात सहायता योजनाओं में फेर-बदल करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या-क्या परिवर्तन करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद इफी कुरेशी): (क) और (ख) पौड पावना के अवमूल्यन के प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ उत्पादों पर इस समय मिलने वाली सहायता-मान में संशोधन करने के बारे में कुछ आवेदनपत्र मिले हैं। इनपर विचार किया जा रहा है।

पंजाब में भारी उद्योग

3651. **श्री देवेन्द्र सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान पंजाब के मंत्रियों के उन वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि पंजाब में कोई भी भारी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है; और यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने सरकारी क्षेत्र में किसी बड़ी परियोजना का प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ। केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना के मामले में सरकार ने अपरिहार्य तकनीकी आर्थिक बातों के अलावा संतुलित प्रादेशिक विकास के महत्व को सदैव ध्यान में रखा है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) पंजाब सरकार ने प्रस्ताव किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सम्मिलित केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं से एक परियोजना को जिसके स्थान के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है, पंजाब में स्थापित की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा सुझाव दी गई परियोजनाएं ये हैं:—

1. पावर बायलरों के लिये एक कारखाना।
2. दूसरा केबल कारखाना।
3. मशीनी औजारों के लिये अतिरिक्त क्षमता।
4. इलेक्ट्रानिक्स।
5. कृषि ट्रैक्टर।
6. अन्य उर्वरक उत्पाद।
7. कागज तथा कागज की योजनाएँ।
8. औषधियों तथा कीटनाशी दवाइयों का विस्तार।
9. निर्यातोन्मुख कताई मिलें।
10. नार्थ वेस्टर्न रिफाइनरी।

Enquiry Office on Platform of Mughalsarai Railway Station

3652. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 15 paisa ticket has to be purchased for entering the Railway Enquiry Office on the platform of Mughalsarai Railway station of Varanasi and the public has to face great difficulty as a result thereof;

(b) whether Government propose to shift this Enquiry Office outside the platform ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) The Railway Enquiry Office at Mughal Sarai being situated on the platform, access there to is lawfully possible only for those in possession of a journey ticket or a platform ticket which costs 15 Paise. There have been no ocmplaints or allegations of great hardship on this score.

(b) and (c) Passengers changing over from one train to another form the bulk of passenger traffic at Mughal Sarai Junction and the present location of the Enquiry Office is convenient to such passengers. The question of re-location of the Enquiry Office will be examined keeping in view the convenience of through as well local passengers.

Uniforms for Daftries in Bikaner Division of Northern Railway.

3653. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Daftries (Class IV) in all the Divisions of the Northern Railway are given winter and summer uniforms ;

(b) whether it is a fact that the Daftries in Bikaner Division of the Northern Railway are not given any uniform at all ;

(c) if so, the reasons therefor ?

(d) the number of Class IV employees working in all Divisions of the Northern Railway; and

(e) the number of the employees whom uniforms have been given and of those whom uniforms have not been given ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) to (c) Daftries in all Divisions, including the Bikaner Division were not entitled to uniforms according to the Northern Railway Dress Regulations. Though they became eligible for the same in accordance with Revised Dress Regulations, their supply has been held in abeyance from 14.1.66 due to emergency, although few may have been supplied in the intervening period.

(d) 1,20,302 on 31-3-67.

(e) Information is being collected.

Recruitment of Fitters in Bikaner Division of Northern Railway

3654. **Shri Ram Singh Ayarwal**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Helpers who were promoted as Fitters in all the Divisions of the Northern Railway have been designated as Fitters ;

(b) whether it is a fact that such Fitters in the Bikaner Division of the Northern Railway have been reverted to the post of Helpers and new Fitters have been recruited ;

(c) whether it is also a fact that the Helpers who were so promoted as Fitters had passed the test held for that post and had also worked on that post for two years ;

(d) if so, the reasons for reverting them to the post of Helpers ; and

(e) the number of Helpers who have thus been promoted as Fitters and the number of those among them who have been reverted ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) to (e) The information is being collected and will be laid on the table of the sabha.

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा राज सहायता का भुगतान

3655. **श्री दामानी**: क्या **इस्पात,, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा राज सहायता दी जाने के मामलों को निपटाने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मामले न्यायाल में ले जाये गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) लगभग कुल 41 करोड़ रुपए के लगभग 12,000 राज सहायता के दावों में से लगभग 95 लाख रुपए के केवल लगभग 1800 बिल इस समय निबटाये जाने के लिए शेष हैं;

(ख) और (ग) तीन मामले न्यायालय में ले जाये गए हैं। उनका विवरण इस प्रकार है:—

(एक) मैसर्स अशोक मार्केटिंग बनाम सरकार 1.02 लाख रुपए का। इसका निर्णय वादी के पक्ष में किया गया है और डिक्री की राशि का भुगतान किया गया।

(दो) मैसर्स अशोक मार्केटिंग बनाम सरकार 1.18 लाख रुपए का। न्यायालय में वादी के पक्ष में निर्णय किया था किन्तु राज्य सरकार ने अपील की है।

(तीन) मैसर्स बजोरिया बनाम सरकार। यह मामला निर्णयाधीन है।

पिछड़े राज्यों में उद्योगों के लिए प्रस्ताव

3656. **श्री क० प्र० सिंह देव**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़े राज्यों में औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए सरकार ने पिछड़े राज्यों के उद्योग निदेशकों के सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हाँ तो क्या सरकार को पिछड़े राज्या के उद्योग निदेशकों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इन सुझावों पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ग) सरकार ने उद्योग निदेशकों से पिछड़े राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं माँगे हैं। फिर भी, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के प्रस्तावों पर तकनीकी आर्थिक कारणों के अनुरूप प्राथमिकता दी जा रही है।

विदेशों में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय

3657. **श्री सीताराम केसरी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में राज्य व्यापार निगम के कितने कार्यालय हैं और इनमें से प्रत्येक कार्यालय द्वारा वेतन आदि पर कितना व्यय किया जाता है; और

(ख) उन देशों में प्रत्येक के साथ जहाँ ये कार्यालय खोले गए हैं गत तीन वर्षों में भारत के व्यापार की प्रतिशतता क्या है और इन देशों को राज्य व्यापार निगम के सीधे निर्यात का वास्तविक मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1931/67]।

तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात

3658. **श्री श्रीगोपाल साहू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें इस समय तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जाता है;

(ख) किस प्रकार के तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार ने तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1932/67]

(ग) वर्तमान योजना के अनुसार खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उद्योग को नकद सहायता तथा आयात पुनः पूर्ति दी जाती है।

केरल में लघु उद्योग

3659. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में लघु उद्योगों के विस्तृत विकास के लिए एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितने कारखाने स्थापित करने की मंजूरी दी गई है और उन पर कितना खर्च आयेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० और केरल सरकार के संयुक्त तत्वावधान में एर्नाकुलम में 31 जुलाई से 2 अगस्त, 1967 तक लघु उद्योगों के विकास के लिए एक गहन आन्दोलन संगठित किया गया था ;

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० द्वारा 3.67 करोड़ रुपए की मशीनों की सप्लाई के लिए 1073 प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए गए हैं।

रबड़ के दाम

3660. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उत्पादकों को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए दामों पर भारतीय प्राकृतिक रबड़ नहीं मिलती है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या दाम लागू करने के लिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) 20 अक्तूबर, 1967 को भारत सरकार के गजट में एक अधिसूचना द्वारा भारत में उत्पादित रबर की विभिन्न किस्मों के लिए अधिकतम और न्यूनतम संविहित कीमतों की घोषणा कर दी गई थी और उनसे कम और अधिक कीमत पर रबड़ का विक्रय/क्रय कानून के अन्तर्गत दण्डनीय घोषित किया गया है। प्राकृतिक रबड़ की माँग बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने अप्रैल, 1967 से प्राकृतिक रबड़ के आयात लाइसेंस देने तथा पुराने लाइसेंसों को फिर से नया करना बन्द कर दिया है। इस कार्यवाही को देखते हुए सरकार को आशा है कि अगले कुछ सप्ताहों में रबड़ उत्पादकों को अधिसूचित मूल्य मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

रूस से 5-स्टैंड कोल्ड रोलिंग मिल का आयात

3661. **श्री हिम्मत सिंहका** :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के क्रयादेश के अन्तर्गत भारत में स्थापित किए जाने के लिए प्रतिवर्ष इस्पात की 575,000 टन चादरों का उत्पादन करने वाली 5-स्टैंड कोल्ड रोलिंग मिल का रूस में निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मिल की लागत क्या होगी और इसको किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस मिल के निर्माण के लिए रूस को आर्डर देने के क्या कारण हैं?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) रूस से 5-स्टैंड कोल्ड रोलिंग मिल का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण में प्रतिवर्ष लगभग 575,000 टन कोल्ड रौल्ड शीट का उत्पादन करने वाली एक 4-स्टैंड 2000 एम० एम० कंटीन्युअस कोल्ड रोलिंग मिल स्थापित करने का विचार है। इस कोल्ड रोलिंग मिल शाप के लिये कुछ उपकरण (42 करोड़ रुपए के) रूस से और कुछ उपकरण (12 करोड़ 60 लाख रुपए के) भारत से खरीदे जा रहे हैं।

प्रबन्धक अभिकरण

3662. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय**-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967 में कितनी प्रबन्धक अभिकरणों (एजेन्सियों) ने कार्य करना बन्द कर दिया है;

(ख) ऐसी कम्पनियों के क्या नाम हैं जिनके मामलों में वर्ष 1967 में प्रबन्धक एजेन्सियों के नवीकरण को स्वीकार किया गया था; और

(ग) उन उद्योगों के क्या नाम हैं जिनमें इन प्रबन्धक एजेन्सियों का नवीकरण किया गया था।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) 1-2-67 से 30-11-1967 की अवधि में, कुल 108 प्रबन्ध अभिकरण कार्यरत हैं। 1-1-67 से 31-12-67 के मध्य, 12 प्रबन्ध अभिकरण समाप्त होने को हैं।

(ख) और (ग) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय म रखी गया देखिये संख्या एल० टी०** 1933/67] ।

मनीपुर में लौह-अयस्क खानें

3663. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में बहुत सी लौह-अयस्क खानें थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आजकल इन खानों की उपेक्षा की जा रही है और वे कार्य नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हाँ, तो वर्तमान शोचनीय स्थिति के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने खानों की जाँच की है और यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) नहीं, महोदय। तथापि मनीपुर के दलदल वाले खण्डों में लियोनाइट के छोटे कण, जो कि निम्न श्रेणी का लोहा अयस्क है, प्राप्त होते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्व रेलवे पर तांबे के तारों की चोरी

3664. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों में पूर्व रेलवे के उपनगरीय सेक्शनों में ओवरहैड तांबे के तारों की चोरी बढ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई; और

(ग) इन तारों की चोरी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जी नहीं, इसमें काफी सुधार हो गया है। जनवरी, 1967 से जून 1967 तक की अवधि में 25,696 रुपये के मूल्य के माल की चोरी हुई थी और जुलाई से अक्तूबर की अवधि में केवल 7.559 रुपये के मूल्य के सामान की चोरी हुई। यह पहले की तुलना में बहुत कम है।

(ग) इन चोरियों के रोकने के लिये निम्न कार्यवाही की गई है:

(एक) पुलिस के साथ, जिसमें गुप्तचर विभाग भी सम्मिलित है, बहुत अधिक सहयोग लिया जा रहा है;

(दो) प्रभावित स्थानों पर गश्त की व्यवस्था की गई है तथा अपराधियों के छिपने के स्थानों पर नजर रखी जाती है।

(तीन) अपराधियों को पकड़ने के लिये संयुक्त छापे मारे जाते हैं।

(चार) चोरी का सामान खरीदने वाले लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है तथा उनकी दुकानों पर तथा चोरी का सामान छिपाये जाने वाले स्थानों पर छापे मारे जाते हैं।

दक्षिण वियतनाम द्वारा भारतीय इस्पात के उत्पादों का आयात

3665. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण वियतनाम ने, जो भारतीय इस्पात उत्पादों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक था, भारतीय इस्पात का आयात बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(ग) दक्षिण वियतनाम द्वारा भारतीय इस्पात का आयात पुनः आरम्भ कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) इस मामले की जाँच की जा रही है तथा उचित कार्यवाही की जा रही है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के मेकैनिकल विभाग में भूतपूर्व सैनिक

3666. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के मेकैनिकल विभाग में नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों का मूल वेतन नियत करने में उनकी सैनिक सेवा की अवधि को नहीं गिना गया हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 10 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के सेवा-काल के लाभ से वंचित रखा गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में क्लर्कों के पदों पर कार्य कर रहे भूतपूर्व लड़ाकू अथवा गैर लड़ाकू सैनिकों का मूल वेतन निश्चित करते समय सेना में उनकी पहले कीसेवा का लाभ उन्हें दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले पर भी विचार करने का है, जो क्लर्क नहीं हैं, किन्तु जिन्हें चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में मेकैनिकल विभाग में नियुक्त किया गया है और जिनकी संख्या 300 से अधिक है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ग) भूतपूर्व लड़ाकू सैनिकों अथवा गैर लड़ाकू क्लर्कों अथवा सैनिक लेखा विभाग के क्लर्कों का वेतन नियत करने के लिये पृथक् आदेश हैं और उनके वेतन इन्हीं आदेशों के अनुसार नियत किये गये हैं ।

(ख) जी, हाँ ।

Sheds over Platforms on Stations of Suburban Section of Western Railway

3667. **Shri Baswant:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of stations on the Bombay Suburban Section of the Western Railway where cent per cent sheds have been provided on the platforms and the number of Such stations where fifty per cent sheds have been provided ;

(b) the names of the stations where no sheds have been provided on the platforms ;

(c) the arrangements made on such stations for protection from sun and rain ; and

(d) the time by which the sheds are likely to be provided on these satations ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Full lenth platform Covers have been provided on 12 stations, 50 % or more length of platform covers have been provided on 11 stations and 50% or less length of platform covers have been provided on 4 stations.

(b) Mira Road.

(c) and (d) Amenity works like provision of platform covering are undertaken on a programmed basis in consultation with Railway Users' Amenities Committee which takes into consideration the comparative needs of various stations and availability of funds. The work of providing cover on platform at Mira Road, will be considered for inclusion in future Works Programme, subject to availability of funds.

विदेशों से सहायता

3668. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 अक्तूबर, 1967 को उन्होंने पत्र संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि यदि आगामी कुछ वर्षों में विदेशों से सहायता तेजीसे न बढ़ाई जायेगी तो वर्ष 1970 में मिलने वाली विदेशी सहायता की राशि से उस वर्ष भारत की ऋण को अदायगी की राशि अधिक हो जायेगी ;

(ख) यदि हाँ, तो इस वक्तव्य का क्या परिणाम होगा ; और

(ग) देश से धन का बाहर जाना रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) अक्तूबर, 1967 को वाणिज्य मंत्री ने अल्जियर्स घोषणा-पत्र सम्बन्धी पत्र संवाददाता सम्मेलन में सामान्य रूप से विकासोन्मुख देशों के ऋण अदायगी सम्बन्धी भार की गंभीरता के समस्या के बारे में उल्लेख किया था न कि विशेष रूप से भारत की समस्या का, और उन्होंने यह भी कहा कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो सहायता की समस्त राशि विकासोन्मुख देशों द्वारा उनके ऋण तथा व्याज के भुगतान में ही समाप्त को जायेगी। अन्य विकासोन्मुख देशों के भारत उन्नत तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं का ध्यान इस असंतोषजनक प्रवृत्ति की ओर दिलाया है और उनसे अनुरोध किया है कि सहायता की राशि बढ़ायी और उसकी शर्तें अच्छी को जाये। यह भी अनुरोध किया है कि सन्निकट कठिनाइयों पर धन की फिर से शीघ्र व्यवस्था की जाये, ऋण अदा करने की शर्तें उदार की जायं। जहाँ तक ऋण, ब्याज आदि का भारत द्वारा अदायगी सम्बन्ध है, सहायता देने वाले देशों से द्विपक्षीय रूप से तथा एड इण्डिया कन्सोर्शियम के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि वे जिन ऋणों की अदायगयी का समय हो गया है उनकी अदायगी के लिए फिर से धन की व्यवस्था करें।

तालचेर और बरहामपुर के बीच रेलवे लाइन

3669. **श्री अ० दीपा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तालचेर और बरहामपुर के बीच आँगुल, अथमल्लिक, पुरुनाकीटक आदि होती हुई एक रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस लाइन के निर्माण के बारे में सर्वेक्षण करने के लिये राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन किये गये हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) माननीय सदस्य ने स्वयं चौथी योजना में इस लाइन के सर्वेक्षण के लिये अभ्यावेदन किया था। तथापि धन तथा संसाधन के बारे में कठिन स्थिति के देखते हुए तथा क्योंकि प्रस्तावित लाइन किन्हीं कर्म विशिष्ट मुख्य उद्योगों के लिये नहीं है जिनके काफी मात्रा में माल का यातायात होने की सम्भावना है, इसलिये निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण पर विचार करने की कोई सम्भावना नहीं हैं, अत: यदि इस समय सर्वेक्षण किया भी जाता है तो इस सर्वेक्षण के परिणाम बेकार साबित हो जायेंगे यदि इस लाइन का निर्माण काफी दिन के बाद किया जाता है और इस प्रकार से सर्वेक्षण पर किया गया व्यय व्यर्थ जायेगा जो कि रेलवे के लिये अर्थोपाय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सम्भव नहीं है।

शिक्षा संस्थाओं को रेलवे यात्रा के किराये में रियायत

3670. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शिक्षा संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें रेलवे की यात्रा के लिये किराये में रियायत की सुविधाएं दी जाती हैं;

(ख) उन शिक्षा संस्थाओं अथवा अध्यापक संगठनों के नाम क्या हैं जो अपने प्रतिनिधियों को वार्षिक सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिये रेलवे के किराये में रियायत की सुविधाएं प्राप्त करने के लिये तीन या चार वर्ष से प्रार्थना कर रही हैं;

(ग) उन शिक्षा संस्थाओं या अध्यापक संस्थाओं को ये सुविधाएं देने से इंकार किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे बोर्ड द्वारा अब तक कुल कितनी संस्थाओं को रेलवे किराये में रियायत की सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) किसी भी शिक्षा संस्था की स्थायी व्यवस्था के रूप में रेलवे की रियायत की सुविधा प्राप्त नहीं है। यह केवल उनके वार्षिक सम्मेलन के लिये ही है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं को रियायत दी जाती है। जिन शिक्षा संस्थाओं को पिछले 5 वर्षों में यह रियायत दी गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

आल इंडिया सेकंडरी टीचर्स एसोसियेशन,
आल इंडिया फेडरेशन आफ एजुकेशनल एसोसियेशन,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्,
आल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन,
आल इंडिया इंग्लिश टीचर्स कॉंफ्रेंस,
इंडियन एसोसियेशन आफ दी टीचर एजूकेटर्स,
आल इंडिया यूनिवर्सिटी उर्दू टीचर्स एसोसियेशन,
इंडियन अडल्ट एजूकेशन एसोसियेशन,
आल इंडिया म्यूजिक टीचर्स ट्रीवियल कॉंफ्रेंस,
आल इंडिया इस्लामिक स्टडीज कॉंफ्रेंस (इंस्टिट्यूट आफ इस्लामिक स्टडीज) और
कनवेंशन आफ दी टीचर्स आफ डीफ इन इंडिया

(ख) ऐसी बहुत सी शिक्षा सम्बन्धी अथवा अध्यापक संस्थायें हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में इस रियायत के लिये आवेदन किया है परन्तु उन्हें यह रियायत नहीं दी गई। उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार ऐसी संस्थाओं के नाम ये हैं :

इंडियन फेडरेशन आफ प्री–प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस
आल इंडिया प्री-प्राइमरी एजुकेशन कॉफ्रेंस
इंटरनेशनल काउंसिल आफ दी आर्य समाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
आल इंडिया एसोसियेशन आफ कालेजेज आफ फिजिकल एजुकेशन
आल इंडिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एंड कालेज टीचर्स अर्गेनाइजेशंस
नेशनल कनवेंशन आफ स्टूडेंट्स एंड यूथ कनवींड बाई हिन्द विद्यार्थी युवक सम्मेलन, यंग लेक्चरार्स

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित संस्थाओं को रेलवे रियायत की सुविधाओं की प्रार्थना को स्वीकार न करने का यह कारण है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए रियायत के क्षेत्र पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि ऐसी संस्थाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जब कि रेलवे के इन रियायतों के भार को सहन करने की क्षमता सीमित है।

(घ) रेलवे के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का औद्योगिक विकास

3671. **श्री गणेश** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास हेतु अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के संसाधनों का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के लिये कोई औद्योगिक नीति बनाई गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ। 1961 में लघु उद्योगों के विकास आयुक्त ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में औद्योगिक विकास की सम्भाव्यताओं का एक सर्वेक्षण किया था।

(ख) सरकार की उद्योग सम्बन्धी सामान्य नीति इन द्वीपों पर भी लागू होती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा

3672. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्तव्य-स्थान से भिन्न स्थान पर अध्ययन कर रहे बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता देने के सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों में कोई अन्तर है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अन्तर को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) रेलले तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा भत्ते सम्बन्धी योजनायें बिल्कुल भिन्न हैं। जब कि रेलवे में ऐसे मामलों में शिक्षा सहायता दी जाती है जहाँ रेलवे कर्मचारी को अपने बच्चे अथवा बच्चों को कर्त्तव्य

स्थान से भिन्न स्थान पर शिक्षा लेने के लिये भेजना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर 'अपेक्षित स्तर' के स्कूल नहीं होते है जबकि दूसरी ओर ऐसी कोई शर्त नहीं है और इस योजना का लाभ तब दिया जाता है जबकि सरकारी कर्मचारी का बच्चा अथवा बच्चे कर्त्तव्य स्थान से तथा/और जहाँ वह रह रहा/रही हो, दूरस्थ स्कूल में पढ़ते हैं। इस अन्तर को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है क्योंकि रेलवे में कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा सहायता सम्बन्धी नियम अधिक उदार हैं।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के स्टोर विभाग में खलासी

3673. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में कार्य करने वाले लगभग 180 खलासी गिनती करने, माल का वजन करने, माल की छंटाई करने आदि का कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से लगभग 78 खलासियों को स्टोर-मजदूर का पदनाम दिया गया है और उन्हें शेष खलासियों की अपेक्षा अधिक वेतन दिया जाता है, यद्यपि वे भी गिनती करने, माल का वजन करने, माल की छंटाई करने आदि का ही कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु०पुनाचा) (क) से (ग): एक विभागीय समिति ने चित्तरंजन लोकमोटिव वर्क्स के स्टोर विभाग के 184 खलासियों के कार्यों की जाँच की थी और उसे पता लगा है कि उनमें से केवल 78 खलासी वास्तव में गिनती करने, माल का वजन करने, माल की छंटाई करने आदि के काम में लगे हुए हैं। इसलिये 78 खलासियों को स्टोर मजदूर का पदनाम दिया गया। ऐसे स्टोर मजदूरों की इस समय संख्या 82 है। अन्य खलासियों के मामले में भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे लाइन का इम्फाल अथवा मनीपुर तक बढ़ाया जाना

3674. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लाइन को इम्फाल अथवा मनीपुर संघ राज्य-क्षेत्र के किसी अन्य स्थान तक बढ़ाने के लिये सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र में एक रेलवे लाइन बिछाने की संभावना की जाँच कर ली है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हाँ।

(घ) इस क्षेत्र में किसी भी रेलवे लाइन बनाने तथा बाद में उसकी देखभाल करने पर बहुत खर्च आयेगा। यहाँ पर परिवहन की क्षमता कम होगी क्योंकि यहाँ अवरोधक ढाल और बड़े-बड़े मोड़ हैं। इसे बनाना लाभप्रद नहीं होगा। इस समय कठिन वित्तीय स्थिति होने के कारण रेलवे इस क्षेत्र में नई रेलवे लाइन बिछाने पर न तो बड़ी राशि खर्च कर सकता है और न ही बाद में उसे चलाने पर होने वाली आवर्तक हानि को बर्दाश्त कर सकता है।

Theft of cash Boxes from Frontier Mail

3675. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that two cash boxes containing Rs. 3 lakhs were stolen on the 21st November, 1967 from the Frontier Mail between Nagda and Rohal Khurd Stations on the Western Railway ; and

(b) if so, the steps taken by Government to recover the said cash boxes?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes.

(b) A search party consisting of Government Railway Police, Railway Protection Force and Traffic staff was sent out promptly and they were able to recover the two cash boxes and the etire stolen property. Five accused persons have also been arrested.

Shortage of Bogies

3676. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the extent of shortage of bogies on the Indian Railways at present with class-wise details thereof ;

(b) the total manufacturing capacity thereof in the country ; and

(c) since when the applications of those 14 firms which had asked for Government's permission to manufacture bogies are under consideration and when a reply is likely to be sent to them in this regard?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) There is generally no shortage of passenger coaches for running the existing train services. On occasions, however, when there is spurt in demand for reserved coaches by private parties, some shortage is experienced by the railways.

(b) The total manufacturing capacity available in the country at present for manufacture of passenger coaches is for about 1200 coaches per annum, including Electric Multiple Unit Coaches.

(c) Only one application dated 14th August 1967 has been received for manufacture of coaches. The matter is under the consideration of the Railway Board.

करवार और बेलीकेरी पत्तनों से लौह-अयस्क का निर्यात

3677. **श्री राजशेखरन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर के मुख्य मंत्री ने करवार और बेलीकेरी पत्तनों से लौह-अयस्क के निर्यात को रोकने के सम्बन्ध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के निर्णय के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक विरोध पत्र भेजा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने उपरोक्त पत्तनों से केवल 5 लाख टन लौह-अयस्क का निर्यात करने का प्रयत्न किया है हालांकि बेल्लारी में 35 लाख टन लोह-अयस्क उपलब्ध है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मैसूर के मुख्य मंत्री से एक पत्र आया था जिसमें करवार और बेलीकेरी पत्तनों के माध्यम से लौह-अयस्क के निर्यात में हुई कमी की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया गया था।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1934/67]**

कस्तूरबा सेवा मन्दिर

3677–क. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटियाला में राजपुरा स्थित कस्तूरबा सेवा मन्दिर, जिसे खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से वित्तीय सहायता मिलती है, एक अतिथि गृह-चला रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस अतिथि-गृह का व्यय 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष होता है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राजपुरा स्थित कस्तूरबा सेवा मन्दिर

3677–ख. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटियाला में राजपुरा स्थित कस्तूरबा सेवा मन्दिर को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक इस सेवा मन्दिर को कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि जौराट जिला अम्बाला में एक लोहा पिघलाने की मशीन लगा कर इस धनराशि का दुरुपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) 226 लाख 33 हजार रुपये जिसमें 29 लाख 34 हजार रुपये का ऋण लेना शेष है।

(ग) इस प्रकार के दुरुपयोग की कोई खबर नहीं आई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निरीक्षण कारखानों की स्थापना

3677–ग. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को की सहायता से और विदेशी सहयोग से दो निरीक्षण कारखाने स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ तो, उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) मुझे इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Gramodyog Cooperative Societies

3677-D **Shri Prakash Vir Shastri :** **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some organisations in the name of Gramodyog Cooperative Societies and Gramodyog Ashram were set up in certain districts of Uttar Pradesh in the past and lakhs of rupees of Khadi and Village Industries Commission were invested therein ;

(b) whether it is also a fact that most of them were wound up afterwards and money was also liquidated ;

(c) whether Government have sought any information in regard to the extensive misuse of this money ; and

(d) if so, the persons mainly found guilty of misappropriation of money ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Vinoba Gramodyog Sangh

3677-E **Shri Prakash Vir Shastri :** **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently an organisation named Vinoba Gramodyog Sangh was set up in Dehra Dun under the Khadi and Village Industries Commission ;

(b) whether it is also a fact that majority of high office bearers of this Sangh belonged to one and the same family ;

(c) whether it is also a fact that these persons set up Nehru Memorial Foundation, Rajpur when this Gramodyog Sangh was on the verge of being wound up after incurring a loss of lakhs of rupees ; and

(d) the amount so far paid to both the organisations by the Khadi and Village Industries Commission in the form of loans and grants and whether Government have ascertained that this amount has been properly utilized ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) While the Vinoba Gramodyog Sangh, Dehra Dun was registered under the Societies Registration Act of 1860, in 1957, it cannot be said that it was set up under the Khadi & Village Industries Commission though the Commission has advanced grants and loans to this Sangh.

(b) Of 13 members of the Managing Committee, 4 were mutually related, but were not members of the same family.

(c) It cannot be said that the Nehru Memorial Foundation, Rajpur was set up because the Vinoba Gramodyog Sangh was on the verge of being wound up after incurring heavy losses. Instead, the Tibetan Nehru Memorial Foundation was formed for the purpose of rehabilitation of Tibetan refugees. Regarding the members who set up the Nehru Memorial Foundation, only a few members of the Vinoba Gramodyog Sangh were members but there were also other members of the Foundation.

(d) The Khadi & Village Industries Commission, Bombay, disbursed the following amounts since inception up-to-date to both the institutions :—

	(Rs. lakhs)	
	Grant	*Loan*
Vinoba Gramodyog Sangh, Dehra Dun	2.59	14.09
Tibetan Nehru Memorial Foundation, Rajpur	0.09	4.72
	2.68	18.81

Utilisation certificates have been received as under in respect of Grants and loans given upto 1965-66:

	(*In lakhs of rupees*)	
	Grant	*Loan*
Vinoba Gramodyog Sangh, Dehra Dun	0.93	9.78
Tibetan Nehru Memorail Foundation, Rajpur	Nil	1.41

Utilisation Certificates ware not yet due in respect of money given in 1966-67.

Goods Traffic

3677-F **Shri A. B. Vajpayee:** **Shri Shardanand:**
Shri N. S. Sharma

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the operating expenses of Railways have recently increased whereas the income from goods traffic has decreased ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the amount of monetary loss to be borne by the Railways during 1967-68 ;

(d) whether the development and expansion of railways, provision of amenities to passengers and facilities to Railway employees are likely to be hampered on this account ; and

(e) if so, the action being taken to avoid such a situation and the details of the future plan ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) It is correct that the operating expenses have increased recently. The earnings from Goods traffic have also increased by about Rs. 9 crores in the first seven months of current financial year, as compared to the earnings in the same period last year.

(b) The operating expenses of Railways have increased mainly because of the increase in the price of coal from September 1967 and the grant or additional dearness allowance to staff. The level of goods traffic has been below anticipations and so are the earnings from goods traffic. This is considered to be due mainly to the economic recession in the country leading to lower industrial activity.

(c) With four months still to go in this financial year. it is premature to make any close estimate of the results of Railway working in 1967-68.

(d) Not to any significant extent.

(e) Does not arise.

Fall in Production of coal

3677-G **Shri Bhogendra Jha.** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8930 on the 11th August, 1967 and state the steps being taken by Government to check the fall in production of coal by the National Coal Development Corporation?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): As a result of slump in coal market, the National Coal Development Corporation had to restrict its production which inevitably led to slight fall in the production of coal by the Corporation during 1966-67. The Corporation expects to increase its production during the current years and next year consistent with the demand.

मैसूर राज्य में औद्योगिक विकास

3677–ज. **श्री क० लकप्पा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समावय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान मैसूर के वित्त मंत्री द्वारा 4 नवम्बर 1967 को जारी की गई उस प्रेस विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया है जो मैसूर राज्य के सभी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी और जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मैसूर राज्य में उद्योगों के विकास की कमी का कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया विलम्ब तथा नित्य प्रति राज्य के औद्योगिक विकास-कार्य में किया जाने वाला हस्तक्षेप है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

आसनसोल-पुरी एक्सप्रेस का ठहराया जाना

3677–झ. **श्री स० कुन्दू :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के कुछ अधिकारी 20 सितम्बर और 12 अक्तूबर 1967 के बीच बस्ता हल्दीपाड़ा, नीलगिरि रोड, कान्तापाड़ा और मरकोना रेलवे स्टेशनों के लोगों से मिले थे और उन लोगों की इस धमकी पर कि यदि आसनसोल-पुरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को इन स्टेशनों पर ठहराना पुनः आरम्भ न किया गया, तो वे इस गाड़ी को रोक लेंगे, रेलवे प्रशासन का दृष्टिकोण स्पष्ट किया; और

(ख) यदि हाँ, तो इन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हाँ।

(ख) (एक) खड़गपुर के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेन्ट श्री ई० जे० सिमोइस ने गटसिला स्टेशन पर 23 सितम्बर 1967 को रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के साथ गाड़ियों को अधिक स्टेशनों पर ठहराने के बारे में बातचीत की थी। वह रुपसा में 26 सितम्बर 1967 को विधान सभा के सदस्य, श्री चिन्ताभणि जाना, की अध्यक्षता में बने प्रतिनिधिमंडल से भी मिले थे।

(दो) डिवीजनल सुपरिन्टेंडेन्ट श्री ई० जे० सिमोइस, डिवीजनल कमर्शियल सुपरिन्टेंडेंट, श्री के० पी० राय तथा डिविजनल सुपरिन्टेंडेन्ट, श्री जे० एस० आबेराय इस सम्बन्ध में 28 अक्तूबर 1967 को मारकोना में स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि मण्डल से मिले थे।

(तीन) डिवीजनल सुपरिन्टेडेन्ट श्री ई० जे० सिमोइस तथा नये डिवीजनल आपरेटिंग सुपरिन्टेंडेंट 397/698 एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहरने के सम्बन्ध में 3 नवम्बर 1967 को कनतापाड़ा में स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि मण्डल को भी मिले थे।

विलम्ब शुल्क तथा स्थान शुल्क

3677—ञ. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरांग स्थित दुर्गा ग्लास फैक्टरी, उड़ीसा इन्डस्टरीज तथा अन्य कारखानों द्वारा दक्षिण-पूर्व रेलवे को देय स्थान शुल्क तथा विलम्ब शुल्क की बड़ी राशि माफ कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत पाँच वर्षों में बरांग में विलम्ब शुल्क तथा स्थान शुल्क के रूप में कितनी राशि वसूल की गई और कितनी राशि माफ की गई और संबंधित पक्षों से माफ की गई राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जाँच की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) उन फर्मों से ली जाने वाली स्थान-शुल्क की काफी बड़ी राशि माफ कर दी गई है परन्तु विलम्ब शुल्क नहीं।

(ख) 1962-63 से 1966-67 वर्षों के दौरान बरांग स्थित श्री दुर्गा ग्लास फैक्टरी उड़ीसा इन्डस्टरीज तथा अन्य कारखानों द्वारा देय विलम्ब शुल्क तथा स्थान शुल्क की राशि, उसमें से माफ की गई राशि तथा वसूल की गई राशि दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1935/67]**

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन का राष्ट्रीयकरण

3677—ट. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री के० सी० रेड्डी को ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का राष्ट्रीयकरण करने के लिये लिखा था;

(ख) यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ;

(ग) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का राष्ट्रीयकरण न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) बजोरिया तथा सरकार के मध्य ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का काम चलाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ङ) यदि इस बारे में कोई करार हुआ है, तो क्या सरकार करार की प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हाँ, श्रीमान।

(ख) हाँ, श्रीमान। सदन के पटल पर एक प्रतिलिपि प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1936/67]**

(ग) और (घ) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के शेयरों क, जीवन बीमा निगम के पास 16-67 प्रतिशत तथा सरकार के अर्जित 22·21 प्रतिशत शेयर हैं। बाजोरिया समूह ने जिसमे 41 प्रतिशत हिस्से अर्जित किये हैं, हिस्सेधारियों द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल बनाने के लिये, सरकार तथा जीवन बीमा निगम के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है, जो जनता तथा सरकार का पूर्ण विश्वास पात्र हो।

यह महसूस किया गया कि दूसरे कई हिस्सेधारियों के सहयोग से, उचित प्रकार से निर्मित बोर्ड से, सरकार, कम्पनी के ऊपर आवश्यक माप से प्रभाव रक्खेगी अतः कम्पनी का राष्ट्रीकरण आवश्यक नहीं समझा गया। कम्पनीका प्रबन्ध तथा नियंत्रण निदेशक, मंडल में निहित है; जिसका संयोजन, इसमें समय-समय पर परिवर्तन सहित केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होता है।

(ङ) इस विषय में, सरकार तथा बाजोरिया के मध्य ऐसा कोई करार नहीं किया गया है। अतः यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आगरा में ईदगाह स्टेशन पर दुर्घटना

3677-ठ. **श्री रवि राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 मार्च 1967 को आगरा में ईदगाह स्टेशन पर हुई दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त एक रेलवे अधिकारी से दुर्घटना के सम्बन्ध में हुई जाँच के बारे मे पूछताछ नहीं की गई; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दुर्घटना में कोई रेलवे अधिकारी अन्तर्ग्रस्त नहीं था। 11 मार्च 1967 को इदगाह स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर द्वारा उसी लाइन पर, जिस पर पहले सही रूप में एक रेलवे अधिकारी की मोटर ट्राली आई थी, गाड़ी संख्या 2 ए० सी० लाने के लिये गलत सिग्नल नीचे किये जाने के कारण एक ब्लाक अनियमितता हुई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अधिकारी का दुर्घटना से कोई सम्बन्ध नहीं था।

रूसी ट्रैक्टरों की बिक्री

3677-ड. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रूसी ट्रेक्टरें भारतीय किसानों को ऊँचे मूल्या पर बेचे जा रहे हैं और उनकी बिक्री में काफी चोर-बाजारी तथा धांधली चल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो जाँच-परिणाम क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयोजित रूसी ट्रैक्टर निगम द्वारा नियुक्त एजंटों के मारफत उसके द्वारा नियत मूल्यों पर बेचे जाते हैं। निगम द्वारा नियत मूल्यों से अधिक मूल्य पर ट्रैक्टरों के बेचे जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : क्योंकि कोई निश्चित शिकायत नहीं की गई अतः कोई जाँच नहीं की गई। किन्तु राज्य व्यापार निगम के व्यापार सहयोगियों के बिक्री के विवरण नियमित रूप से प्राप्त होते हैं और निगम द्वारा उनकी जाँच की जाती है।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन

3677-ड. **श्री भोगेन्द्रझा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का सकल लाभ 1963 से शनैः शनैः इतना कम होता जा रहा है कि 1963 में 236 लाख रुपये से कम हो कर यह 1966 में 11 लाख रुपये रह गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस कमी के क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है :

(ग) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के पाँच चीनी कारखाने बेच देने का विचार है ;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रबन्ध संचालक के पद पर अपना नामनिर्देशित व्यक्ति रखने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) 1963 से 1966 की अवधि तक, कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ को दिखाते हुये, तथा लाभ में अवनति का कारण बताते हुये, एक विवरण पत्र, इस सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1937/67**) निदेशक मंडल इस प्रकार की कार्यवाही करेगा, जो कम्पनी के घाटे को अवरुद्ध कर, लाभदायकता के लिये, आवश्यक हो।

(ग) कम्पनी के पास कोई चीनी मिल नहीं है। परन्तु, इसके हिस्से ऐसे दो कंपनियों में हैं जिनके पास स्वयं की छै चीनी फैक्टरियाँ है। कम्पनी ने कार्यतः दोनों कंपनियों के अपने हिस्से बेच दिये हैं।

(घ) कंपनी को, गत तीन वर्षों से, एक चीनी कंपनी से अपने लगे धन के बारे में कोई विवरण प्राप्त न होने तथा दूसरी चीनी कंपनी में इसके निवान की पैदावार, बहुत कम होने से, कंपनी ने अपने बैंकर्स के परामर्श पर इन हिस्सों को बेच दिया।

(ङ) सरकार ने, 1 नवम्बर, 1962 से पाँच वर्ष की अवधि के लिये, कम्पनी के प्रबन्ध-निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन किया है। सरकार को, कंपनी के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिये, कोई प्रार्थना -पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

Sale of Indian Sarees in Ceylon

3677-O **Shri Shashi Bhushan Bajpai:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government's attention had been drawn to the order issued recently by the Government of Ceylon to the Customs authorities there directing them to confiscate all sarees reaching there from India ;

(b) if so, Government's reaction in this regard ; and

(c) the object of the Ceylon Government for the issue of such orders?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

स्टीमरों की टक्कर

3677-त. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा नदी में चलने वाले दो स्टीमरों की महेन्द्र घाट और पालेजा घाट के बीच टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हां तो इससे जहाजों को कितनी क्षति हुई; और

(ग) क्या इन जहाजों के दोषी पाये गये चालकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) हाँ। 21 सितम्बर, 1967 को नदी में पहले ही खड़े यात्री स्टीमर 'सरजू' के पास से गुजरने के लिये बातचीत करते समय यात्री स्टीमर गोमती की पालेजा घाट और महेन्द्र घाट के बीच लगभग 3.45 बजे टक्कर हो गई थी।

(ख) इसके परिणाम स्वरूप यात्री स्टीमर सरजू के अगले भाग और यात्री स्टीमर गोमती के पिछले भाग में दरारें पड़ गई थीं। यात्री स्टीमर गोमती के मुख्य छत के तख्ते भी टूट गये थे।

स्टीमरों का लगभग 3000 रुपये का नुकसान हुआ।

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय ओर से कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 5780 के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to U. S. Q. No. 5780.

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : 14 जुलाई 1967 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 5780 के उत्तर में मैंने कहा था:—

"(क) 1965-66 में इस्पात के आयात का मूल्य लगभग 89.60 करोड़ रुपये था।"

लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा प्रकाशित मई 1966 की मासिक पत्रिका में दिये गये आँकड़ों की फिर से जाँच करने से यह पता लगा कि छपाई में कुछ अशुद्धियाँ थीं जिसके लिए शुद्धि-पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। सही स्थिति इस प्रकार है:—

1965-66 में 87.79 करोड़ रुपये इक लोहा और स्पात आयात किया गया। इसके अतिरिक्त 0.81 करोड़ रुपये के मूल्य के लौह-मिश्र धातु और 10.75 करोड़ रुपये के मूल्य के पाइप, ट्यूब तथा पुर्जे आयात किये गये थे। चूंकि पाइप, ट्यूब और पुर्जे तैयार माल की श्रेणी में आते हैं जिनके लिए आयात और निर्यात का मुख्य नियंत्रक लाइसेंस देता है अतः साधारणतः इनको लोहा और इस्पात के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं किया जाता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

काश्मीर के पाक-अधिकृत भागों पर पश्चिम जर्मनी के चान्सलर की उड़ान की सूचना

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हारी) : **अध्यक्ष महोदय**, मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोह महत्व के विषय की ओर दिलाती हूँ और निवेदन करती हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें:—

"काश्मीर के पाक-अधिकृत भागों पर जर्मनी के संघीय गणराज्य के चान्सलर डा० केसिंगर की कथित उड़ान विशेषकर दिल्ली में उनके इस वक्तव्य के प्रकाश में कि भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्ध में पश्चिम जर्मनी का रवैया तटस्थ है।"

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

अध्यक्ष महोदय.....(अन्तरबधाएँ)

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): There is an arrangement for interpretation. So, she can speak in Hindi.

अध्यक्ष महोदय: केवल आपको ही उनकी बात नहीं सुननी है। सारी सभा को उन्हें सुनना है।

Shri Ram Sewak Yadav: Sir, Hindi is the mother tongue of the Prime Minister and there is an arrangement of interpretation here.

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूँगा। बहुत से अन्य सदस्य अंग्रेजी में भी सुनना चाहते हैं। ऐसा करने से सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती। कोई भी सदस्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी इन दोनों में से किसी भी भाषा में बोल सकता है।

Shri Rabi Ray (Puri): She should respect her mother tongue.

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री को भी सदस्यों की भाँति इन दोनों में से किसी भाषा में बोलने का अधिकार है।

Shri Modhu Limaye (Monghyr): The Members from Hindi speaking areas should at least speak in Hindi.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): हर समय ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक सदस्य को जिस भाषा में वह बोलना चाहे बोलने देना चाहिये। किसी को किसी भी भाषा में बोलने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य जिस भाषा में बोलना चाहे उसे उस भाषा में बोलने देना चाहिये। किसी के लिये इस प्रकार शोर करना ठीक नहीं है।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (विवलोन): यदि कोई सदस्य अंग्रेजी में प्रश्न करे तो उसका उत्तर अंग्रेजी में आना चाहिये ताकि यदि अनुवाद की मशीनरी न भी काम करे तो भी प्रश्नकर्ता को उत्तर समझ में आ सके।

Shrimati Indira Gandhi: I have no objection to speak in Hindi but there has been Convention in this House that the reply is given in a laguage in which the question has been asked. This Calling Attention Notice was given in English. Hence I am giving reply in English.

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री बोल रही हैं अब उन्हें वक्तव्य देने दिया जाये।

श्रीमती इंदिरा गाँधी: कुछ समय पहले पाकिस्तान के कई अखबारों में यह खबरें छपी थीं कि पश्चिम जर्मनी के एक प्रवक्ता ने इस्लामाबाद में कहा था कि पश्चिम जर्मनी काश्मीर में आत्म-निर्णय के सिद्धान्त का समर्थन करता है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भी 28 नवम्बर 1967 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसका उद्धरण मैं यहाँ दे रही हूँ।

"रावलपिंडी, नवंबर २८: पश्चिम जर्मनी के एक प्रवक्ता ने कल रात यहाँ यह कहा कि पश्चिम जर्मनी कश्मीर के विवाद को न्याय के सिद्धांत पर और आत्म-निर्णय के आधार पर सुलझाने का समर्थन करता है'।

हमने इन खबरों की सच्चाई के बारे में इस्लामाबाद-स्थित अपने हाई कमीशन से पूछताछ की और नई दिल्ली-स्थित जर्मन संघीय गणराज्य से भी।

इस्लामाबाद-स्थित हमारे हाई कमीशन ने हमें बताया है कि पाकिस्तान हाई कमीशन की प्रेस विज्ञप्ति का यह बयान न तो चान्सलर किसिंगर की पाकिस्तान यात्रा के अंत में जारी की गई सम्मिलित विज्ञप्ति पर आधारित था और न इस्लामाबाद में किसी पश्चिम जर्मनी प्रवक्ता के वक्तव्य पर। नई दिल्ली-स्थित जर्मन संघीय गणराज्य के राजदूतावास ने बड़े साफ शब्दों में इस बात की पुष्टि की है कि यह कथित बयान पश्चिम जर्मन प्रतिनिधिमंडल के किसी भी सदस्य ने नहीं दिया था।

हमने सम्मिलित विज्ञप्ति को भी जांच की है जिसमें कि इस्लामाबाद में चान्सलर किसिंगर और राष्ट्रपति अयूब खां की बातचीत के परिणामों को संक्षेप में दिया गया है। इसमें कश्मीर का जिक्र सिर्फ छठे पैरे में है जो इस प्रकार है:—

'पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चान्सलर किसिंगर को भारत-पाक संबंधों के बारे में स्थिति समझाई। इस सिलसिले में उन्होंने इस उप महाद्वीपों में बढ़ते हुए सैनिक असंतुलन पर अपनी सरकार की चिंता व्यक्त की और अपनी सरकार की इस इच्छा की भी पुष्टि की कि वह जम्मू और कश्मीर समेत भारत के साथ जितने भी विवाद है उन सभी को शान्ति के साथ और सम्मानपूर्वक निपटाना चाहती है। चान्सलर ने पाकिस्तान की स्थिति पर गौर किया और यह आशा व्यक्त की कि ये विवाद शान्तिपूर्वक निपट जाएँगे।

स्पष्ट है कि जर्मनी के चान्सलर ने सिर्फ पाकिस्तान की स्थिति पर गौर किया है और यह आशा प्रकट की है कि ये विवाद शान्तिपूर्वक निपट जाएँगे। यह ताशकंद घोषणा के अनुरूप है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से एक दूसरे प्रश्न पर कुछ कहना चाहूँगी। यह जर्मनी के दल को ले जाने वाले विमान के मार्ग से संबद्ध है।

हमें बताया गया है कि चान्सलर किसिंगर को गिलगित दिखाने का प्रस्ताव था। यह स्वीकार नहीं किया गया। बाद में 27 नवंबर को नंगे पर्वत और के–2 के दृश्य अवलोकन के लिए उड़ान करने की योजना बनाई गई। जैसा कि सदन को मालूम है नंग पर्वत पर सबसे पहले एक जर्मन अभियान दल चढ़ा था। तभी से जर्मनों की इस पर्वत में रुचि रही है। यह उड़ान खराब मौसम के कारण रद्द कर दी गई। 28 नवंबर को रावलपिंडी से लौहार जाते हुए पश्चिम जर्मनी के इस दल को विमान द्वारा नंग पर्वत और के–2 ले जाया गया। हमारी सूचना के अनुसार पश्चिम जर्मनी के दल को यह नहीं बताया गया था कि वे गिलगित, हुंजा अथवा स्कार्डू के ऊपर से होकर गुजरेंगे और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिलाया है कि यह उड़ान विशुद्ध रूप से स्थल दर्शन के लिए की गई थी और इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं था।

माननीय सदस्य पाकिस्तान के कुछ अखबारों के व्यवहार के तरीके से भली भांति परिचित हैं। जब कभी भी कोई महत्वपूर्ण यात्री उस देश में जाता है तभी उसके बयानों और उसकी कार्रवाइयों को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की जाती है। मुझे तो इसमें शक है कि इस प्रकार की गलत बातों से संसार में कोई गुमराह होता है।

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj): * * *

Shri Madhu Limaye: * * * * *

*

Shrimati Sushila Rohatgi : There is no such rule that we can send questions only in Hindi. Till a final decision is taken in that regard we can send questions in either language.

Shri Ram Sewak Yadav: Shame, shame.

Shrimati Sushila Rohatgi : For you or for me ?

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के प्रति इस प्रकार के शब्द कहे जाने यहाँ शोभा नहीं देते। यदि कोई माननीय सदस्य चाहे तो वह कन्नड या तमिल भाषा में बोल सकता है तो फिर अंग्रेजी में बोलते समय ऐसा क्यों कहा जाता है।

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, I rise on a point of order.

अध्यक्ष महोदय : पहले आपने शर्म शब्द का प्रयोग किया है और अब आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं। आप हिन्दी में बोले हम शर्म शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित है ?

Shri Ram Sewak Yadav : You have said just now that when questions can be asked in Kannad or Tamil why these can't he asked in English. But my submission is that it is mentioned in the Constitution that English will go on disappering by and by and the Indian languages will takes it place. So we can give relaxation only in the case of non-Hindi speaking areas. Thus, the members as well as the Ministers of Hindi-speaking areas should use Hindi. Hence relaxation to speak in English cannot be given to Members of Hindi speaking areas.

श्री क० लक्कप्पा (तुमकुर) : हिन्दी के समर्थक हमारे यहाँ काम करने में बाधा डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सुझाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ कि हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के सदस्यों को हिन्दी में बोलना चाहिये। ऐसा कोई नियम नहीं है। उन्हें हिन्दी में बोलने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि केवल अन्तर्बाधा ही होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु जो भाषा महिला सदस्या के प्रति प्रयुक्त की गई है वह ठीक नहीं थी। अतः अब हमें सभा के कार्य पर आ जाना चाहिये।

Shri M. A. Khan (Kasganj) : The word 'Shame' which has been used against the hon. lady Member is unparliamentary. Hence that word should be expunged from the proceedings of the House and the Member concerned should apologise for that.

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष के प्रति भी टिप्पणी की जाती है तो उसे भी मैं कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर नहीं निकलता ताकि सम्बन्धित सदस्य को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिये शर्म आय।

Shrimati Sushila Rohatgi : I associate myself with the feeling expressed by Shri Ram Sewak Yadav for the love of Hindi. I do not disagree with his feelings when he used the word 'shame' for me and at the same time I do want that the gap of our feelings should merge now.

वक्तव्य से कई बातें निकली हैं। पहली बात तो यह है कि जर्मनी के चांसलर ने पाक अधिकृत काश्मीर पर उड़ान करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। दूसरी बात यह है कि उन्हें इस उड़ान का कोई ज्ञान नहीं था। तीसरी बात यह है कि प्रतिनिधि मण्डल के किसी सदस्य ने आत्म-निश्चय के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। अतः पाकिस्तान के खिलाफ तीन आरोप हैं। अतः मैं प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि जाँच के अलावा भारत सरकार ने पाकिस्तानी प्रचार की ओर चांसलर का ध्यान आकर्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की है।

श्रीमती इंदिरा गांधी: मैं नहीं समझती कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता है। केवल इससे ही कि यह जो घटना वहाँ घट गई है जर्मन लोगों को पता चल जायेगा कि पाकिस्तान अपना कि प्रचार कैसे कर रहा है।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : May I know whether Government have asked Western Germany to contradict the news items published in Pakistan and whether keeping in view the anti Indian activicies of West Germany Government propose to develop fresh relation with East Germany ?

Shrimati Indira Gandhi: We had contacted the Ambassador of West Germany here and he has assured us that no member of his Party had said so. As far as our relations with East Germany are concerned we have good relation with them.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम जर्मनी भारत सरकार के लिये तो संगीत की व्यवस्था करता है जब कि वह सैनिक और राजनयिक समर्थन पाकिस्तान को देता है। क्या प्रधान मंत्री यह समझती हैं कि जर्मनी की कार्यवाही भारत पर यह दबाव डालने के लिये होती है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकार करे ? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में इस बात की जाँच क्यों नहीं की गई कि काश्मीर के प्रश्न पर जर्मनी की तटस्थता की क्या गारंटी है। क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि भारतीय उच्चायुक्त ने शीघ्र विरोध क्यों नहीं किया था।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य श्री सोंधी इस बारे में हमारी सदा ही सहायता करने को तैयार हैं। परन्तु जर्मनी के बारे में जो उन्होंने विचार व्यक्त किये हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जर्मनी का सारा मसला बहुत पेचीदा है। हम स्थिति से पूर्णतया अवगत हैं और हम महसूस करते हैं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे यूरोप के देश ही हल कर सकते हैं। हमें कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे स्थिति और बिगड़ जाये ?

जहाँ तक जर्मनी द्वारा हम पर दबाव डाले जाने का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम पर किसी भी सूत्र से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा रहा है। हम इस बात पर निरन्तर विचार करते रहते हैं कि हमारा हित कहाँ है और हम तदनुसार अपनी नीति बनाते रहते हैं।

Shri Madhu Limaye : The Prime Minister has told in a reply to some question that the news item published in Pakistan were not correct. May I know from her the statement of the West German Government or her Ambassador in India Union through which those news items were contradicted? Secondly, I would like to know whether keeping in view the changing position of West Germany, as she has established displomatic relations with Rumania though Rumania has diplomatic ties with East Germany, she proposes to convense a conference of Non-allied countries where a proposal shall be put to give recognition to both countries East Germany and West Germany?

Shrimati Indira Gandhi : That is a suggestion.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काश्मीर के पाक अधिकृत भागों पर उड़ान के बारे में है न कि रूमानिया के बारे में।

Shri George Fernandes (Bombay South) : May I know whether the matter regarding the maps published in West Germany, in which some part of India had been shown as Pakistani territory, was discussed in a meeting with Dr. Kiassinger. May I also know whether any details were asked from him regarding the military aid given by them directly or indirectly

to Pakistan: May I also know whether it was agreed to in the meeting that India will not recognise East Germany.

Shrimati Indira Gandhi : As regards the question regarding maps it was told by the West German Government that these maps were not published officially. As regard the second question our information is that some saberjets were given to Pakistan through Iran. That Government has told us that they will get back those jets. They don't want that equipments etc may be further transmitted to any country. As regards third question we have not given any assurance to anyone. They did request us that we should give thought over this matter.

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

अध्यक्ष महोदय : कानून और व्यवस्था, धारा 144 के लगाये जाने आदि के बारे में मेरे पास कई स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनायें आई हैं। उनके बारे में यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि वे राज्यों के विषय हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर): समाचार पत्रों में लिखा हुआ है: . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : इसे कायवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु* * * *

अध्यक्ष महोदय : बहुत से विषयों पर नोटिस आये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): (उठे)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय सोमवार तक इस विषय में ठीक सूचना प्राप्त करें।

श्री ज्योतिमय वसु (डायमंड हार्बर) : इस मामले पर इस सभा में चर्चा अवश्य की जानी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Kindly allow one hour discussion on this subject.

अध्यक्ष महोदव : परसों भी दिल्ली के विषय पर इस सभा में चर्चा हुई थी। यह संसद समूचे देश के लिये जिम्मेवार है।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): श्रीमान, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत

सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, लिमिटेड के 1966–67, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1912/67]

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) लागत-लेखांकन रिकार्ड (साईकिल) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 19 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1244 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत-लेखांकन रिकार्ड (सीमेंट) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 19 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1245 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) लागत-लेखांकन रिकार्ड (टायर तथा ट्यूब) नियम, 1967 जो दिनांक 26 अगस्त 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1260 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) लागत-लेखांकन रिकार्ड (कास्टिक सोडा) नियम 1967, जो दिनांक 26 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1261 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) लागत-लेखांकन रिकार्ड (कमरों के लिए वातानुकूलन यंत्र) नियम, 1967 जो दिनांक 23 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1447 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) लागत-लेखांकन रिकार्ड (रेफ्रिजरेटर) नियम, 1967 जो दिनांक 23 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1448 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) लागत-लेखांकन रिकार्ड (मोटर गाड़ियों की बैटरियाँ) नियम, 1967 जो दिनांक 30 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1467 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) लागत-लेखांकन रिकार्ड (बिजली के लैम्प) नियम, 1967 जो दिनांक 7 अक्तूबर 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1503 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1912/67]

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951.

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(3) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 32 (24)–सी जी (एफ एम सी) / 67 की एक प्रति जो दिनांक 23 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1913/67]

(4) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18–क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4138 की एक प्रति जो दिनांक 15 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1914/67]

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (मणिपुर) 1967-68

SUPPLEMENTARY DEMAND FOR GRANTS (MANIPUR) 1967-68

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से वर्ष 1967–68 के लिये मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र संबंधी अनुदानों की अनुपूरक माँगे दिखाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूँ।

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है:—

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 5 दिसम्बर, 1967 की बैठक में डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1967 पास किया।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 5 दिसम्बर, 1967 की बैठक में मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1967 पास किया।

(तीन) कि न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1967 के, लोक-सभा द्वारा 27 नवम्बर, 1967 को पास किये गये रूप में, बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि करारोपण विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 1967 के, लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 1967 को पास किये गये रूप में, बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक सभा-पटल पर रखे गये

BILLS PASSED BY RAYA SABHA LAID ON THE TABLE

सचिव: श्रीमान्, मैं निम्नलिखित विधेयकों की राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियम) संशोधन विधेयक, 1967

(2) मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक 1967

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव: श्रीमान् मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त सूती कपड़ा (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क निरसन) विधेयक, 1967 सभा पटल पर रखता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति

ADVISORY COMMITTEE

नवाँ प्रतिवेदन

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : I beg to move that this House agrees with the Ninth Report as amended by the Tenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 1st December and 7th December, 1967, respectively.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है: "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के नवें प्रतिवेदन से, दसवें प्रतिवेदन द्वारा संशोधित रूप में, जो क्रमशः 1 दिसम्बर, तथा 7 दिसम्बर, 1967 को सभा में पेश किये गये थे, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted.

सभा की कार्यवाही

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): Sir, Government business for the week Commencing Monday, the 11th December, 1967, would consist of—

(1) The Official Languages (Amendment) Bill, 1967. (*Further considered eration and passing*) and further discussion on the Resolution on Official Languages.

(2) The Unlawful Activities (Prevention) Bill, 1967, as reported by the Joint Committee. (*Consideration and passing*).

(3) A discussion and Voting on:— the Supplementary Demands for Grants (General) for 1967-68, the Demands for Excess Grants (General) for 1964-65.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : कलकत्ता में केन्द्रीय पुलिस तथा सेना द्वारा किये गये अत्याचारों से पैदा होने वाली स्थिति पर चर्चा के लिये कुछ समय दिया जाना चाहिये।

श्री स० मो बनर्जी (कानपुर) : दिल्ली तथा बनारस विश्वविद्यालय में पुलिस के अत्याचारों पर चर्चा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: यदि यह बातें यहाँ उठाई जानी हैं तो कार्य मंत्रणा समिति का क्या लाभ है ?

राजभाषा (संशोधन) विधेयक 1967 तथा राजभाषा सम्बन्धी संकल्प—जारी

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL 1967 AND RESOLUTION RE: OFFICIAL LANGUAGES—Contd.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को अगले सत्र के प्रथम दिन तक राय जानने के लिये परिचालित किया जायें।"

Shrimati Sucheta Kripalani (Gonda) : There is no provision in the Bill regarding the time by which Hindi will take the place of English. The Constitution has provided that Hindi will become the official language after fifteen years, but nothing was done during that period by the Government to develop Hindi and give to it its due place. By giving veto power to any State against Hindi, the Government has confirmed the impression that the Government is not serious about bringing Hindi. A reasonable time-limit should be fixed within which the non-Hindi people should learn Hindi.

The Bill in its present shape is not welcome, because not only it does not give Hindi a higher place as envisaged in the Constitution but on the other hand it does not give to Hindi a status equal to that of English. Hindi has been relegated to a secondary position.

The non-Hindi speaking people should give up the fear that there is any attempt to impose Hindi. They should realise that if Hindi progresses, other languages are bound to develop along with it. The Hindi-speaking people should also try to make Hindi simple and understandable, instead of making it difficult, so that it is more readily acceptable to all words from othder Indian languages should be freely adopted in Hindi. We should not resort to violence. It will not be any service to the country or to Hindi.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha then reassembled after lunch at Fourteen of the Clock.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

श्री अमिया नाथ बोस (आरामबाग) : सभा के समक्ष विचाराधीन राजभाषा विधेयक तथा संकल्प का देश के भविष्य पर चिरस्थायी प्रभाव पड़ेगा। इसलिये, हमें इस पर शांति और उद्वेग रहित होकर विचार करना चाहिये।

हमारे देश में, जहाँ कि बहुत सी भाषायें हैं, भाषा सम्बन्धी नीति इस प्रकार बननी चाहिये कि इससे राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिले न कि उससे एकता समाप्त हो जाये। उसके साथ ही केवल विधि द्वारा जनता पर कोई भाषा नहीं लादी जानी चाहिये। अहिन्दी भाषी लोगों में उन पर हिन्दी लादने के सम्बन्ध में बहुत आशंकायें हैं। बंगाल में यह वास्तविक सन्देह है कि भाषा सम्बन्धी नीति को अहिन्दी भाषी लोगों पर दबाव डालने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा।

डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने भी, जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, संविधान सभा में अंग्रेजी के पक्ष में हिमायत की थी और कहा था कि देश की आवश्यकताओं की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा को राजभाषा बनाया जाना चाहिये क्योंकि इसके माध्यम से हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त हुआ है जो अन्यथा न होता।

हमारा देश इतना विशाल है और यहाँ इतनी भाषाएँ हैं कि देश के लोगों पर कोई भी भाषा बल अथवा कानून के द्वारा नहीं लादी जा सकती क्योंकि यह तो मुख्यतः ऐतिहासिक विकास का मामला है।

इश्तहार तथा बसें जलाकर और इसी प्रकार के गुंडागर्दी के काम करके हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी कभी भी नहीं लाई जा सकती।

जहाँ तक बंगालियों का सम्बन्ध है हम समझते हैं अंग्रेजी को उस समय तक सम्पर्क भाषा के रूप में बनाये रखना जरूरी है जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से हिन्दुस्तानी को सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता। त्रि-भाषा नीति को ईमानदारी के साथ और पूरे जोर-शोर के साथ अपनाया जाना चाहिये। वैज्ञानिक, तकनीकी तथा चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के उच्च स्तर को बनाये रखने और देश के विधि-तंत्र को चलाने के लिये अंग्रेजी आवश्यक है। भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग की भावनाओं को समझना जरूरी है। प्रस्तुत विधेयक तथा संकल्प का समर्थन करना चाहिये क्योंकि उसमें कम से कम एक समझौते की व्यवस्था है।

Shri Madhu Limaye (Mongyr) : Sir, yesterday an allegation, was made that a Madrasi School in Delhi was attacked. If it were true, it is very deplorable. The Hon Minister should, therefore, give out the facts so that the position becomes clear.

श्री क० लक्कप्पा (तुमकर) : उपाध्यक्ष महोदय, साउदर्न एक्सप्रेस को रोकने के प्रयत्न किए गए थे, दक्षिण भारत के लोग इस समय यात्रा नहीं कर सकते। (अन्तर्बाधाएं) वहाँ बड़ी गड़-बड़ चल रही है, इसके लिये जिम्मेदार कौन है? (अन्तर्बाधाएं)

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने बताया है, अध्यक्ष महोदय ने सभा को सूचित किया है कि उन्होंने गृह-कार्य मंत्री को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने का निदेश दिया है, अतः हम सोमवार तक प्रतीक्षा करें।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : We have tried to find out the truth about the allegations that were made here. What was alleged has been circulated all over the country by English Language news agencies and this might lead to unfortunate repercussions. It would be very improper that wrong things got into circulation if we wanted the atmosphere to improve. The Home Minister should be asked to state the facts. It is also alleged that three South Indian M.L.As were attacked and manhandled at Agra. We made contacts with Agra and our information is that during the compaign to smear the English number plates on cars, the students smeared the English number plate of the M.L.As' car also. There was some discussion and when the students came to know that they were MALs from Madras, they apologised to them. The whole thing must be made cleay by the Home Minister so that a wrong impression might not go round.

श्री अंबाजागन (तिरुचेगोड) : दक्षिण भारतीयों के विरुद्ध जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जो प्रश्न यहाँ कल उठाया गया था, उसे मद्रास सरकार समय आने पर केन्द्र के साथ उठायेगी। अंग्रेजी विरोधी आन्दोलन देश में खासकर उन लोगों के लिए और विशेषकर यहाँ उन संसद सदस्यों के लिये जो हिन्दी नहीं जानते, एक हंगामा खड़ा कर रहा है। हम हिन्दी सीखने के लिये बाध्य नहीं हैं। चूंकि हमने हिन्दी नहीं सीखी है और हमारे साइन-बोर्ड तथा कारों के नम्बर अंग्रेजी में हैं, इसलिये हम पर हमला किया जा रहा है, सभा के सभी वर्गों द्वारा इस प्रकार की गुंडागर्दी की निन्दा की जानी चाहिये।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हम सभी का और विशेषतः उन लोगों का जो हिन्दी को सम्पूर्ण भारत तथा सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के इच्छुक हैं, यह कर्त्तव्य है कि पिछले चार या पाँच दिनों उत्तरी भारत में जो घटनाएं घट रही हैं, उन्हें हम आगे न होने दें और हमें इन घटनाओं की निन्दा करनी चाहिए तथा लोगों से शान्ति बनाये रखने का अनुरोध करना चाहिये, अभी तक ऐसी कोई अपील नहीं की गई है। इस वातावरण को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। आखिर सम्पूर्ण भारत तो हिन्दी भाषी है, नहीं, उकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अहिन्दी भाषी है। जो कुछ हो रहा है, उसे वे देख रहे हैं। वे न तो हिन्दी भाषी लोगों की अपेक्षा कुछ कम उत्तेजित होने वाले हैं और न ही अपनी भाषाओं तथा सम्पर्क भाषा के बारे में कुछ कम कट्टर हैं। उनके लिये किसी भी तरह, अंग्रेजी ने सम्पर्क भाषा का काम किया है और वे इसे आपसी पत्र-व्यवहार का माध्यम बनाये रखने के लिये उतने ही उत्तेजित हैं जितने कि हिन्दी भाषी लोग हिन्दी के बारे में, स्वयं मेरी राय में अंग्रेजी ने हमारे देश में वही स्थान प्राप्त कर लिया है जो अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को है। हम हिन्दी का विकास जरूर करना चाहते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमने उसे एक राजनैतिक हथियार, एक राजनैतिक तर्क तथा एक राजनैतिक औजार का रूप दे दिया है जिसके फलस्वरूप यह मामला एकता का प्रतीक न रह कर द्वेष उत्पन्न करने वाली बात हो गई है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur). Sir, I myself went to the school mentioned yesterday and have found that the rumours afloat are wrong. The English Press is only helping to spread the rumours which migh lead to repurcussions elsewhere. We can never be a party to any kind of hooliganism that was alleged to have taken place yesterday. But wrong things should not circulate.

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम इस अध्याय को बन्द करें। माननीय मंत्री ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा-सा बोलना चाहता हूँ। हिन्दी प्रेमियों को हिन्दी की ही देशभक्ति नहीं मानना चाहिए। वे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिससे देश का विघटन हो जायेगा। यदि वे संयुक्त भारत की प्रतिभा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उनके लिये इस सभा में तथा उसके बाहर शान्ति से, भद्रता से, तथा राष्ट्रीय भावनात्मक एकता की भावना से व्यवहार करना जरूरी है। जो कुछ हो रहा है, उसकी अन्य राज्यों में भयंकर प्रतिक्रिया होने की संभावना है। अतः यह अत्यावश्यक है कि गृह-कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में सोमवार को नहीं अपितु आज ही अपना वक्तव्य दें।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : हमारे लिये इस बिगड़ती स्थिति को संभालना जरूरी है। घटना के बाद खेद प्रकट करने से कोई लाभ नहीं होता। इस सम्बन्ध में हमारी

भावनाएं चाहे कुछ भी हों, लेकिन दूसरी ओर से व्यक्त भावनाओं पर विचार करना जरूरी है। इसके लिये मैं जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा रहा हूँ। फिर भी मैं यह महसूस करता हूँ कि यदि सभी दल मिलकर बिना किसी शर्त के एक संयुक्त अपील जारी करें तो इसका असर अच्छा पड़ेगा।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं भाषा के नाम पर तथा अन्य किसी अन्य नाम पर किए गए गुंडागर्दी के कार्यों की स्पष्ट शब्दों में निन्दा करता हूँ। देश के किसी भी नागरिक के लिए बिना किसी कठिनाई के अथवा रुकावट के कहीं भी जाना सम्भव होना चाहिये। हम संयुक्त अपील जारी करने के लिए तैयार हैं।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मेरा सुझाव यह है कि केवल हमारी अपील ही उन विद्यार्थियों तक नहीं पहुँच सकेगी। इसकी बजाय हमें तुरन्त एक भारी बैठक बुलानी चाहिये जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि दिल्ली के विद्यार्थियों से अपील करें कि वह इस प्रकार की बातों से ऊपर उठें।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The Jan-Sangh is totally opposed to any acts of violance against non-Hindi speaking people. We will firmly oppose such an attempt. However, the allegations about attack on South Indian schools and children in Delhi and three Madras M.L.A's in Agra have been found to be incorrect on personal enquiries by me. It is certainly bad to allow such false allegations to be circulated.

श्री मा० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं अभी मद्रासी स्कूल से आया हूँ और वहाँ मैंने विद्यार्थियों के समक्ष भाषण दिया है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है और उन्होंने मेरा परामर्श स्वीकार किया है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : कल जब यह प्रश्न इस सभा में उठाया गया था तो उसके तुरन्त पश्चात् हमने दिल्ली प्रशासन से इस कथित घटना के बारे में पूरी जानकारी माँगी थी। यह बताया गया है कि कुछ स्कूलों तथा कालेजों के कुछ विद्यार्थी, जो हड़ताल पर थे, कुछ अन्य स्कूलों तथा कालेजों में गए और उनके विद्यार्थियों से हड़ताल कराने का प्रयत्न किया। जहाँ भी ऐसा न किया गया वहाँ नारे लगाये गए और कुछेक मामलों में पत्थर फेंके गए। परन्तु ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें किसी अहिन्दी स्कूल पर धावा किया गया हो। केवल थोड़े से विद्यार्थियों ने ही गुंडागर्दी में भाग लिया है। भविष्य में ऐसी कोई घटना न होने देने के लिये कार्यवाही की गई है।

श्री क० लकप्पा : (तुमकुर) : सदर्न एक्सप्रैस को रोकने के प्रयत्नों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। **(अन्तर्बाधाएँ)**।**

Dr. Govind Das (Jabalpur) : The democracy cannot flourish if such acts of hooliganism continue to go on. It is a matter of regret that violent incidents are taking place at several places in the country in the name of Hindi. Every right thinking person should deplore such incidents.

This Bill is basically against Hindi. The Constitution has provided that English will be replaced by Hindi after the expiry of a period of fifteen years, but it has not been done. The Government never took adequate steps for the development and promotion of the use of Hindi, so that it could take the place that was rightly assigned to it in the Constitution The effect of the Bill will be that English will continue for ever in the country.

It was said that the Bill has been brought forward in accordance with the assurances given by the late Pandit Jawaharlal Nehru, but he never agreed that English should continue

*कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया

*Not recorded

for ever. Pandit Nehru had catagorically said at the time of the debate on the question of language in the Constitutent Assembly that English was not an Indian language. He had also opposed the inclusion of English in the Eighth Schedule of the Constitution. But even if he had given any assurance which was contrary to the provisions of the Constitution, it is the Constitution that will prevail and not his assurances.

There is not tussle between Hindi and other Indian languages. The tussle is between Hindi and other Indian languages on the one hand and English on the other. In reality, the root of the trouble is recruitment to all India services and the apprehension that Hindi speaking people will dominate in the services. That apprehension, however, is hardly justified. The posts in All India services can be reserved on the basis of population in every State. To allay the fears of non-Hindi speaking people the Hind speaking people should even think of foregoing central jobs for some time.

It is a matter of great satisfaction that the present Minister of Education has decided that education should be imparted through the medium of regional languages. He should, however, remember that Dr. Shrimali, a former Minister of Education, had also taken a similar decision but it was never given effect to. We hope that the present Minister will see that it is implemented this time .

The present Bill gives a right of veto to any State. It means that even a small State like Nagaland, with a population of a few lakhs can cause English to be imposed on us. In the resolution moved by Shri Chavan, it has been mentioned that the knowledge of Hindi will not be compulsory for recruitment purposes. That is very unfair. The relevant words should either be deleted on the words 'or English' be added.

The Bill should be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon. Just as the opinion poll held in Goa, we may hold an opinion poll in the whole of the country on this issue. The decision of such a poll should be binding on all.

श्री स० चु० जमीर (नागालैण्ड) : मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। नागालैण्ड सरकार ने अंग्रेजी को राजभाषा बनाने का निर्णय किया है। उसका एक कारण यह है कि नागालैण्ड राज्य बनने से पूर्व वहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। हमने हिन्दी सीखना अभी आरम्भ किया है। यद्यपि हम किसी भी भाषा से घृणा नहीं करते, तथापि हमने अपनी सुविधा के लिये अंग्रेजी को राजभाषा बनाया है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा): महोदय, मैं संशोधन संख्या 62 तथा 63 प्रस्तुत करती हूँ।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : महोदय मैं अपना संशोधन संख्या 64 प्रस्तुत करती हूँ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

सोलहवाँ प्रतिवेदन

Shri G. C. Dixit (Khandwa) : Sir, I beg to, move:

"That this House agrees with the Sixteenth Report of the Committee on Private Member's Bills and Resolutions presented to the House on the 6th December, 1967."

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से, जो 6 दिसम्बर, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

विधायकों द्वारा राज्य विधान सभाओं में दल परिवर्तन के बारे में प्रस्ताव—जारी

RESOLUTION RE: CROSSING OF FLOOR BY LEGISLATORS—CONTD.

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब श्री पें० वेंकटा सुब्बया द्वारा 11 अगस्त, 1967 को प्रस्तुत किए गए निम्न संकल्प पर चर्चा करेगी:

"इस सभा की राय है कि विधायकों द्वारा एक दल को छोड़ कर दूसरे में निष्ठा व्यक्त करने और विधान सभाओं में बारम्बार दल-परिवर्तन करने सम्बन्धी समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये सरकार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और संवैधानिक विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति तुरन्त नियुक्त करे और सरकार से सिफारिश करती है कि वह इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को जो भयानक रूप से व्याप्त होती जा रही है, रोकने के लिये एक विशेष व्यवस्था करे और उपयुक्त विधान द्वारा प्रभावी उपाय करे ताकि देश में संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ एवं उपयोगी ढंग से चल सके।"

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Sir, I congratulate Shri P. Venkatasubbiah for his resolution. It would be better if he accepts the amendments moved by shri Madhu Limaye and myself. Now the question arises as to how to stop the crossing of floor by legislators?

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए

Shri C. K. Bhattacharya in the Chair

In Bengal Dr. P. C. Ghosh has with him only 17 members. How can there be a Chief Minister with 17 members only with in a house of our 200 legislators ? I have been told that what happened to Shri Ajoy Mukerjee is going to happen to Shri Maha Maya Prasad Sinha also where a new Governor has been sent so that he may call the meeting of the legislative Assembly earlier and thus manoeuvre the toppling of the Sinha Ministry and bring in his place Shri B. P. Mandal. Those who come to join a party are given Rs. 20,000 whereas those who again defect are given Rs. 40,000 . We raised this problem in the recent Whips' Conference also.

Crossing of floor was started when Shri Asoka Mehta was taken in the Congress. At that time it was considered to be moral but now when it is going against the interests of Congress it has become immoral. How is it ?

I would support the resolution if the amendments tabled by Shri Madhu Limaye and me are accepted.

I have been told that Shri Humayun Kabir, who was responsible for the fall of Ajoy Mukherjee Ministry in West Bengal is being included in the Central Cabinet or being made the vice-Chancellor of Aligarh University. This Country will always consider Humayun Kabir as the new Mir Jafar.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

दल बदलना दो प्रकार का होता है। एक तो यह कि एक व्यक्ति इस कारण दल बदलता है क्योंकि उसे मंत्री पद दिया जाता है और बाद में यदि वह फिर इस कारण दल बदल ले कि दूसरा दल भी उसे मंत्री पद दे दे तो यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का मामला है। इसके अतिरिक्त एक और प्रकार से भी दल बदलाव होता है। अर्थात् एक व्यक्ति अनुभव करता है, कि जो नीति सरकार अपना रही है वह व्यक्ति उससे सहमत नहीं है। उदाहरण के रूप में अवमूल्यन का प्रश्न था। किसी भी दल ने अवमूल्यन को अपने दल के घोषणा-पत्र में शामिल नहीं किया था। यदि ऐसे प्रश्न पर कोई व्यक्ति दल छोड़ता है और फिर निर्दलीय रहता है तो उसे ऐसा करने का अधिकार है।

श्री चर्चिल ने ऐसा किया था। ऐसा ही आचार्य कृपालानी ने भी किया था। एक सदस्य ने महाभारत के युद्ध का उल्लेख किया। वहाँ भी प्रयास किया गया कि कर्ण कौरवों को छोड़ कर पाँडवों के साथ मिल जाये। परन्तु वह सहमत नहीं हुआ और आज इसी कारण कर्ण का हम सम्मान करते हैं।

छोटे-छोटे दल मिलकर जब मंत्रिमंडल बनाते हैं तो उनमें अस्थिरता रहती है। इसलिये कोई ऐसा पग उठाना चाहिये जिसके द्वारा राजनीतिक संस्थाओं में स्थिरता उत्पन्न हो। हमें यह नहीं करना चाहिये कि कोई समिति स्थापित करें और वह कुछ सिफरिशें कर दे।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, I would have been very happy indeed if Shri Venkatasubbiah had brought this resolution before the elections of 1967 when Congress Party was in power in all the States in India. At present when they bring such a thing it is so obvious that there are non-Congress Governments in many States and power is eluding Congress. Hence the natural conclusion drawn from such resolution is that Congress is doing so to remain in power perpetually.

Shri K. Santhanam writing about defections had sated that such "floor crossing can be justified only in the case of independent members. But I disagree with him also. I feel that even independent members should first resign their seats in the House and then contest election on the ticket of the party which he joins later on.

But this cannot be done by legislation. This can be done by convention. All parties should develop such conventions.

While I appreciate the spirit of the resolution, I am against the language of the resolution.

Shri Hem Raj (Kangra) : Sir, I have come to support the resolution of Shri Venkata Subbiah. Defections take place not only after the elections but before the elections too.

One can understand the defection if it is done on the basis of principle. But most of the defections were made in order to gain some office. This is bad. Peoples' faith in democracy is diminishing when they find that their elected representatives offer themselves to be sold like this in order to gain some office. It happened in Haryana. Shri Venkatasubbiah has suggested the formation of a committee which will go into the question of defections. This should be welcomed. Defections are a great danger to democracy.

Some hon. members have raised the question as to why such a resolution was not brought in the House before the last general elections. The reason is that this problem has become very acute only now.

It would also be better if we have some system of "recall" as is prevalent in Switzerland. Moreover this resolution is not the last word. With these words I support the resolution.

Shri J. B. Kripalani (Guna) : Sir, most of the members now in the opposition were previously in the Congress.

We find that when some member dies his wife or son or daughter is elected from the same constituency. After sometime you will find in the Congress only widows and orphans.

When I contested from Amroha there were 24 ministers including the then Defence Minister, Sir Y. B. Chavan at one time in the constituency who were asking people to vote against me. All dak bungalows were occupied by them. In the Guna constituency too there was much official pressure on the election staff. They refused even to entertain our objections.

People in the constituency know only symbols and not the candidates. Gandhiji used to say that we should educate our masters. Here even the system of "recall" would fail.

Election manifestos are of no use here as the voters are not educated.

All parties stand for socialism in one form or the other. Even a good man who had some good worth like Morarka was defeated because a bigger moneyed person contested against him. There is darkness everywhere here.

As long as our moral standards do not improve, such defections will continue. The present state of affairs is due to the fact that we have lost good leadership and our moral standards have gone too low.

The Congress party wants to cling to power and for that purpose it encourages defection. Those Congressmen, who fail to get a share in the power, defect to other parties. It is a radical disease and a radical remedy is required to cure it. If we want to establish any convention to stop defections, it is necessary that all the political parties should agree to it, otherwise it will not serve any purpose.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : There is no dispute regarding the spirit behind the resolution moved by Shri Venkattasubbiah. We wunt that no one should leave his party without resigning his seat. It is however, doubtful whether we will be able to stop defections by enacting a law. It is better if we bring about a radical change in the election system itself. The system of recall can be favoured if it is laid down that at least sixty per cent voters should support the move.

There is no question of principle involved in the resolution. It has been moved since the Congress is afraid of losing power even in the Centre by the present trend of defections and it wants to retain the power. If the Congress talks of principles, it should have followed the example set by Acharya Narendra Dev in 1948, when, on leaving the Congress party, he resigned his seat in the U. P. Assembly. The Congress, however, acted otherwise. Shri Nehru offered the Chief Ministership of Andhra to Shri T. Parkasham on his leaving P.S.P. and joining the Congress. That was the beginning of opportunism in our political life and the Congress party is to be blamed for the same. They are now talking of principles when the trend has turned against them.

If the Congress is really interested in cleaning the political life of the country it is necessary that an agreement is made not only regarding the problem of defections but also regarding the question of donations by Companies to political parties and other allied subjects.

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : यह प्रश्न केवल दल बदलने का ही नहीं है। यह सहमत न होने का प्रश्न भी है। कोई व्यक्ति असहमत हो सकता है और असहमति के कारण ही विश्व के इतिहास में कई परिवर्तन हुए हैं। श्री चर्चिल कन्जेंवेटिव पार्टी के नेताओं से असहमत थे और

यह एक बहुत बड़ी असहमति थी। असहमति का प्रश्न दल परिवर्तन से बिल्कुल भिन्न है क्योंकि दल परिवर्तन अनैतिक है और दल बदलते समय किसी भी व्यक्ति के लिये तुरन्त त्यागपत्र देना आवश्यक है।

जब कोई व्यक्ति दल बदलता है और ऐसे व्यक्ति का 10,000 व्यक्ति स्वागत करते हैं तो इसे खरीदा हुआ नहीं माना जाना चाहिये। इसे सम्मान योग्य समझा जाना चाहिये। इस विषय से सभी दल प्रभावित हैं। अतः इसे विचार-विमर्श के लिए समिति के पास भेजा जाना चाहिये। परन्तु यह मामला कानून द्वारा नहीं निपटाया जा सकता। मैं चाहता हूँ कि इस संकल्प का संशोधन किया जाये। समिति में सभा के सभी वर्गों के प्रतिनिधि होने चाहिये। स्वीकार्य परम्पराओं की स्थापना द्वारा तथा यदि आवश्यक हो तो उचित कानून द्वारा उपायों की सिफारिश करना समिति के निर्देश पर पद में शामिल होना चाहिये। कुछ परम्पराओं का बनाना अधिक उचित होगा और इन परम्पराओं को लोकतंत्र के संचालन का मार्गदर्शन करना चाहिये। वे परम्परायें सर्वमान्य होनी चाहिये। उन मामलों में की जाँच केवल एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा सकती है।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : श्री वेंकटासुब्बया द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करते हुए मैं इस सभा के सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे इस मामले को दल के हित अथवा निर्वाचन क्षेत्र को प्रभावित करने की दृष्टि से नहीं बल्कि देश के बड़े हित की दृष्टि से देखें।

संविधान तथा प्रजातंत्र के आरम्भ से ही यह समस्या बढ़ रही है। अब इसने भयंकर रूप धारण कर लिया है। यह स्पष्ट है कि दल बदलने वाले व्यक्ति का उद्देश्य सत्तारूढ़ होना होता है और यह भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि वे धन नहीं प्राप्त करते हैं तो वे सत्ता के पीछे दौड़ते हैं। इसे रोका जाना चाहिये। यह अधिकार किसी को भी नहीं है कि वह कुछ सिद्धान्तों अथवा विचारों के आधार पर चुनाव जीते और चुनाव के पश्चात् उन सिद्धान्तों को त्याग दे। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता।

विचारों में परिवर्तन हो सकता है और यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों में परिवर्तन के बाद चुनाव में जीत जाता है तो यह स्वागत योग्य है। परन्तु किसी विशेष दल के टिकट पर किसी सिद्धान्त के लिये चुने जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति एकदम अपने विचार बदल देता और पुनः चुनाव नहीं लड़ता तो यह एक अपराध है। मतदान तथा निर्वाचित सदस्य के बीच सम्बन्ध ऐसा ही है जैसा कि एक वकील तथा उसके मुवक्किल में होता है। सदस्य को उनके हितों की देखभाल करनी होगी क्योंकि उसने निर्वाचन के समय यह आश्वासन दिया था। पुनः चुनाव लड़े बिना तथा अपने मतदाताओं से स्वीकृति लिये बिना किसी सदस्य को अपने सिद्धान्त नहीं बदलने चाहिये। यह अनैतिकता है।

अब कांग्रेस का यह विचार हो रहा है कि दल बदलना अच्छा नहीं है। मैं यह बात नहीं मानता कि क्योंकि उन्होंने पहले कुछ गलत कार्य किए हैं, इसलिए यदि वे जब किसी अच्छी बात का सुझाव भी दें; तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री रमानी (**कोयम्बत्तूर**) : यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है परन्तु इसमें सन्देह है कि कांग्रेस वास्तव में इसकी भावना को क्रियान्वित करेगी। यह बताया जाना चाहिये कि क्या कांग्रेस दल इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करेगा कि जो विधायक दल परिवर्तन करते हैं, उनका जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार समाप्त होना चाहिये। जनता को यह अधिकार होना चाहिये कि

वे ऐसे व्यक्ति को, जो निर्वाचन के पश्चात् दल बदल कर उनके साथ विश्वासघात करता है, वापिस बुला सके।

देश में इस प्रकार की बातें आरम्भ करने का दोष कांग्रेस को है। 1952 में मद्रास में कांग्रेस ने यह प्रथा शुरू की थी। अब कांग्रेस ने दल परिवर्तन को रोकने के लिये यह संकल्प प्रस्तुत किया है। यह संकल्प अच्छा है परन्तु कांग्रेस अब भी पश्चिमी बंगाल में क्या कर रही है? वह मिली-जुली सरकार में शामिल होने के लिये तैयार है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस दल किसी विरोधी दल को सत्तारूढ़ नहीं होने देना चाहता। दूसरे राजनैतिक दलों के सदस्यों को पद देकर तथा उन्हें घूस देकर उन्होंने राजनैतिक भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा कर दी है।

यह स्पष्ट पता चलता है कि कांग्रेस किसी विरोधी दल को सत्तारूढ़ होने देने के लिये तैयार नहीं है। कांग्रेस सत्ता से चिपटे रहना चाहती है। गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि मैं विरोधी दलों के साथ बैठने तथा दल बदलने की समस्या पर विचार-विमर्श करने और कुछ परम्परायें स्थापित करने अथवा, यदि आवश्यक हो तो कोई कानून बनाने के लिये तैयार हूँ। जब सरकार किसी अन्य राजनैतिक दल से विचार-विमर्श किए बिना कोई बड़ी विधि बना सकती है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिये तथा जनता का वापिस बुलाने का अधिकार देने के लिये एक विधेयक क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकती। यदि ऐसा हो जाये तो कांग्रेस सत्तारूढ़ नहीं रह सकती।

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाना): मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूँ। परन्तु मुझे इस बात में संदेह है कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में कुछ करना चाहती है या नहीं। यदि कांग्रेस पार्टी के इतिहास को देखा जाये तो पता चलेगा कि यह पार्टी स्वयं पार्टी बदलने के कार्य को प्रश्रय देती रही है। वर्ष 1967 में गुजरात और राजस्थान में विरोधी दल के कई सदस्यों को अपनी पार्टी में सम्मिलित किया। वे इस बात को स्पष्ट करें कि यह कार्य किस आधार पर किया गया। यदि कांग्रेस पार्टी पार्टी बदलने की इस प्रवृत्ति को वास्तव में रोकना चाहती है तो सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी को विरोधी दलों के उन सदस्यों को कांग्रेस पार्टी से अलग कर देना चाहिये जो वर्ष 1967 के बाद उस पार्टी में सम्मिलित किए गए थे। कांग्रेस पार्टी बिना इन लोगों की सहायता के सरकार चलाये और यदि वह ऐसा नहीं कर सकती तो त्यागपत्र दे दे।

आज पश्चिम बंगाल और पंजाब में क्या स्थिति है? इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का व्यवहार उचित नहीं है। यदि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने का तथा अपनी लम्बी परम्परा का दावा करती है तो उसे विशिष्ट परम्पराएं बनानी चाहिये। सर्वप्रथम उन्हें उन लोगों को समर्थन देना बंद करना चाहिये जो उनकी पार्टी के नहीं हैं और जो अन्य दलों से आये हैं चाहे यह स्थिति पंजाब में हो या पश्चिम बंगाल में हो। वहाँ राज्यपाल का या राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है। यदि हम सिद्धान्त की बात करते हैं तो इस समिति से पहले उन्हें स्वयं इस सिद्धान्त को अपनाना चाहिये और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये जिसका अन्य दल अनुसरण करें।

Shri Sheo Narain (Basti): The hon'ble Members of opposition porties who have expressed their views so far have not given any concrete suggestions. I welcome this Resolution which is a step in the right direction. It will strengthen democracy in the country. I hope the hon'ble Home Minister will evolve a new formula which would discourage the increassing tendency of crossing the floor.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) इस सभा में दल परिवर्तन पर कई बार चर्चा हो चुकी है। 'दल परिवर्तन' और 'मतभेद' में अन्तर है। हमें 'दल परिवर्तन' का सही अर्थ समझ लेना चाहिये। कोई व्यक्ति अपनी निश्चित विचारधारा के अनुसार एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। मेरे वचार में ऐसा करना राजनीतिक जीवन का एक सामान्य अंग होना चाहिये। इसे कानूनी रूप से भी अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से मूल-भूत अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाना होगा।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

यहाँ पर 'दल परिवर्तन' का अर्थ यह है कि कुछ व्यक्ति एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ते और जीत जाते हैं परन्तु बाद में वे उस दल को छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाते हैं। इससे लोकतंत्रीय संस्थाओं के कार्य संचालन में बाधा पड़ती है। हमने यह देखा है कि 'दल परिवर्तन' के कारण सरकारें अपदस्थ हुई हैं और ऐसा दिखाई देता है कि अपदस्थ होती रहेंगी। यदि कुछ लोगों का यह मत है कि जो लोग कांग्रेस दल को छोड़कर अन्य दलों में जा मिले हैं वही अच्छे हैं और जो कांग्रेस में वापिस जा मिले हैं वे बुरे हैं तो यह एकतरफा बात है जो ठीक नहीं है। यह एक राजनीतिक खेल है। इसलिए मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि केवल कांग्रेस को ही अपना घर साफ करना चाहिये और अन्य राजनीतिक दल अपने घरों को गन्दा ही रखें। मेरे विचार में यदि सभी राजनीतिक दल एक साथ अपना-अपना घर साफ करें तो अच्छा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो मतभेद चल रहे हैं वे हमारे वर्तमान लोकतंत्रात्मक ढंग के जीवन के लिये खतरनाक है क्योंकि इन मतभेदों के कारण सामान्य जनता के मन में अनिश्चितता की भावना पैदा हो रही है और प्रशासन में अस्थिरता आ सकती है। अन्ततोगत्वा जनता के प्रति यह विश्वास-घात है।

•इसलिए अब हमें परस्पर मिलकर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिये। इस संकल्प में यह प्रस्ताव निहित है। इसलिए मैं इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हूँ।

अब राजा जी एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के नेता हैं। इसलिये अब उनका उल्लेख करने या उनपर आरोप लगाने से क्या लाभ है। 20 वर्ष पूर्व केवल कांग्रेस दल था परन्तु अब कई अन्य राजनीतिक दल भी हैं और वे कई दल सरकारें भी चला रहे हैं। इसलिये अच्छा यह होगा कि सभी राजनीतिक दल मिल कर इन मामलों के सम्बन्ध में निर्णय करें। अतः मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। परन्तु इसके साथ ही प्रस्तावक से मेरा अनरोध है कि वह श्री वेदव्रत बरुआ के संशोधन को स्वीकार करें क्योंकि उसमें इस बात का उल्लेख है कि हमें कुछ अन्य परम्पराओं पर भी विचार करना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो उस सम्बन्ध में कानून बनाना चाहिये। यह एक अच्छी बात है।

श्री पें० वेंकटसुब्बया (नन्द्याल)। मैंने सभी माननीय सदस्यों के सुझावों तथा उन आरोपों को, जो उन्होंने कांग्रेस दल पर लगाये हैं, ध्यानपूर्वक सुना है। परन्तु मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। वास्तव में दल परिवर्तन से अभिप्राय यह है कि कुछ विधायक किसी दल विशेष के समर्थन पर निर्वाचित हो जाने के बाद दल बदल लेते हैं और इससे अस्थिरता पैदा होती है और संसदीय लोकतंत्रीय प्रणाली का महत्व कम हो जाता है। यदि कोई सदस्य अपने दल की नीति या कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं है तो वह अपने संगठन की बैठकों में अपने विचार व्यक्त कर सकता है।

श्री मधु लिमये ने उपयुक्त विधान के उल्लेख को अवांछनीय बताया है। मैं यह चाहता हूँ कि इस सभा का प्रत्येक सदस्य इस संकल्प का समर्थन करे, तभी इस संकल्प की कुछ शक्ति हो सकती है और संसदीय लोकतंत्र को इस खतरे से बचाया जा सकता है।

जैसा कि गृह-कार्य मंत्री ने ठीक ही बताया है कि कांग्रेस दल सब से बड़ा राजनीतिक दल होने के कारण उसका यह कर्त्तव्य है कि हम एक ऐसी प्रक्रिया बनायें जिससे इस अस्वस्थ प्रवृत्ति को दूर किया जा सके जो हमारी लोकतंत्रीय संस्थाओं में दाखिल हो रही है। कोई नैतिक स्तर बनाया जाना चाहिये। राजनीतिक जीवन में एक नैतिक या राजनैतिक पतन हो गया है। इस पतन को रोकने और अवांछनीय तत्वों को बाहर निकालने की समस्या केवल कांग्रेस दल के सामने नहीं है बल्कि सभी राजनीतिक दलों के सामने है। इस समस्या को सुलझाने के लिये अन्य सभी बातों को भूलना होगा जिससे लोकतंत्रीय प्रणाली जीवित रह सके। मैं श्री वेदव्रत बरुआ के संशोधन को स्वीकार करने के लिये सहमत हूँ।

अध्यक्ष महोदय: उस संशोधन से पहले दो और संशोधन हैं—एक श्री यशपाल सिंह का और दूसरा श्री मधुलिमये का। अब मैं श्री यशपाल सिंह का संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये सभा के सामने रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय: अब श्री लिमये के संशोधन पर मतदान होगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : If my amendment is to be carried it should be read before the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं संकल्प को संशोधित रूप में सभा के मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की राय है कि विधायकों द्वारा एक दल को छोड़कर दूसरे दल में निष्ठा व्यक्त करने और विधान सभाओं में दल परिवर्तन करने संबंधी समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा इस विषय में सिफारिशें करने के लिये सरकार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा संवैधानिक विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति तुरन्त नियुक्त करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

साहिबी नदी योजना की कियान्विति करने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : **Implementation of Sahibinadi Scheme.**

श्री गजराज सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"इस सभा की राय है कि हरियाणा के पिछड़े क्षेत्रों (रेवाड़ी तथा झज्जर तहसीलों) और राजस्थान के अलवर जिले में सिंचाई तथा पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से तथा इस दृष्टि से कि दिल्ली राज्य का नजफगढ़ क्षेत्र लगातार बाढ़-ग्रस्त न हो और रेलवे लाइन (मीटरगेज) को क्षति न पहुँचे, साहिबीनदी योजना (बाँध इत्यादि बनाना) को अविलम्ब कार्यान्वित

करना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है और सरकार से अनुरोध करती है कि इसे शीघ्र पूरा किया जाये और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाये।''

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। अब आगे की चर्चा ली जायेगी।

---

*एमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को सेवा से मुक्त करना

RELEASE OF EMERGENCY COMMISSIONED OFFICERS

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर): सशस्त्र सेनाओं से एमरजेंसी कमीशन प्राप्त हजारों अधिकारियों को सेवा मुक्त किए जाने के बारे में सरकार ने जो नीति अपनाई है उससे समूचा राष्ट्र क्षुब्ध हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिये सभा में अवसर प्रदान किया गया है।

देश की सुरक्षा के लिये लड़ने वाले इन बहादुरों के साथ सरकार का व्यवहार उचित नहीं है। इन नौजवान लड़कों के साथ इस प्रकार का कड़ा रवैया अपनाना तथा उनको सेवा में से निकाल देना उचित नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तीन अवसरों पर अर्थात् काश्मीर, चीन तथा फिर पाकिस्तान का हमारी सशस्त्र सेनाओं ने बहादुरी से सामना किया है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि जिन नौजवानों को सेवामुक्त किया जा रहा है वे हमारे अपने ही लड़के हैं।

इनमें से अधिकांश लड़के 20 वर्ष से कुछ ऊपर हैं। नेताओं की पुकार को पूरा करने के लिये ये लड़के अपने कालेज का अध्ययन बीच में ही छोड़ सेना में भर्ती हो गए थे। पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में यह बात सिद्ध हो जाती है कि एमरजेंसी कमीशन प्राप्त लड़के दूसरे अधिकारियों की अपेक्षा अधिक वीरता से लड़े क्योंकि हताहतों में उनकी संख्या अधिक थी। इन युवकों का एकमात्र लक्ष्य देश की रक्षा करना था। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि इन लड़कों को ऐसे समय सेवामुक्त किया जा रहा है जबकि देश को, सेना को और सरकार को इनकी आवश्यकता है। हमारे लिए ऐसे नौजवानों की सेवाओं को जिन्होंने देश का नाम ऊँचा किया है भुला देना अनुचित होगा।

सरकार का कहना यह है कि इन लोगों को दूसरा रोजगार दिलाने के लिए सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है। परन्तु हम यह महसूस करते हैं कि इन लोगों को रोजगार दिलाने तथा पुनः बसाने के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा रहा है। यह बात एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की कार्यकारी समिति के चेयरमैन आई० एस० दयाल ने अपने वक्तव्य में बताई है कि 3000 में से 2,000 अधिकारी अभी तक बेरोजगार हैं। मेरा निश्चय विश्वास है कि इन एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को 'शार्ट सर्विस कमीशन' अथवा 'रेग्युलर कमीशन' में लिया जा सकता है। इस बारे में नैतिक पहलू की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

यह कहना उचित नहीं है कि इन लड़कों को पुनः सेलेक्शन बोर्ड के समक्ष पेश होना चाहिये। जिन व्यक्तियों में वीरता से लड़ने की क्षमता होती है वे सदा उतनी ही वीरता से अधिकारियों

*आधे घंटे की चर्चा

के मुश्किल प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। युद्ध में दिखाई गई वीरता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये।

परमात्मा न करे यदि एक बार फिर युद्ध लग जाता है तो हम चाहेंगे कि लाखों व्यक्ति एक बार फिर उस चुनौती का सामना करने के लिए पहले जैसा उत्साह दिखायें। परन्तु लड़कों तथा सैनिक अधिकारियों के इस अनुचित रवैये को देखते हुए लोग पहले वाला उत्साह नहीं दिखायेंगे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सुनिश्चित करे कि इन लोगों को सम्मान-जनक कार्य मिले ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनको पुनः देश की रक्षा के लिए बुलाया जा सके।

जैसा कि एकबार स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने किया था इन लोगों को इस प्रकार सेना में रखा जा सकता है जिससे इनको पेंशन आदि मिल सके और वे उचित रहन-सहन रख सकें।

पुनर्वास निदेशालय को निजी क्षेत्र के साथ सम्पर्क स्थापित कर इनको अच्छा रोजगार दिलाना चाहिये। इन बहादुर लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक फार्म आदि बनाने के लिए भूमि दी जा सकती है। इन अधिकारियों को तुरन्त पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों पर भी जोर दिया जाना चाहिये।

Shri Rabi Ray (Puri) : I regret to say that Government is giving a raw deal to those brave men who fought vigorously against Pakistan to protect their motherland. These people have been thrown on the streets. I an sure that if any call to join the army is made any time in future that will have no effect on those youngmen as they have been very much frustrated by the Government's attitude.

I appeal to the Government to rehabilitate and re-employ these released Emergency Commissioned officers within two or three months.

Shri George Fernandes (Bombay South) : No action of the Government can be more disgraceful than the present one of releasing the Emergency Commissioned officers. Few of these released officers have met me and wanted me to give them some recommendation letter for jobs. They are moving on the roads in search of jobs. We should not forget that these very people fought bravely for the motherland.

I will suggest that these men may be absorbed in the Short Service Commission.

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा में केवल उन लोगों को भाग लेने की अनुमति दी जायगी जिन्होंने अपने नाम पहले भेज दिये थे।

Shri Shashibhushan Bajpayee (Khargone) : This is not proper to say that these men joined army only for the purposes of service. They joined the army to protect the country. I am sure that in future also they will do so if they are asked to do so.

So far as the question of their rehabilitation and reemployment is concerned I would say that immediate steps should be taken in this regard. We should provide them employment as soon as possible. They should be given preference for various posts.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्थायी आयोग में जहाँ-कहीं रिक्त स्थान हैं वहाँ पर इन लोगों को लगाने में क्या कठिनाई है ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को रोजगार कार्यालय में भेजने के स्थान पर प्रतिरक्षा मंत्रालय अन्य विभागों में जहाँ कहीं स्थान रिक्त हों सीधे भेजकर रोजगार के अवसरों की व्यवस्था कर सकता है। क्या सरकार इन दोनों बातों पर विचार करेगी ?

Shri S. M. Joshi (Poona): I would like to know why new officers are being recruited in place of these experienced officers. We take hundred presons in N. D. A. every year. That number can be reduced. I would like to know whether any such programme can be carried out or not.

Some other concessions as extension of joining time for other posts should be given to these officers.

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : On one hand Government is recruiting new officers and on the other hand they are releasing these experienced officers. I could not understand this contradictory policy of the Government. Secondly I would also like to know the reasons for laying down this condition that they can be called back for army service within ten years.

Shri Kameshwar Singh (Khangria) I would like to know the time by which these persons will be provided with alternative jobs.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दस वर्ष की सीमा को घटा कर 5 वर्ष किया गया है। वह भी अनिवार्य नहीं है। जो व्यक्ति सेना में आना चाहेंगे वे आ सकेंगे।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : क्या एमरजैंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नियमित संवर्ग में लिए जाने विरुद्ध कोई नियम है? यदि कोई ऐसा नियम है तो उसको बदलने के लिए कार्यवाही की जा सकती है।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मामले को उठाकर मुझे कुछ गलतफहमी को दूर करने का अवसर प्रदान किया है। दस वर्ष की अवधि को जो कि अनिवार्य थी कम करके पाँच वर्ष कर दिया गया है। यह भी अनिवार्य नहीं होगा। जो लोग रिज़र्व में रहना चाहेंगे केवल उन्हीं को पाँच वर्ष के लिए रिज़र्व में रखा जायेगा।

चीन के आक्रमण के पश्चात् हमने अपनी सेना को तेजी से बढ़ाने का निर्णय किया था। इसलिए एमरजैंसी कमीशन चालू किए गए थे। उस समय आयु तथा कुछ अन्य बातों में छूट आदि भी दी गई थी। यदि एक ही आयु ग्रुप के बहुत से अधिकारी होते हैं तो सेवानिवृत्ति को स्थगित करना पड़ता है अन्यथा बहुत से व्यक्तियों को एकदम सेवानिवृत्त करने से बहुत से स्थान एक साथ रिक्त हो जाते हैं। इन रिक्त स्थानों के पुनः एक ही आयु ग्रुप के व्यक्तियों से भर्ती करना पड़ता है। अतः इस स्थिति से बचने के लिए ही यह निर्णय किया गया है। सेना के लिए जिस प्रकार अनुभव महत्व रखता है उसी प्रकार यौवन भी महत्व रखता है।

जहाँ तक इन लोगों को स्थायी कमीशन में लेने अथवा वैकल्पिक नौकरी देने क प्रश्न है, सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है। अभी तक एमरजैंसी कमीशन के केवल दो ग्रुपों अर्थात् ग्रुप एक और दो को ही सेवामुक्त किया गया है। इसमें कुल 2512 व्यक्ति हैं। इनमें से 954 अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया है। 662 को वैकल्पिक रोजगार मिल गया है। 72 मामले ऐसे हैं जिनमें या तो लोगों ने त्यागपत्र दिए हैं या उनको अनुशासनहीनता के कारण सेवा मुक्त कर दिया गया है। 277 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि वे स्थायी कमीशन पाने के इच्छुक नहीं हैं। 235 व्यक्ति सिविल सेनाओं से आये थे और वे उनपर वापिस जा सकते हैं। इस बारे में गृह-कार्य मंत्रालय ने आर्डर जारी किए थे कि जो व्यक्ति एमरजैंसी कमीशन में गए हैं उनके धरणाधिकार अपने पदों पर बना हुआ है। अतः केवल 309 व्यक्तियों का मामला रह जाता है। इनमें से कुछ व्यक्तियों ने भारतीय प्रशासन सेवा तथा कई अन्य परीक्षायें दी हैं। उनके लिए स्थानों

का आरक्षण है। केवल इन्हीं अधिकारियों की भी परीक्षा ली गई है। केन्द्रीय सरकार के कई अन्य विभागों में भी इनके लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। अनेक राज्य सरकारों ने भी इन अधिकारियों के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में आदेश जारी किए हैं। अतः आशा है कि इनमें से भी बहुत से अधिकारियों को अच्छा स्थान प्राप्त हो जायेगा।

हमने गैर-सरकारी क्षेत्र के लगभग 50 समवायों को इनके बारे में लिखा है परन्तु उनसे कोई अच्छा असर प्राप्त नहीं हुआ। उनका कहना है कि वर्तमान मन्दी के कारण उनके पास रोजगार के अधिक अवसर नहीं हैं।

अनेक सरकारी उपक्रमों ने इन लोगों के लिए कोटा रिज़र्व कर दिया है। अतः मुझे आशा है कि हम जो कार्यवाही कर रहे हैं इससे उनको रोजगार मिल जायेगा। इन्हीं प्रयत्नों के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में इन अधिकारियों को रोजगार मिला है।

मुझे पूरा विश्वास है कि जब कभी भी आपात की स्थिति होगी युवकों की एक बड़ी संख्या देश की रक्षा के लिए आगे आयेगी।

डा० कर्णी सिंह: क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि शेष 309 व्यक्तियों को भी तीन महीने के अन्दर अन्दर उचित रोजगार मिल जायेगा।

श्री स्वर्ण सिंह: मुझे खेद है कि मैं ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री नम्बियार: यदि तीन महीने में ऐसा सम्भव नहीं तो सरकार छः महीने में ही उनको रोजगार दिलाने का आश्वासन दे।

Shri George Fernandes: I would like to know whether the hon. Minister is prepared to sit with Members to remove any misunderstanding about the question of age-groups etc.

श्री स्वर्ण सिंह: मैं किसी भी माननीय सदस्य के साथ बैठकर बातचीत करने को तैयार हूँ।

इसके पश्चात् लोकसभा सोमवार 11 दिसम्बर, 1967/20 अग्रहायण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday December 11, 1967/Agrahayan 20, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.